[2021] 15 एस. सी. आर 169

भारत और ओआरएस का संघ।

बनाम

वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड

(2021 की सिविल अपील संख्या 4810)

13 सितंबर, 2021

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़ और एम. आर. शाह, जे. जे.]

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017-ss. 54 (3) और एस। 164 - केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 - आर. 89 (5) -

गुजरात और उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की गईं।

मद्रास न्यायालय, आर की वैधता को चुनौती देता है। 89 (5) इस आधार पर कि यह अल्ट्रा वायर्स एस है। 54 (3) - वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया प्रा. लि. में गुजरात उच्च न्यायालय। लिमिटेड वी. भारत संघ (आर/2019 का विशेष नागरिक आवेदन No.2792) ने एस के प्रावधानों की जांच की है। 54 (3) और आर। 89 (5) हालाँकि, मद्रास उच्च न्यायालय ने टी. वी. एल. में कहा कि बाद वाला अधिकार से बाहर था। ट्रांस्टननेलस्ट्रॉय एफकॉन्स संयुक्त उद्यम बनाम। भारत संघ (रिट याचिका सं। 8596-97 , 8602 2019 का आदि) एक विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचा-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: एस के पहले परंतुक का खंड (ii)। 54 (3) यह केवल धनवापसी का लाभ उठाने के लिए पात्रता की शर्त नहीं है, बल्कि एक ठोस प्रतिबंध है जिसके तहत अप्रयुक्त आई. टी. सी. की धनवापसी का लाभ केवल तभी लिया जा सकता है जब धन जमा किया जाता है।

एक उल्टे शुल्क संरचना से संबंधित, अर्थात् इनपुट वस्तुओं पर कर

उत्पादन आपूर्ति पर कर की दर से अधिक होना-इसलिए,

आर के बीच कोई वैमनस्य नहीं है। 89 (5) एक तरफ और एस। 54 (3) विशेष रूप से इसके पहले परंतुक का खंड (ii) दूसरी ओर-मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि की जाती है।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 - धारा 54 (3)-केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 - आर. 89 (5)-धन वापसी का दावा संवैधानिक अधिकार हो या न हो-धारित: धनवापसी एक वैधानिक मामला है

प्रिस्क्रिप्शन-संसद यह निर्धारित करने में अपने विधायी अधिकार के भीतर थी कि क्या अप्रयुक्त आईटीसी के रिफंड की अनुमति दी जानी चाहिए।

अपने मूल का पता लगाने के लिए, दोनों इनपुट वस्तुओं और इनपुट सेवाओं के लिए या, जैसा कि उसने कानून बनाया है, केवल इनपुट वस्तुओं के लिए-अपनी स्पष्ट शर्त के अनुसार धनवापसी केवल तभी स्वीकार्य होगी जब अप्रयुक्त आईटीसी ने इनपुट पर कर की दर के कारण जमा किया है जो उत्पादन आपूर्ति पर कर की दर से अधिक है, संसद ने धनवापसी को सीमित कर दिया है-जबकि

15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धनवापसी के अधिकार को स्वीकार करते हुए, यह विधायिका के लिए खुला है कि वह उन परिस्थितियों को परिभाषित करे जिनमें धनवापसी का दावा किया जा सकता है-एस के लिए परंतुक। 54 (3) यह पात्रता की शर्त नहीं है, बल्कि एक प्रतिबंध है जो धनवापसी अनुदान को नियंत्रित करता है। 54 (3) .

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 - आर. 89 (5)-आर में निर्धारित सूत्र की वैधता। 89 (5) – आयोजित किया गया: यह सूत्र प्रकृति में अस्पष्ट या अव्यवहारिक नहीं है, न ही यह जमा होने पर सीमित धनवापसी देने में विधायिका के इरादे का विरोध करता है।

अप्रयुक्त आई. टी. सी.-यह केवल मामला है कि विसंगतियों को देखते हुए सूत्र के व्यावहारिक प्रभाव के परिणामस्वरूप कुछ असमानताएं हो सकती हैं।

मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा इंगित किया गया कि जी. एस. टी. परिषद फार्मूले पर पुनर्विचार करेगी और उसी के संबंध में नीतिगत निर्णय लेगी।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: प्रोविसो का निर्माण

1. धारा 54 की उप-धारा (3) अपने मुख्य भाग में इस शर्त के साथ शुरू होती है कि एक पंजीकृत व्यक्ति धनवापसी का दावा कर सकता है।

किसी भी कर अवधि के अंत में अप्रयुक्त आई. टी. सी.। चाहे हम पहले परंतुक को एक अपवाद के रूप में समझें या एक की प्रकृति में

पहले परंतुक के शुरुआती शब्द जो यह निर्धारित करते हैं कि "इसके अलावा अन्य मामलों में अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की कोई वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी"। निम्नलिखित खंड (i) और (ii) हैं। संसद की मंशा दोहरे नकारात्मक प्रारूप के उपयोग से स्पष्ट होती है। अभिव्यक्ति "कोई धनवापसी नहीं" के साथ-साथ अभिव्यक्ति "के अलावा अन्य मामलों में"। दूसरे शब्दों में, खंड (i) और

(ii) में प्रदान की गई स्थितियों में धनवापसी पर विचार किया जाता है और कोई अन्य नहीं। इसे अलग तरह से रखने के लिए, पहले परंतुक को इसके प्रावधान में बदलाव किए बिना फिर से बनाया जा सकता है।

इसका अर्थ यह है कि अप्रयुक्त आई. टी. सी. की वापसी की अनुमति दी जाएगी।

केवल खंड (i) और (ii) द्वारा शासित मामलों में। खंड (i) कर के भुगतान के बिना शून्य मूल्यांकित आपूर्ति से संबंधित है। धारा 54 का स्पष्टीकरण-1 स्पष्ट करता है कि 'धनवापसी' अभिव्यक्ति में वस्तुओं या सेवाओं या दोनों पर शून्य मूल्यांकित आपूर्ति पर या ऐसी शून्य मूल्यांकित करने में उपयोग की जाने वाली निवेश या निवेश सेवाओं पर भुगतान किए गए कर का धनवापसी शामिल है।

आपूर्ति। दूसरी ओर, मानित निर्यात के मामले में, स्पष्टीकरण-1 माल की आपूर्ति पर कर की वापसी को संदर्भित करता है।

भारत संघ v. वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड

इसी तरह पहले परंतुक के खंड (ii) द्वारा शासित घरेलू आपूर्ति के संबंध में, 'धनवापसी' अभिव्यक्ति का अर्थ है

उप-धारा (3) के तहत अप्रयुक्त आई. टी. सी.। धारा 54 (3) के प्रावधानों को अधिनियमित करते समय संसद द्वारा अपनाई गई स्पष्ट भाषा के साथ, निर्धारिती की ओर से अनुरोध किए गए निवेदन की स्वीकृति में उस प्रावधान का न्यायिक पुनर्लेखन शामिल होगा जो कानून में अस्वीकार्य है। परंतुक का खंड (ii), जब यह "के कारण" को संदर्भित करता है, तो स्पष्ट रूप से उस अर्थ का इरादा रखता है जिसे आम तौर पर "के कारण या के कारण" कहा जा सकता है। जब परंतुक (ii) "कर की दर" को संदर्भित करता है, तो यह एक स्पष्ट इरादे को इंगित करता है कि धनवापसी की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब इनपुट पर कर की दर उत्पादन आपूर्ति पर कर की दर से अधिक होने के कारण उल्टा शुल्क संरचना उत्पन्न हुई हो। इनपुट वस्तुओं और इनपुट सेवाओं को शामिल करने के लिए 'इनपुट' अभिव्यक्ति को पढ़ने से

धनवापसी के अधिकार को मान्यता देने के लिए, संसद द्वारा विचार किए गए अधिकार से परे। [पैरा 69] [253-जी-एच; 254-ए-एफ]

2. इस न्यायालय को इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि नहीं

धनवापसी का दावा करने के लिए संवैधानिक अधिकार का दावा किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। रिफंड एक वैधानिक प्रिस्क्रिप्शन का मामला है। संसद यह निर्धारित करने में अपने विधायी अधिकार के भीतर थी कि क्या अप्रयुक्त आई. टी. सी. के रिफंड की अनुमति दी जानी चाहिए, जो कि इनपुट वस्तुओं और इनपुट सेवाओं दोनों के लिए अपने मूल का पता लगाती है या, जैसा कि उसने कानून बनाया है, केवल इनपुट वस्तुओं के लिए। इसकी स्पष्ट शर्त के अनुसार धनवापसी केवल वहीं स्वीकार की जाएगी जहां अप्रयुक्त आई. टी. सी. निवेश पर कर की दर उत्पादन आपूर्ति पर कर की दर से

अधिक होने के कारण संचित, संसद ने धनवापसी को उस तरीके से सीमित कर दिया है जैसा कि हमने ऊपर वर्णित किया है। धनवापसी के अधिकार को मान्यता देते हुए, यह विधायिका के लिए खुला है कि वह उन परिस्थितियों को परिभाषित करे जिनमें धनवापसी का दावा किया जा सकता है। धारा 54 (3) का परंतुक पात्रता की शर्त नहीं है (जैसा कि निर्धारिती के वकील ने प्रस्तुत किया है) बल्कि एक प्रतिबंध है जो धारा 54 (3) के तहत धनवापसी के अनुदान को नियंत्रित करता है। [पैरा 70] [254-जीएच; 255-ए-बी]

एस की संवैधानिक वैधता। 54 (3)

2. संसद ने धारा 54 (3) के प्रावधानों को लागू करते हुए, धनवापसी निर्धारित करने के लिए जी. एस. टी. व्यवस्था के दायरे में कानून बनाया।

ऐसा करते समय, इसने [2021] 15 एस. सी. आर. के संदर्भ में धनवापसी के अनुदान को सीमित कर दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

खंड (i) और (ii) द्वारा शासित दो श्रेणियों के लिए धारा 54 (3) का पहला परंतुक। धनवापसी का दावा कानून द्वारा नियंत्रित होता है। धनवापसी मांगने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। संसद ने पहले परंतुक के खंड (i) में कर के भुगतान के बिना की गई शून्य दर वाली आपूर्ति के मामले में अप्रयुक्त आई. टी. सी. के धनवापसी की अनुमति दी है। पहले परंतुक के खंड (ii) के तहत, संसद ने अप्रयुक्त आई. टी. सी. की वापसी की परिकल्पना की है, जहां निवेश पर कर की दर उत्पादन आपूर्ति पर कर की दर से अधिक होने के कारण जमा हुआ है। जब न तो कोई संवैधानिक गारंटी है और न ही धनवापसी के लिए कोई वैधानिक पात्रता है, तो यह प्रस्तुत करना कि वस्तुओं और सेवाओं को अनिवार्य रूप से

अनिवार्य रूप से अप्रयुक्त आई. टी. सी. के धनवापसी के मामले में समान रूप से माना जाना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस तरह की व्याख्या, यदि इसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाता है, तो इसके अप्रत्याशित परिणाम होंगे। कर, रियायतों और छूटों की दर तय करने के लिए संसद के विधायी विवेकाधिकार को सीमित करना। यदि न्यायपालिका ऐसा करती है, तो यह विधायी विकल्पों और नीतिगत निर्णयों पर अतिक्रमण करने का जोखिम उठाएगी जो कार्यपालिका के विशेषाधिकार हैं। कई विचार जो इन बातों को रेखांकित करते हैं

चुनाव राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के बीच बनाए गए जटिल संतुलन पर आधारित होते हैं और करों के उद्ग्रहण और उनके संग्रह के संबंध में डेटा और जानकारी के सावधानीपूर्वक विश्लेषण का परिणाम होते हैं। यही कारण है कि अदालतें राजकोषीय मुद्दों पर नीतिगत

मामलों के क्षेत्र में प्रवेश करने के खिलाफ हैं। इसलिए यह न्यायालय इस चुनौती को स्वीकार करने में असमर्थ है धारा 54 (3) की संवैधानिक वैधता। [पैरा 81] [261-ई-एच; 262 ए-बी]

सी. जी. एस. टी. नियमों के नियम 89 (5) की वैधता नियम बनाने की शक्ति के प्रयोग में सी. जी. एस. टी. अधिनियम का <आई. डी. 1

3. धारा 164 (1) के तहत केंद्र सरकार को प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने की स्पष्ट शक्ति प्रदान की गई है।

जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशों पर सी. जी. एस. टी. अधिनियम। यह सच हो सकता है कि कुछ विशिष्ट वैधानिक प्रावधानों में, अधिनियम 'निर्धारित करता है' अभिव्यक्ति का उपयोग करके मान्यता देता है कि उस उद्देश्य के लिए नियम बनाए जा सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत को अनुमानित रूप से यह मानते हुए नहीं माना जा सकता है कि अन्य क्षेत्रों में नियम बनाने की शक्ति का सहारा नहीं लिया जा सकता है। अपनी प्रकृति से, एक वैधानिक प्रावधान भारत संघ v में उत्पन्न होने वाली हर घटना की कल्पना नहीं कर सकता है।

वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड

बीच-बीच में उन अंतरालों को भरें जिन पर मुख्य रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है कानून बनाना या कानून को लागू करने के लिए प्रावधान पेश करना। जब तक नियम बनाने वाले प्राधिकारी के पास है

कानून के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है, तो इसे नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करने के अपने अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 164 के तहत दी गई व्यापक शक्तियां केवल अधिनियम के प्रावधानों द्वारा ही सीमित हैं, जिसके लिए एक नियम बनाया जा सकता है। यही कारण है कि धारा 164 के तहत शक्तियां केवल उन धाराओं तक ही सीमित नहीं हैं जो नियम बनाने के लिए विशिष्ट अधिकार प्रदान करती हैं। यदि ऐसा निर्माण, जैसा कि निर्धारिती ने परिकल्पना की है, स्वीकार्य होना था, तो यह

धारा 164 अन्य के प्रावधान। इस प्रकार, इस न्यायालय ने पाया कि धारा 54 (3) में "जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है" शब्दों की अनुपस्थिति नियम बनाने वाले प्राधिकरण को नियम बनाने से वंचित नहीं करती है।

अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना। [पैरा 85] [263-एफ-एच; 264 ए-सी]

सी. जी. एस. टी. के नियम 89 (5) बनाम धारा 54 (3) के अधिकार

अधिनियम

4. हालाँकि शिकायत यह है कि नियम 89 (5) "अधिनियम के प्रावधानों" से परे जाता है जब एक सूत्र तय करने की आड़ में, यह आई. टी. सी. से इनकार करके इनपुट वस्तुओं के लिए आई. टी. सी. के रिफंड को प्रतिबंधित करता है।

निवेश सेवाएँ। यह 'शुद्ध आई. टी. सी.' को परिभाषित करके किया जाता है जिसका अर्थ है निवेश से प्राप्त आई. टी. सी.। चुनौती की गंभीरता यह है कि इसके परिणामस्वरूप इनपुट सेवाओं से संबंधित आई. टी. सी. की उपेक्षा की जाती है। अन्य में

शब्दों में, निवेदन यह है कि नियम 89 (5) को "अधिनियम के प्रावधानों" को पूरा करने के लिए एक नियम नहीं माना जा सकता है। [पैरा 90] [266-बी-सी]

5. चुनौती की रेखा का दूसरा अंग यह है कि

यद्यपि जी. एस. टी. परिषद द्वारा नियमों की सिफारिश की जानी आवश्यक है, यह उन्हें विधायिका द्वारा अधिनियमित कानून के दर्जे तक नहीं बढ़ाएगा। निर्धारिती द्वारा आग्रह किया गया प्रस्तुतिकरण एक अंतर्निहित धारणा पर आगे बढ़ता है जो यह है कि

नियम 89 (5) के तहत शुद्ध आई. टी. सी. की परिभाषा को सीमित करके इसका अर्थ इनपुट वस्तुओं पर प्राप्त आई. टी. सी. करना धारा 54 (3) का अपमान है। इसी आधार पर यह आग्रह किया गया है कि एक नियम जो [2021] 15 एस. सी. आर. के विपरीत है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कानून को केवल इस आधार पर नहीं बचाया जा सकता है कि (i) नियम संसद के समक्ष रखा गया है और इसकी शक्ति के अधीन है।

संशोधन रद्द या संशोधन; या (ii) नियम जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशों पर बनाया गया था। तर्क की दूसरी परत का अनुप्रयोग वर्तमान मामले में इस सरल कारण से उत्पन्न नहीं होता है कि नियम 89 (5) नेट आई. टी. सी. को परिभाषित करने में जिसका अर्थ है "इनपुट पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट" वैधानिक प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं करता है जो धारा 54 (3) के परंतुक (ii) में निहित है। प्रत्यायोजित विधान के एक भाग के रूप में नियम 89 (5) को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह संविधान के खंड (ii) के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

इसलिए धारा 54 (3) के पहले परंतुक में सार की कमी है। जैसा कि इस निर्णय के पहले भाग में तर्क दिया गया है, पहले परंतुक का खंड (ii) केवल धनवापसी का लाभ उठाने के लिए पात्रता की शर्त नहीं है, बल्कि एक ठोस प्रतिबंध है जिसके तहत अप्रयुक्त आई. टी. सी. का धनवापसी का लाभ केवल तभी लिया जा सकता है जब संचय एक उल्टे शुल्क संरचना से संबंधित हो, अर्थात् इनपुट वस्तुओं पर कर

उत्पादन आपूर्ति पर कर की दर से अधिक हो। इसलिए एक ओर नियम 89 (5) और दूसरी ओर धारा 54 (3) विशेष रूप से इसके पहले परंतुक के खंड (ii) के बीच कोई वैमनस्य नहीं है। [पैरा 92] [266-एफ-जी; 267-ए-बी]

नियम 89 (5) में निर्धारित सूत्र की वैधता

6. इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए, ए. एस. जी. द्वारा कानूनी विभाजन बनाने के लिए दिए गए नियम 89 (5) के तहत सूत्र का औचित्य मान्य है। इस संदर्भ में, नियम 42 के प्रावधानों का विज्ञापन करना सामग्री होगी। नियम 42 (1) में प्रावधान किया गया है कि इनपुट वस्तुओं या इनपुट सेवाओं के संबंध में आई. टी. सी. जो धारा 17 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के प्रावधानों को आकर्षित करता है, आंशिक रूप से व्यवसाय के उद्देश्य के लिए और आंशिक रूप से अन्य उद्देश्यों के लिए या आंशिक रूप से शून्य दर वाली आपूर्ति सहित कर योग्य आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए उपयोग किया जाता है और आंशिक रूप से छूट वाली आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

व्यवसाय के उद्देश्यों या नियम में बताए गए तरीके से कर योग्य आपूर्ति को प्रभावी बनाने के लिए। धारा 17 की उप-धारा (1) में यह प्रावधान है कि जहां किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा माल और सेवाओं या दोनों का उपयोग आंशिक रूप से किसी व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए और आंशिक रूप से किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो ऋण की राशि निवेश कर के इतने हिस्से तक सीमित होगी जो उसके व्यवसाय के उद्देश्य के लिए जिम्मेदार है। उप-धारा 17 की धारा (2) में प्रावधान है

जहाँ माल या सेवाएँ या दोनों का उपयोग भारत के पंजीकृत संघ द्वारा किया जाता है।

वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड

यह निवेश कर के इतने हिस्से तक सीमित है जो शून्य दर वाली आपूर्ति सहित कर योग्य आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। नियम 42, दूसरे शब्दों में, उप-धारा (1) के तहत इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में आई. टी. सी. के आरोपण के तरीके का प्रावधान करता है। या धारा 17 का (2) निष्पादित किया जाएगा। नियम 43 इसी तरह उस तरीके का प्रावधान करता है जिसमें पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में आई. टी. सी. आकर्षित करता है।

धारा 17 की उप-धारा (1) के प्रावधान, जिनका आंशिक रूप से व्यवसाय के लिए और आंशिक रूप से अन्य उद्देश्यों के लिए या आंशिक रूप से प्रभावी होने के लिए उपयोग किया जाता है:

शून्य दर वाली आपूर्ति और आंशिक रूप से छूट वाली आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए कर योग्य आपूर्ति व्यवसाय के उद्देश्य या कर योग्य आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए आकर्षित होगी। दोनों नियम 42 और 43 एट्रिब्यूशन के लिए एक सूत्र प्रदान करते हैं। नियम 86 में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही के रखरखाव का प्रावधान है। नियम 89 (5) धनवापसी का प्रावधान करता है। नियम समूहों के दोनों समूहों में, एक ओर नियम 42 और 43 और दूसरी ओर नियम 89 (5), समामेलित होने के बाद के परिदृश्य

में आरोपण के उद्देश्य से एक सूत्र का उपयोग किया जाता है। इस तरह के सूत्रों का उपयोग मूल मानदंडों के तहत प्रत्यायोजित कानून सहित राजकोषीय कानून में एक परिचित क्षेत्र है और यह न तो अप्रिय है और न ही अधिकार से परे है। [पैरा 103] [271-जी; 272-ए-एफ]

7. जिन विचलनों को इंगित किया गया है, वे निश्चित रूप से इंगित करते हैं कि सूत्र सही नहीं है। सूत्र एक बनाता है

यह अनुमान कि आपूर्ति पर देय उत्पादन कर पूरी तरह से निवेश वस्तुओं के कारण संचित आई. टी. सी. से हटा दिया गया है और निवेश सेवाओं पर आई. टी. सी. का कोई उपयोग नहीं किया गया है। जबकि शून्य रेटेड आपूर्ति के संबंध में नियम 89 (4) में एक समान सूत्र प्रदान किया गया है, उस मामले में, 'नेट आईटीसी' में इनपुट माल और इनपुट सेवाएं शामिल हैं और इस प्रकार, कोई असंतुलन नहीं है।

हालांकि, नियम 89 (5) में निर्धारित कुल उत्पादन कर को आई. टी. सी. के केवल एक घटक, अर्थात् इनपुट पर आई. टी. सी. से घटाने का प्रयास करता है। सामान। हमारे विचार में यह वास्तविकता के विपरीत है, जहां इनपुट वस्तुओं और इनपुट सेवाओं दोनों पर आई. टी. सी. में जमा होता है।

इलेक्ट्रॉनिक खाता और फिर उत्पादन कर के भुगतान के लिए उपयोग किया जाता है। इस तरह की धारणा बनाने में, सूत्र दिए गए धनवापसी को कम करके शेष राशि को राजस्व के पक्ष में झुकाता है। हम इस तथ्य से समान रूप से अवगत हैं कि प्रस्तावित समाधान, [2021] 15 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इनपुट सेवाओं और इनपुट वस्तुओं पर संचित आई. टी. सी. के उपयोग का आदेश निर्धारित करने से शेष राशि पूरी तरह से निर्धारिती के पक्ष में झुक सकती है क्योंकि इससे विपरीत धारणा बनेगी कि इनपुट सेवाओं के कारण संचित आई. टी. सी. द्वारा उत्पादन कर का निर्वहन पूरी तरह से किया जाता है। एक अन्य संभावित समाधान यह हो सकता है कि नियम स्वयं ही धनवापसी की गणना के उद्देश्य से उत्पादन कर के भुगतान के लिए इनपुट सेवाओं पर आई. टी. सी. के एक निश्चित प्रतिशत के उपयोग की एक वैधानिक धारणा या एक काल्पनिक कल्पना प्रदान करता है। [पैरा 105] [273-ए-ई]

8. उपरोक्त न्यायिक उदाहरणों से संकेत मिलता है कि कराधान के क्षेत्र में, इस न्यायालय ने केवल पढ़ने के लिए हस्तक्षेप किया है या

एक सूत्र की व्याख्या करें यदि सूत्र बेतुके परिणामों की ओर ले जाता है या अव्यवहारिक है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, सूत्र अस्पष्ट या अव्यवहारिक नहीं है, और न ही यह अप्रयुक्त आई. टी. सी. के संचय पर सीमित धनवापसी देने में विधायिका के इरादे का विरोध करता है। यह केवल मामला है कि सूत्र के व्यावहारिक प्रभाव के परिणामस्वरूप कुछ असमानताएँ हो सकती हैं। उपयोग के आदेश को निर्धारित करके प्रस्तावित सूत्र को पढ़ना इस न्यायालय को सूत्र को फिर से तैयार करने के रास्ते पर ले जाएगा

और कार्यपालिका या विधायिका के बूते चला जाएगा, जो अस्वीकार्य है। तदनुसार, हम ऐसे मामले में विधायिका या उसके प्रतिनिधि के विवेक को अपने ज्ञान से बदलने से बचेंगे। हालांकि, निर्धारिती द्वारा बताई गई विसंगतियों को देखते हुए, हम जी. एस. टी. परिषद से फॉर्मूले पर पुनर्विचार करने का पुरजोर आग्रह करते हैं और उसी के संबंध में एक नीतिगत निर्णय लें। [पैरा 111] [280-डी-एफ]

वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया प्रा. लिमिटेड वी. भारत संघ

2019 का आर/विशेष सिविल आवेदन संख्या 2792 -

अस्वीकृत।

टीवीएल। ट्रांस्टननेलस्ट्रॉय एफकॉन्स संयुक्त उद्यम बनाम। भारत संघ की रिट याचिका संख्या 8596,8597,8602,8603,8605

और 2019 का 8608-पुष्टि की गई।

शहरी भूमि कर के सहायक आयुक्त बनाम।

बकिंघम एंड कर्नाटक कंपनी लिमिटेड (1969) 2 एस. सी. सी. 55: [1970] 1 एस. सी. आर. 268; फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम। भारत संघ (1989) 3 एस. सी. सी. भारत संघ बनाम।

वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. एल. टी. आई

634 [1989] 2 एससीआर 918; आर. के. गर्ग बनाम। भारत संघ (1981) 4 एससीसी 675: [1982] 1 एस. सी. आर. 947-अनुसरण किया गया।

एस. सुंदरम पिल्लई बनाम। वी आर पट्टाबिरमन (1958) 1 एस. सी. सी. 591; हीरालाल रतनलाल बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1973) 1 एस. सी. सी. 216: [1973] 2 एस. सी. आर. 502; भारत संघ बनाम। एन. आई. टी. डी. आई. पी. टेक्सटाइल प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड (2012) 1 एस. सी. सी. 226 [2011] 13 एस. सी. आर. 26; एल होटल एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड और

अन्य वी। भारत संघ (1989) 3 एससीसी 698: [1989] 2 एस. सी. आर. 880; स्पेन्स होटल प्राइवेट लिमिटेड बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य (1991) 2 एससीसी 154: [1991] 1 एस. सी. आर. 429; आयकर आयुक्त बनाम. एच. सी. एल. टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (2018) 16 एस. सी. सी. 709 [2018] 7 एस. सी. आर. 1079; अरुण कुमार और अन्य बनाम। भारत संघ (2007) 1 एससीसी 732: [2006] 6 पूरक। एस. सी. आर. 290-पर निर्भर था।

मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। भारत संघ (1997) 5 एस. सी. सी. 536 [1996] 10 पूरक। एस. सी. आर. 585; अखिल भारतीय

फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स v. भारत संघ (2007) 7 एससीसी 527: [2007] 9 एस. सी. आर. 147; एसोसिएशन ऑफ लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज v. भारत संघ

(2011) 2 एस. सी. सी. 352 [2010] 13 एस. सी. आर. 381; सी. आई. टी. बनाम बिपिनचंद्र मगनलाल ए. आई. आर 1961 एस. सी. 1040: [1961] एस. सी. आर. 493; राजस्थान राज्य बनाम लीला जैन एयर 1965 एससी 1296 [1965] एससीआर 276; बिहार सहकारी डेवलपमेंट केन मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड बनाम बैंक ऑफ बिहार ए. आई. आर 1967 एस. सी. 389: [1967] एस. सी. आर. 848; जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम त्रिलोकी नाथ खोसा (1974) 1 एस. सी. सी. 19: [1974] 1 एस. सी. आर. 771; विशेष न्यायालय विधेयक 1978 (1979) 1 एस. सी. सी. 380: [1979] 2 एससीआर 476; सहायक

वाणिज्यिक कर आयुक्त (सहायक) v. धर्मेंद्र ट्रेडिंग कंपनी (1988) 3 एससीसी 570 [1988] 3 एससीआर 946 ; केरल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम। इंडियन एलुवियम कंपनी लिमिटेड (1976) 1 एस. सी. सी. 466: [1976] 1 एस. सी. आर. 552; भारत हरि सिंघानिया बनाम। धन कर आयुक्त (केंद्रीय) (1994) 3 पूरक। एससीसी 46 [1994] 1 एससीआर 1033;

आयकर आयुक्त, कोयंबटूर बनाम। लक्ष्मी मशीन वर्क्स (2007) 11 एस. सी. सी. 126 [2007] 5 एस. सी. आर. 622 संदर्भित।

[202

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

[1996] 10 पूरक। एससीआर 585

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2007] 9 एससीआर 147

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2010] 13 एससीआर 381

संदर्भित किया गया है

पैरा 5

(1958) 1 एस. सी. सी. 591

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1973] 2 एससीआर 502

उस पर भरोसा करें

पैरा सी

[1961] एससीआर 493

पैरा सी

संदर्भित किया गया है

[1965] एससीआर 276

संदर्भित किया गया है

पैरा सी

[1967] एससीआर 848

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1974] 1 एससीआर 771

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1979] 2 एससीआर 476

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1970] 1 एससीआर 268

पीछा किया।

पैरा

[1989] 2 एससीआर 918

पीछा किया।

पैरा '

[2011] 13 एससीआर 26

उस पर भरोसा करें

पैरा

[1988] 3 एससीआर 946

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1989] 2 एससीआर 880

उस पर भरोसा करें

पैरा "

[1991] 1 एससीआर 429

उस पर भरोसा करें

पैरा

[1976] 1 एससीआर 552

संदर्भित किया गया है

पैरा 9

[1994] 1 एससीआर 1033

पैरा 9

संदर्भित किया गया है

[2007] 5 एससीआर 622

संदर्भित किया गया है

पैरा 9

[1982] 1 एससीआर 947

पीछा किया।

पैरा

[2018] 7 एससीआर 1079

उस पर भरोसा करें

पैरा I

[2006] 6 पूरक। एससीआर 290

उस पर भरोसा करें

पैरा I

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल ऐप

2021 से।

टी के 24.07.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 के एस. सी. ए. No.2792 में अहमदाबाद में गुजरात राज्य सरकार द्वारा।

भारत संघ के साथ v. वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड

सिविल अपील सं। 4809 , 4811 , 4807 , 4767 , 4804 , 4806 , 4802 , 4783 ,

4775-4781,4769-4744 , 4805 , 4808 , 4764-4765 2021 की और 2021 की रिट याचिका (सी) संख्या 489।

एन. वेंकटरमन, ए. एस. जी. बलबीर सिंह, ए. ए. जी. अमित आनंद तिवारी,

अरविंद दातार, वी. श्रीधरन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , मुकेश कुमार मरोरिया, श्याम गोपाल, सुश्री बीनू टम्टा, एम. योगेश कन्ना, जोसेफ पुक्कट्ट, प्रशांत कुमार, नीलेश शर्मा, धवेश पहुजा, मेसर्स एपी एंड जे चैम्बर्स, डॉ. अविनाश पोद्दार, अनंत कुमार वत्सया, देवेंद्र सिंह, नरेश ठाकरे, कुमार विशालक्ष, हार्दिक

मोध, उदित जैन, अमित लड्डा, अभिषेक विकास, हरीश बिंदुमदवन, पवनश्री अग्रवाल, राहुल उन्नीकृष्णन, अश्विनी चंद्रशेखरन, शर्याश्री त्यागराजन, मनोहरन एलप्पन, जी. नटराजन, कार्तिक जिंदल, अनंत गौतम, निपुण शर्मा, मधुर तेवतिया, राजेश कुमार गौतम, महेश अग्रवाल, पी. आर. रंगनाथ, रोहन तलवार, शांतनु शर्मा, चिनमयी चंद्र, बी. कृष्ण प्रसाद, बी. वी. बलराम दास, सुजीत घोष, कृष्ण राव, अजिंका तिवारी, निकिलेश रामचंद्रन, सुश्री चरण्या लक्ष्मीकुमारन, अंकित यादव, सुश्री वीणा कामत, रत्नेश शर्मा, उचित सेठ, संतोष कृष्णन, आनंद नैनवती, आदित्य भट्टाचार्य, सुश्री अपेक्षा मेहता।

श्रीराम श्रीधरन, सोमेश जैन, नलिन बजाज, ई. सी. अग्रवाल, विनय श्राफ, रवि भारुका, अंकित अग्रवाल, संदीप गोयल, डॉ. जोसेफ अरिस्टोटल एस., साकेत कासिभटला, सुश्री प्रीति सिंह, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

सूचकांक *

ए.

परिचय.

..... 5

तथ्यात्मक बैकड्रॉप

बी.

6

सांविधिक प्रावधान।

एस.

8

... . 12

डी.

प्रस्तुतियाँ

D. 1 भारत संघ।

... . 12

घ. 2 भाग 2-धारा 54 (3) की व्याख्या।

डी. 1.3। भाग III-कानूनी प्रस्ताव

..... 19

... . 21

डी. 2 मूल्यांकनकर्ता।

* एड। ध्यान दें: सूचकांक में पृष्ठांकन मूल निर्णय के अनुसार है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डी. 3 भारत संघ द्वारा प्रत्युत्तर

..... 58

ई.

जी. एस. टी. की संवैधानिक योजना

... . 60

..... 68

एफ.

सी. जी. एस. टी. अधिनियम

..... 68

एफ. 1 परिभाषाएँ।

एफ. 2 सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 16 और धारा 49।

एफ. 3 सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 54 (3) की व्याख्या।

..... 93

एफ. 5 संवैधानिक वैधताः अति अधिकार सिद्धांत। 102

नियम 89 (5)।

... . 111

जी.

जी1 सी. जी. एस. टी. नियमों के नियम 89 (5) की वैधता

धारा 164 के तहत नियम बनाने की शक्ति

सी. जी. एस. टी. अधिनियम

..... 112

जी2 नियम 89 (5) बनाम धारा 54 (3) के अधिकार

..... 114

सी. जी. एस. टी. अधिनियम

जी. 3 नियम 89 (5) 118 में निर्धारित सूत्र की वैधता

एच.

निष्कर्ष।

134

एक परिचय

1. संसद में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर लागू करते समय

अधिनियम 2017,1 में धारा 54 में कर वापसी का प्रावधान शामिल किया गया है। उप-धारा (3) में अप्रयुक्त निवेश कर क्रेडिट 2 की वापसी के लिए एक प्रावधान शामिल है:

((i) कर के भुगतान के बिना की गई शून्य श्रेणी की आपूर्ति; और ((ii) निवेश पर कर की दर के कारण ऋण संचय

उत्पादन आपूर्ति पर कर की दर से अधिक "।

2. उपरोक्त दो में से उत्तरार्द्ध में धनवापसी की परिकल्पना करते हुए

परिस्थितियों में, संसद इस तथ्य से अवगत थी कि आई. टी. सी. विभिन्न कारणों से जमा हो सकता है। हालांकि, संसद ने एक विशिष्ट स्थिति की परिकल्पना की जहां ऋण एक उल्टे शुल्क संरचना के कारण जमा हुआ है, यही वह जगह है जहां आईटीसी का संचय इसलिए होता है क्योंकि निवेश पर कर की दर उत्पादन आपूर्ति पर कर की दर से अधिक होती है। लेना।

1 " सी. जी. एस. टी. अधिनियम

2 " आई. टी. सी. "यूनियन ऑफ इंडिया बनाम. वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

इस स्थिति के विधायी नोट के लिए, धारा 54 (3) में धनवापसी का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम 2017 3 को सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 164 द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति के अनुसरण में तैयार किया गया है। नियम 89 (5) आईटीसी के रिफंड के लिए एक सूत्र प्रदान करता है, "उल्टे शुल्क संरचना के कारण रिफंड के मामले में"। उक्त सूत्र "नेट आईटीसी" शब्द का उपयोग करता है। "शुद्ध आई. टी. सी". शब्द को परिभाषित करते हुए नियम 89 (5) "निवेश पर प्राप्त निवेश कर क्रेडिट" की बात करता है।

बी तथ्यात्मक बैकड्रॉप

3. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत लिखित याचिकाएं थीं -

गुजरात के उच्च न्यायालय और मद्रास में उच्च न्यायालय के समक्ष स्थापित। उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ प्रस्तुत किया कि

(i) धारा 54 (3) आई. टी. सी. की वापसी की अनुमति देती है जहाँ

संचय एक उल्टे शुल्क संरचना के कारण होता है;

(iii) आई. टी. सी. में आपूर्ति पर लगाए गए इनपुट कर का क्रेडिट शामिल है।

वस्तुओं और सेवाओं के साथ-साथ;

(iv) धारा 54 (3) धनवापसी की पात्रता को केवल अप्रयुक्त आई. टी. सी. तक सीमित नहीं करती है जो उत्पादन आपूर्ति पर कर की दर से अधिक निवेश पर कर की दर के कारण जमा होती है। यह अप्रयुक्त आई. टी. सी. की वापसी की भी अनुमति देता है जब इनपुट सेवाओं पर कर की दर उत्पादन आपूर्ति पर कर की दर से अधिक होती है।

(v) जबकि धारा 54 (3) निवेश के साथ-साथ निवेश सेवाओं में उत्पन्न होने वाले आई. टी. सी. के रिफंड की अनुमति देती है, नियम 89 (5) अब तक अधिकार से बाहर है क्योंकि इसमें निवेश सेवाओं पर कर को निम्न के दायरे से बाहर रखा गया है -

सूत्र; और

(vi) यदि धारा 54 (3) की व्याख्या संचित आई. टी. सी. की वापसी के दावे के खिलाफ प्रतिबंध के रूप में की जाती है और इसे केवल निवेश पर कर तक सीमित रखा जाता है, तो यह असंवैधानिक होगा क्योंकि इससे निवेश और निवेश सेवाओं के बीच भेदभाव होगा।

4. वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया में 24 जुलाई 2020 के अपने फैसले के अनुसार

प्रा. लिमिटेड वी. भारत संघ ", गुजरात उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" नियम 89 (5) का स्पष्टीकरण (क) जो धन वापसी से इनकार करता है। " उल्टा शुल्क संरचना के कारण संचित "इनपुट टैक्स क्रेडिट" के हिस्से के रूप में "इनपुट सेवाओं" पर भुगतान किया गया अप्रयुक्त इनपुट कर सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 54 (3) के प्रावधान से परे है।

इसलिए उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह गणना के उद्देश्य से "नेट आईटीसी" के हिस्से के रूप में इनपुट सेवाओं पर अप्रयुक्त आईटीसी पर विचार करते हुए याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए धनवापसी के दावे की अनुमति दे।

धारा 54 (3) को आगे बढ़ाते हुए नियम 89 (5) के संदर्भ में धनवापसी।

5. 21 सितंबर 2020 के अपने फैसले के अनुसार, टीवीएल में।

ट्रांस्टननेलस्ट्रॉय एफकॉन्स संयुक्त उद्यम बनाम। भारत संघ और संबंधित मामलों में मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ गुजरात उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण पर ध्यान देने के बाद एक विपरीत निष्कर्ष पर पहुंची, जिसका पालन करने से उसने इनकार कर दिया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि

" 63 .....

(1) धारा 54 (3) (ii) अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करती है। (2) धनवापसी एक वैधानिक अधिकार है और धनवापसी के लाभ का विस्तार केवल उन अप्रयुक्त ऋण पर किया जाता है जो निवेश वस्तुओं पर कर की दर के कर की दर से अधिक होने के कारण जमा होता है।

अप्रयुक्त निवेश कर क्रेडिट को छोड़कर उत्पादन की आपूर्ति जो इनपुट सेवाओं के कारण संचित होना एक वैध वर्गीकरण और विधायी शक्ति का एक वैध प्रयोग है।

6. नियम 89 (5) की वैधता को इस आधार पर चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया कि यह धारा 54 (3) (ii) के अधिकार से बाहर है। द.

एक ओर गुजरात उच्च न्यायालय और दूसरी ओर मद्रास उच्च न्यायालय के विचारों के बीच विचलन, अपीलों के इस समूह का विषय है।

सी सांविधिक प्रावधान

7. सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 54 में कुल्हाड़ी की वापसी का प्रावधान है। धारा 54 की उप-धारा (1) के तहत, "ऐसे कर या भुगतान की गई किसी अन्य राशि पर भुगतान किए गए कर और ब्याज, यदि कोई हो" के रिफंड का दावा करने वाले व्यक्ति को संबंधित तिथि के दो साल के भीतर आवेदन करना होगा। धारा 54 (3)

अप्रयुक्त आई. टी. सी. के धनवापसी के दावे का प्रावधान है। धारा 54 की उप-धारा (1) और (3) में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

5 2019 की रिट याचिका संख्या 8596,8597,8602,8603,8605 और 8608 भारत का एन. आई. ओ. एन. बनाम।

वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

" धारा 54। कर की वापसी

(1) किसी भी कर और ब्याज, यदि कोई हो, के रिफंड का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति भुगतान करता है।

ऐसे कर या उसके द्वारा भुगतान की गई किसी अन्य राशि पर, संबंधित तिथि से दो साल की समाप्ति से पहले आवेदन

ऐसे प्रपत्र और तरीके से जो निर्धारित किया जाए: बशर्ते कि एक पंजीकृत व्यक्ति, जो किसी भी शेष राशि की वापसी का दावा कर रहा हो

के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में

धारा 49 की उप-धारा (6), वापसी में ऐसे धनवापसी का दावा कर सकती है।

धारा 39 के अधीन ऐसी रीति से प्रस्तुत किया जाए जो विहित की जाए।

[.....]

(3) उप-धारा (10) के प्रावधानों के अधीन, एक पंजीकृत व्यक्ति

के अंत में किसी भी अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड का दावा कर सकते हैं कोई भी कर अवधि:

बशर्ते कि अप्रयुक्त निवेश कर क्रेडिट की कोई वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी इसके अलावा अन्य मामलों में

(i) कर के भुगतान के बिना की गई शून्य दर वाली आपूर्ति; ((ii) जहां कर की दर के कारण ऋण जमा हुआ है।

उत्पादन आपूर्ति पर कर की दर से अधिक निवेश होने पर

(शून्य रेटेड या पूरी तरह से छूट वाली आपूर्ति के अलावा), आपूर्ति को छोड़कर

जिन वस्तुओं और सेवाओं या दोनों को अधिसूचित किया जा सकता है परिषद की सिफारिशों पर सरकार:

बशर्ते कि अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई रिफंड नहीं होगा उन मामलों में अनुमति दी जाए जहां भारत से बाहर निर्यात की जाने वाली वस्तुएँ

निर्यात शुल्क के अधीन: बशर्ते कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की कोई वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि

माल या सेवाओं का आपूर्तिकर्ता या दोनों में कमी का लाभ उठाता है।

केंद्रीय कर का सम्मान या भुगतान किए गए एकीकृत कर की वापसी का दावा

ऐसी आपूर्ति पर "।

8. नियम 89 को मूल रूप से सी. जी. एस. टी. नियमों में शामिल किया गया था।

वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम 2017,

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। नियम 89 (4) और नियम 89 (5) निम्नलिखित शब्दों में थे:

" (4) [.....]

(ख) "शुद्ध आई. टी. सी". का अर्थ है निवेश पर प्राप्त निवेश कर क्रेडिट।

संबंधित अवधि के दौरान इनपुट सेवाएं;

(ई) "समायोजित कुल कारोबार" का अर्थ है किसी राज्य में कारोबार या धारा की उप-धारा (112) के तहत परिभाषित एक केंद्र शासित प्रदेश

2 , शून्य-मूल्यांकन के अलावा छूट प्राप्त आपूर्ति के मूल्य को छोड़कर

संबंधित अवधि के दौरान आपूर्ति;

इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड निम्नलिखित के अनुसार दिया जाएगा: सूत्र: -

अधिकतम धनवापसी राशि = {(इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई का टर्नओवर)

वस्तुओं का) x शुद्ध आई. टी. सी. ± समायोजित कुल कारोबार}? देय कर वस्तुओं की ऐसी उल्टे मूल्यांकन वाली आपूर्ति

व्याख्या: - इस उप नियम के प्रयोजनों के लिए,

"शुद्ध आई. टी. सी". और "समायोजित कुल कारोबार" शब्द होंगे।

उनके वही अर्थ हैं जो उन्हें उप-नियम में दिए गए हैं

(4) . "

(जोर दिया गया)

9. 18 अप्रैल 2018 को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (चौथा)

संशोधन) नियम 20187 को अधिसूचित किया गया था। नियम 89 (5) को निम्नलिखित शर्तों में संशोधित किया गया था:

" (5) . उल्टे शुल्क संरचना के कारण धनवापसी के मामले में,

इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड निम्नलिखित के अनुसार दिया जाएगा:

सूत्र: अधिकतम धनवापसी राशि = {(इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई का टर्नओवर)

वस्तुओं और सेवाओं का) x शुद्ध आई. टी. सी. ± समायोजित कुल कारोबार}?

वस्तुओं और सेवाओं की ऐसी उल्टे रेटेड आपूर्ति पर देय कर।

व्याख्या: - इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्तियाँ

' अधिसूचना No.21/2018-भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय बोर्ड अप्रत्यक्ष कर और भारत का सीमा शुल्क संघ v.

वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

(क) "शुद्ध आई. टी. सी". का अर्थ होगा निवेश पर प्राप्त निवेश कर क्रेडिट।

इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा प्रासंगिक अवधि के दौरान जिसके लिए धनवापसी का दावा उप-नियम 4 (ए) के तहत किया जाता है

या (4 ख) या दोनों; और

(ख) "समायोजित कुल कारोबार" का वही अर्थ होगा जो

इसे उप-नियम (4) में सौंपा गया है।

(जोर दिया गया)

संशोधन संभावित प्रभाव के साथ था। नियम 89 (5), जैसा कि

वर्तमान में, 13 जून 2018 को केंद्रीय वस्तुओं द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था

सेवा कर (पाँचवाँ संशोधन) नियम 20188। संशोधन द्वारा,

89 (5) 1 जुलाई से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ प्रतिस्थापित किया गया था

निम्नलिखित शब्दों में:

(5) , निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्: " (5) उल्टे शुल्क संरचना के कारण धनवापसी के मामले में,

इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड निम्नलिखित के अनुसार दिया जाएगा:

सूत्र:

अधिकतम धनवापसी राशि = {(उल्टे रेटेड आपूर्ति का कारोबार)

वस्तुओं और सेवाओं का) x शुद्ध आई. टी. सी. ± समायोजित कुल कारोबार}?

वस्तुओं और सेवाओं की ऐसी उल्टे रेटेड आपूर्ति पर देय कर।

व्याख्या: - इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्तियाँ

(क) शुद्ध आई. टी. सी. का अर्थ होगा निवेश पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट।

इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा प्रासंगिक अवधि के दौरान जिसके लिए धनवापसी का दावा उप-नियम 4 (ए) के तहत किया जाता है

या (4 ख) या दोनों; और

(ख) समायोजित कुल कारोबार का वही अर्थ होगा जो

इसे उप-नियम (4) में सौंपा गया है। " " "

(जोर दिया गया)

उपरोक्त अनुक्रम इंगित करता है कि अभिव्यक्ति की परिभाषा

नियम 89 (5) में आई. टी. सी. का मूल रूप से अर्थ था "इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया गया।

और निवेश सेवाएँ "। 18 अप्रैल 2018 के संशोधन द्वारा,

'शुद्ध आई. टी. सी.' को प्रतिस्थापित किया गया ताकि आई. टी. सी. का लाभ उठाया जा सके। आईसीएशन No.26/2018-भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा केंद्रीय कर, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के राजस्व का भुगतान [2021] 15 एस. सी. आर.

संभावित प्रभाव के साथ निवेश। 13 जून 2018 को इस परिभाषा को 1 जुलाई 2017 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ लागू किया गया था।

10. प्रस्तुतियों का विश्लेषण करने और विचार के लिए बिंदुओं को तैयार करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, शुरुआत में जोर देना आवश्यक है। कि वर्तमान मामलों के समूह में मुख्य मुद्दों में से एक सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 54 (3) (ii) में "इनपुट" अभिव्यक्ति की व्याख्या और संशोधित नियम 89 (5) में "नेट आई. टी. सी". की परिभाषा पर निर्भर करेगा। प्रस्तुतियों के दौरान, स्पष्टता बनाए रखने के हित में, दोनों पक्षों के वकील ने निवेश के रूप में उपयोग की जाने वाली सेवाओं से निपटने के दौरान निवेश और 'निवेश सेवाओं' के रूप में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं से निपटने के दौरान 'निवेश वस्तु' अभिव्यक्ति का उपयोग किया। हम उन वस्तुओं के बीच अंतर करते हुए वैचारिक स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए एक ही सूत्रीकरण का उपयोग करने का प्रस्ताव करते हैं जो

इनपुट्स और सेवाओं के रूप में उपयोग किया जाता है जिनका उपयोग इनपुट्स के रूप में किया जाता है। इस प्रस्तावना के साथ, अब हम पक्षों की प्रस्तुतियों से निपटने के लिए आगे बढ़ेंगे।

डी प्रस्तुतियाँ

डी. 1 भारत संघ D. 1 भाग I- वस्तुओं और सेवाओं के बीच अंतर

11. श्री एन वेंकटरमन, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र सरकार की ओर से तर्कों का नेतृत्व किया

गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय की शुद्धता (और मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन करना)। श्री वेंकटरमन ने आग्रह किया कि:

((i) वस्तुएँ और सेवाएँ संवैधानिक स्तर पर अलग-अलग हैं। संविधान का अनुच्छेद 366 (12) वस्तुओं को परिभाषित करता है, जबकि धारा 366 (26ए) सेवाओं को परिभाषित करती है। सी. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत, धारा 2 (59) में 'निवेश' का अर्थ है पूंजीगत वस्तुओं के अलावा अन्य मूर्त वस्तुएं, जबकि दूसरी ओर धारा 2 (60) में 'निवेश सेवा' का अर्थ है किसी आपूर्तिकर्ता द्वारा व्यवसाय के लिए उपयोग की जाने वाली या उपयोग करने का इरादा रखने वाली कोई भी सेवा। इसलिए, 'माल' और 'सेवाएँ' और 'निवेश' और 'निवेश सेवाएँ' अलग हैं।

परिभाषाएँ;

(ii) अनुच्छेद 366 (12ए) 'वस्तु और सेवा कर' को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति पर करों को छोड़कर वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर कोई भी कर;

9 " ए. एस. जी. "एन. आई. ओ. एन. ऑफ इंडिया बनाम। वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

(iii) अनुच्छेद 246 ए, जो कराधान की शक्ति के स्रोत का पता लगाता है और कराधान के क्षेत्रों की पहचान करता है, संसद को सशक्त बनाता है,

राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक साथ कर लगाएंगे। नतीजतन, हालांकि वस्तुओं और सेवाओं को एक सामान्य संहिता के तहत कर के दायरे में लाया जाता है, संविधान और कानून दोनों ने एक अंतर बनाए रखा है

वस्तुओं और सेवाओं के बीच। वे अलग रहते हैं

पर्चे, उपचार और व्याख्या;

(iv) धारा 2 (62) और धारा 2 (63) 'इनपुट टैक्स' और 'इनपुट टैक्स क्रेडिट' को परिभाषित करती है जिसमें वस्तुओं (इनपुट वस्तुओं) पर भुगतान किए गए कर शामिल हैं।

सी. जी. एस. टी., राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 1 0 और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 1 1 के तहत सेवाएँ (निवेश सेवाएँ);

(v) निवेश कर का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लगाया जाने वाला कर। ये धारा 2 (83) के तहत परिभाषित अपनी बाहरी आपूर्ति पर एक आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान किए गए कर हैं जो धारा 2 (67) के तहत प्राप्तकर्ता के लिए आंतरिक आपूर्ति बन जाते हैं; और

(vi) इनपुट वस्तुओं और इनपुट सेवाओं दोनों पर करों को एकीकृत करने की आवश्यकता है ताकि वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर आगे क्रॉस उपयोग के लिए एकल पूल पर क्रेडिट को सक्षम किया जा सके। D. 2 भाग 2-धारा 54 (3) की व्याख्या

(i) धारा 54 (3) की संरचना इस प्रकार है:

(क) प्रारंभिक खंड एक पंजीकृत व्यक्ति को धनवापसी का दावा करने की अनुमति देता है।

किसी भी कर अवधि के अंत में किसी भी अप्रयुक्त आई. टी. सी. का।

(ख) मुख्य खंड अनुमति देता है:

आई. एक दावा;

ii. वापसी की प्रकृति में;

iii. किसी भी अप्रयुक्त आई. टी. सी. का; और

iv. कर अवधि के अंत में।

((ii) धारा 54 (3) में तीन परंतुक हैं, जिनमें से पहला परंतुक इस मामले में व्याख्या के लिए आता है। तीनों प्रावधानों में समान विशेषताएं हैं जो इंगित करती हैं कि ये प्रावधान

एसटी अधिनियम "

प्रतिबंधों की प्रकृति में हैं और शर्तों में नहीं (या योग्यताएँ);

धारा 54 (3) के प्रावधानों का अर्थ इस प्रकार लगाया जाना चाहिए - निम्नलिखित कारणों से प्रतिबंध:

(क) धारा के मुख्य खंड में प्रयुक्त अभिव्यक्ति

54 (3) 'दावा' है जबकि प्रावधान 'अनुमत' अभिव्यक्ति के उपयोग से इस दायरे को प्रतिबंधित करते हैं। अभिव्यक्ति

' अनुमत 'तीनों प्रावधानों में दिखाई देता है;

(ख) धारा 54 (3) के मुख्य खंड में "कोई भी अप्रयुक्त आई. टी. सी". अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। दूसरी ओर, अभिव्यक्ति 'कोई भी' सभी प्रावधानों में इसकी अनुपस्थिति से विशिष्ट है;

(ग) धारा 54 (3) का मुख्य खंड इस अभिव्यक्ति का उपयोग करता है कि "एक पंजीकृत व्यक्ति धनवापसी का दावा कर सकता है" जबकि दूसरी ओर

हाथ में, तीन प्रावधानों ने एक प्रतिबंधात्मक अभिव्यक्ति या एक नकारात्मक अभिव्यक्ति को नियोजित किया है, अर्थात, "कोई धनवापसी नहीं। अप्रयुक्त आई. टी. सी. को अनुमति दी जाएगी।

(घ) जब मुख्य खंड में 'कोई भी' अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से इस अभिव्यक्ति के उपयोग से प्रतिबंधित है कि 'इसके अलावा अन्य मामलों में अप्रयुक्त आईटीसी की कोई वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी'। दूसरे शब्दों में, अभिव्यक्ति 'किसी भी' को सीमित कर दिया गया है

" "के अलावा; और

(ङ) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, धारा 54 (3) के तहत प्रावधानों को योग्यता के रूप में नहीं, बल्कि प्रतिबंधों के रूप में पढ़ा और व्याख्या की जानी चाहिए;

) पहला परंतुक अप्रयुक्त आई. टी. सी. की वापसी को केवल दो स्थितियों तक सीमित करता है और बाद के दो परंतुक इसे पहले परंतुक में दोनों में से एक श्रेणी तक सीमित करते हैं। पहले परंतुक में जिन दो स्थितियों पर विचार किया गया था

कठोर अंतरों के साथ विपरीत परिस्थितियाँ:

(क) पहले परंतुक का उपखंड (i) शून्य दर वाली आपूर्ति से संबंधित है जो निर्यात हैं। वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात पर कर नहीं लगता है। इसलिए, निर्यात की गई वस्तुओं या सेवाओं पर या इनपुट वस्तुओं/इनपुट सेवाओं पर या ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में उपयोग किए जाने वाले दोनों पर भुगतान किए गए करों को पूरी तरह से वापस करने की आवश्यकता है।

वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

(ख) हालांकि, पहले परंतुक का उपखंड (ii) घरेलू आपूर्ति से संबंधित है जो कर योग्य बाहरी आपूर्ति है, जिसके संबंध में संसद ने धनवापसी की अनुमति देने का विकल्प चुना है।

केवल ऋण की सीमा तक अप्रयुक्त आई. टी. सी.

निवेश पर कर की दर के कारण संचित;

एक निर्दिष्ट द्वारा इनपुट माल और इनपुट सेवाओं को शामिल करना पंजीकृत व्यक्ति, निम्नलिखित कारणों से:

(क) प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'ऋण' है और संचय केवल 'निवेश' के कारण प्रतिबंधित है। इसे इनपुट सेवाओं और पूंजी को शामिल करने के लिए पढ़ा या व्याख्या नहीं किया जा सकता है।

सामान;

(ख) परंतुक धनवापसी के अनुदान को केवल दो तक सीमित करता है।

परिस्थितियों और इसलिए सीमा को पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि यह इनपुट सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं तक विस्तारित किए बिना है, विशेष रूप से क्योंकि विधायिका ने उन्हें शामिल नहीं किया है;

(ग) यदि इरादा इनपुट सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं के अलावा इनपुट वस्तुओं के कारण अप्रयुक्त आई. टी. सी. के रिफंड की अनुमति देना था, तो इस तरह के इरादे से अवगत कराया जाता।

वैधानिक भाषा के माध्यम से, जो गायब है;

(घ) 'क्रेडिट' शब्द को 'इनपुट' के साथ पढ़ा जाना चाहिए और इसे इनपुट सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं के लिए भी धनवापसी के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है, जिनका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।

परंतुक में;

(ई) उपखंड (ii) में 'क्रेडिट' केवल इसके साथ जा सकता है

अभिव्यक्ति 'निवेश' और किसी भी के संचय को बाहर करता है निवेश सेवाओं या पूँजी पर कर की दर के कारण ऋण

सामान;

(च) जब कोई स्पष्ट समावेशन केवल 'निवेश' से उत्पन्न होने वाले ऋण संचय तक सीमित है, तो वैधानिक प्रावधान के बावजूद निवेश सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं को शामिल करने की अनुमति नहीं होगी। कानून में जो शामिल नहीं किया गया है, उसे इसके माध्यम से शामिल नहीं किया जाना चाहिए -

न्यायिक व्याख्या;

i) संसद ने इस अभिव्यक्ति को क्यों अपनाया है

' धारा 54 (3) और [2021] 15 एस. सी. आर. के मुख्य भाग में अप्रयुक्त आई. टी. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पहला परंतुक, लेकिन केवल अभिव्यक्ति को नियोजित करने के लिए चुना है

' इनपुट्स इस प्रकार हैं:

(क) उपयोग में भी मुख्य प्रावधान और पहले परंतुक के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है

अभिव्यक्ति 'अप्रयुक्त आईटीसी'। मुख्य धारा में 'कोई भी' अभिव्यक्ति पहले परंतुक में इस सीमा के साथ अनुपस्थित है कि 'अप्रयुक्त आई. टी. सी.' की वापसी परंतुक में निर्दिष्ट केवल दो परिस्थितियों तक सीमित है;

(ख) पहली स्थिति शून्य के कारण धनवापसी से संबंधित है।

रेटेड आपूर्ति जो निर्यात हैं जहां इनपुट वस्तुओं, इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गए सभी करों पर धनवापसी दी जाती है, जिसमें शामिल हैं

निर्यात आपूर्ति पर भुगतान किए गए कर। इस बात से पता चलता है कि

स्पष्टीकरण-I से लेकर धारा 54 (3) तक जहां अभिव्यक्ति धनवापसी

उपरोक्त की अनुमति देता है;

(ग) हालांकि, जब एक उल्टे शुल्क कर संरचना की बात आती है, तो धनवापसी केवल एक श्रेणी तक सीमित होती है, जिसका नाम है 'क्रेडिट'।

निवेश पर कर की दर के कारण संचित;

(घ) 'अप्रयुक्त आई. टी. सी.' अभिव्यक्ति में इनपुट वस्तुओं और इनपुट सेवाओं दोनों पर भुगतान किए गए कर शामिल हो सकते हैं, और पहले परंतुक और मुख्य खंड को अनिवार्य रूप से शून्य-मूल्यांकन का ध्यान रखने के लिए 'अप्रयुक्त आई. टी. सी.' अभिव्यक्ति का उपयोग करना होगा।

आपूर्ति जो पहली श्रेणी के तहत निर्यात हैं;

(ई) जब एक उल्टे कर ढांचे की बात आती है, तो यह केवल 'निवेश' तक सीमित होता है। यह एक सामान्य तथ्य है कि इनपुट सेवाओं से उत्पन्न अप्रयुक्त ऋण भी इसमें भाग लेता है।

अप्रयुक्त आई. टी. सी.

(च) संसद ने मुख्य खंड और पहले परंतुक दोनों में 'अप्रयुक्त आई. टी. सी.' शब्द का उपयोग शून्य मूल्यांकित आपूर्ति और 'निवेश' से उत्पन्न होने वाले लोगों को प्रतिबंधित धनवापसी से निपटने के लिए किया है।

संरचना;

(छ) संसद मुख्य खंड और पहले परंतुक में 'निवेश' अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं कर सकती थी क्योंकि यह शून्य दर वाली आपूर्ति के लिए अक्षमता के रूप में कार्य करेगी जहां संसद ने इरादा किया था।

इनपुट वस्तुओं और इनपुट सेवाओं दोनों से उत्पन्न धनवापसी प्रदान करना; भारत सरकार v.

वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] 0 इसलिए संसद ने उचित रूप से नियोजित किया है

मुख्य खंड और पहले परंतुक में 'अप्रयुक्त आई. टी. सी.' अभिव्यक्ति और उल्टे में पहले परंतुक के उपखंड (ii) में सीमित अभिव्यक्ति 'निवेश' का उपयोग किया गया है।

संरचना;

स्पष्टीकरण-I से लेकर धारा 54 (3) तक धन वापसी को तीन भागों में परिभाषित करता है:

) जब निर्यात पर शून्य रेटेड आपूर्ति की बात आती है, तो यह 'इनपुट', 'इनपुट सेवाओं' और भुगतान किए गए करों को भी रिफंड देता है

वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की शून्य रेटेड आपूर्ति पर;

जब डीम्ड निर्यात की बात आती है, तो यह धनवापसी को प्रतिबंधित करता है

केवल माल की आपूर्ति पर कर;

) जब उल्टे ढांचे की बात आती है, तो यह धारा 54 (3) के परंतुक में दिए गए प्रावधान के अनुसार इसे सीमित करता है। धारा 54 (3) के परंतुक को एक प्रतिबंध के रूप में पढ़ने का यह एक और कारण है न कि योग्यता के रूप में। यदि संसद का इरादा उल्टे कर ढांचे के मामले में भी इनपुट वस्तुओं और इनपुट सेवाओं दोनों से उत्पन्न धनवापसी प्रदान करना था, तो उसने स्पष्टीकरण-I में शून्य दर वाली आपूर्ति के बराबर धनवापसी को परिभाषित किया होगा और इसे केवल एक स्थिति तक सीमित करने की आवश्यकता नहीं थी कि ऋण संचय के कारण उत्पन्न होता है -

' इनपुट '।

. भाग III-कानूनी प्रस्ताव

संविधान के अनुच्छेद 265 में प्रावधान है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा। इन मामलों में कर लगाने या संग्रह करने में कोई चुनौती नहीं होने के कारण केंद्र सरकार के खजाने में करों का भुगतान किया जाता है

या राज्य संघ/राज्यों की संपत्ति बन जाते हैं;

करों की वापसी न तो मौलिक अधिकार है और न ही

संवैधानिक अधिकार। संविधान केवल इस बात की गारंटी देता है कि शुल्क कानूनी होना चाहिए और यह कि संग्रह में होना चाहिए

कानून के अनुसार। कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है धनवापसी। धनवापसी हमेशा एक वैधानिक प्रिस्क्रिप्शन का मामला होता है और शर्तों के अधीन क़ानून द्वारा विनियमित किया जा सकता है।

और सीमाएँ;

यहां तक कि एक अवैध लेवी या लेवी के मामले में जो है असंवैधानिक, [2021] 15 एस. सी. आर. में नौ न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय।

मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। भारत संघ 1 2 आयोजित

कि धनवापसी का अधिकार स्वचालित नहीं है। का बोझ प्रमाण दावेदार पर यह स्थापित करने के लिए निहित है कि यह अन्यायपूर्ण संवर्धन का कारण नहीं बनेगा;

(iv) हालांकि कर अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) के अधीन हैं, लेकिन यह दो अच्छी तरह से तय किए गए कानूनों के अधीन है।

सिद्धांतः

(क) कर कानूनों के तहत भेदभावपूर्ण व्यवहार अपने आप में नहीं है।

अमान्य है। यह केवल तभी अमान्य होता है जब बराबर लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है।

या असमान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। दोनों के तहत संविधान और सी. जी. एस. टी. अधिनियम, वस्तु, सेवाएँ, निवेश

(माल) और निवेश सेवाएँ एक समान नहीं हैं। ये अलग-अलग प्रजातियाँ हैं, हालांकि एक आम प्रजाति द्वारा कवर की गई हैं।

कोड; और

(ख) विधायिका सबसे व्यापक अक्षांश का हकदार है जब वह

वर्गीकरण की श्रेणियों की पहचान करता है और जब तक कि चीजें न हों

एक ही वर्ग का गठन करने के बिना अलग-अलग व्यवहार किया जाता है

एक कारण, प्रावधान के रूप में घोषित नहीं किया जा सकता है असंवैधानिक;

(v)

पढ़ने के सिद्धांत का उपयोग संकुचित करने के लिए किया जाता है

चुनौती के तहत एक परंतुक का दायरा, जब यह हो सकता है

अन्यथा असंवैधानिक होगा। इस सिद्धांत के परिणामस्वरूप धनवापसी के लिए एक वैधानिक प्रावधान का विस्तार नहीं हो सकता है जो कानून को फिर से लिखने की राशि;

(vi) निर्धारिती के निवेदन को स्वीकार करना कि माल और

सेवाओं को समान रूप से माना जाना चाहिए जिससे भारी नुकसान हो सकता है

के संदर्भ में परिणाम:

(क) करों की दरें;

(ख) रियायतें, लाभ और छूट;

(ग) राजनीतिक, आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना।

विधायी नीतियाँ;

(vii) करों की वापसी छूट देने का एक रूप है।

7 (5) एस. सी. सी. 536 एन. आई. ओ. एन. ऑफ इंडिया बनाम वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

(viii) एक बार जब धनवापसी को करों से छूट के रूप में माना जाता है, तो प्रावधान की सख्त व्याख्या की जानी चाहिए।

(ix) छूटों, रियायतों और अपवादों को माना जाना चाहिए।

बराबर पर और सख्ती से समझा जाना चाहिए;

(x)

आई. टी. सी. अधिकार का मामला नहीं है और प्रमाण का भार उसके ऊपर है। रियायत या लाभ के लिए दावा स्थापित करने के लिए निर्धारिती;

(xi) जिस तरीके से एक परंतुक का अर्थ लगाया जा सकता है, उसे इस न्यायालय के पूर्वजों में स्पष्ट किया गया है। एक परंतुक केवल एक अपवाद नहीं हो सकता है, बल्कि इस पर एक प्रतिबंध हो सकता है -

मुख्य वैधानिक प्रावधान का संचालन; और

(xii) एक विधायी संशोधन जो एक नीतिगत विकल्प को दर्शाता है

न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं।

12. श्री बलबीर सिंह, विद्वान ए. एस. जी. ने प्रस्तुतियों को अपनाया है

वेंकटरमण ने ए. एस. जी. सीखा।

डी. 2 मूल्यांकनकर्ता

13. श्री वी. श्रीधरन, ई-निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया:

निर्धारिती, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्माण में लगा हुआ है।

((i)

और ऐसे जूतों की आपूर्ति, जिन पर 5 प्रतिशत की दर से उत्पादन कर (वस्तु एवं सेवा कर) लगता है।

((ख)

निर्धारिती, अन्य बातों के साथ-साथ, इनपुट वस्तुओं की खरीद करता है जैसे कि

सिंथेटिक चमड़ा, पी. यू. पॉलीओल और इनपुट सेवाएं जैसे नौकरी कार्य सेवा, माल परिवहन एजेंसी सेवा व्यवसाय के दौरान उपयोग के लिए लागू जी. एस. टी. के भुगतान पर और उस पर भुगतान किए गए जी. एस. टी. पर आई. टी. सी. प्राप्त करता है। अधिकांश निवेश वस्तुओं और निवेश सेवाओं पर 12 प्रतिशत या उससे अधिक की दर से कर लगता है।

18 % ;

((iii) निवेशित वस्तुओं और निवेशित सेवाओं की खरीद पर निर्धारिती द्वारा भुगतान की गई जी. एस. टी. की दर कर की दर से अधिक है।

जूतों की उनकी बाहरी आपूर्ति पर देय। इसलिए, बाहरी आपूर्ति पर जी. एस. टी. के भुगतान के लिए ऋण के उपयोग के बावजूद, निर्धारिती के इलेक्ट्रॉनिक ऋण खाते में अप्रयुक्त आई. टी. सी. का संचय होता है।

2020 की एस. एल. पी. (सिविल) संख्या 14801

टी "[2021] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(iv) निर्धारिती ने ऐसे अप्रयुक्त के धनवापसी के लिए आवेदन किया।

सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 54 (3) के तहत संचित आई. टी. सी.

सी. जी. एस. टी. नियमों के नियम 89 (5) को पढ़ें;

(v)

दोनों निवेशों (अर्थात निवेश वस्तुओं) पर प्राप्त आई. टी. सी. की वापसी के लिए और इनपुट सेवाएँ और सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 54 (3) के अनुरूप थी। तदनुसार, निर्धारिती को धनवापसी प्रदान की गई।

ऐसे अप्रयुक्त आई. टी. सी. का;

(vi) नियम 89 (5) को 18 अप्रैल 2018 की अधिसूचना संख्या 21/2018 सी. टी. द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें उल्टे शुल्क संरचना के कारण धनवापसी निर्धारित करने के लिए एक संशोधित सूत्र निर्धारित किया गया था। उपरोक्त प्रतिस्थापन को अधिसूचना संख्या 26/2018-सी. टी. दिनांक 13 जून द्वारा 1 जुलाई 2017 से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था।

2018 ;

(vii) संशोधित सूत्र में अन्य बातों के साथ-साथ 'इनपुट सेवाओं' को शामिल नहीं किया गया है।

उक्त नियम के तहत धनवापसी राशि की गणना के लिए 'शुद्ध आईटीसी' के दायरे से;

(viii) सी. जी. एस. टी. नियमों का प्रतिस्थापित नियम 89 (5) इनपुट सेवाओं पर प्राप्त अप्रयुक्त आई. टी. सी. पर धनवापसी से इनकार करता है और केवल इनपुट वस्तुओं पर प्राप्त आई. टी. सी. के धनवापसी से राहत देता है। (ix) राजस्व यह तर्क देने के लिए संशोधित नियम 89 (5) पर निर्भर है कि निवेश पर भुगतान किए गए करों पर धनवापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सेवाएँ; और

(x)

राजस्व कर के संचित आई. टी. सी. की वापसी की अनुमति दे रहा है

सिंथेटिक चमड़ा और पी. यू. पॉलीओल जैसी इनपुट वस्तुओं पर भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, राजस्व नौकरी कार्य सेवा और माल परिवहन एजेंसी सेवा जैसी इनपुट सेवाओं की खरीद पर भुगतान किए गए आईटीसी के संचय की अनुमति दे रहा है। हालांकि, इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गए संचित अप्रयुक्त आईटीसी का रिफंड किया जा रहा है।

अस्वीकार कर दिया गया है और पहले से ही दिए गए धनवापसी की वसूली कर ली गई है

निर्धारिती।

14. श्री श्रीधरन ने आग्रह किया कि सी. जी. एस. टी. नियमों के नियम 89 (5) में

जिस पर यह इनपुट सेवाओं से संबंधित आई. टी. सी. की वापसी से इनकार करता है, वह है

धारा 54 का अधिकार। प्रस्तुतिकरण पर आधारित किया गया है

विंग प्रस्तावः

एन ऑफ इंडिया बनाम। वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

जी. एस. टी. एक गंतव्य आधारित उपभोग कर है। दुनिया भर में जी. एस. टी. कानूनों का मूल सिद्धांत यह है कि यह एक बहुस्तरीय कर है। आपूर्ति श्रृंखला में प्रत्येक बिंदु पर संभावित रूप से कर लगाया जाता है। हालांकि, आपूर्तिकर्ता पूर्ववर्ती चरण में भुगतान किए गए करों के क्रेडिट का लाभ उठाने के हकदार हैं। जी. एस. टी. की यह विशेषता इसे मूल्यवर्धन पर कर के रूप में वर्णित करती है, जिसमें केवल अंतिम उपभोक्ता ही अंततः कर वहन करता है। भारत में लागू किए गए जी. एस. टी. कानून भी इसी सिद्धांत पर आधारित हैं।

भारत 1 5, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उत्पाद शुल्क, सेवा कर और मूल्य वर्धित कर कानून मूल्य वर्धन पर करों का प्रावधान करते हैं और गंतव्य आधारित उपभोग कर हैं। ये व्यवसाय पर नहीं बल्कि उपभोक्ता पर लगाए जाने वाले शुल्क हैं। यद्यपि पूर्ववर्ती कर कानून, संविधान (एक सौ एक संशोधन) अधिनियम 2016 के प्रवर्तन से पहले, मूल्यवर्धन और उपभोग कर के सिद्धांत पर आधारित था, लेकिन केंद्र और राज्य शुल्कों के बीच ऋण का कोई निर्बाध प्रवाह नहीं था। इस विसंगति को संवैधानिक संशोधन और उसके अनुसरण में अधिनियमित किए गए विधान द्वारा संबोधित करने की मांग की गई थी; एक सौ पहले संवैधानिक संशोधन का उद्देश्य थाः

क) द्वारा लगाए जा रहे कई अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित करना

केंद्र सरकार और राज्य सरकारें;

ख) करों के व्यापक प्रभाव को कम करना और समाप्त करना; और

ग) वस्तुओं के लिए एक साझा राष्ट्रीय बाजार का प्रावधान करना और

सेवाएँ।

के साथ वस्तुओं और कारणों का विवरण

सी. जी. एस. टी. अधिनियम पेश करने वाले विधेयक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि मूल्यवर्धन की श्रृंखला में आई. टी. सी. का एक चरण से दूसरे चरण में निर्बाध हस्तांतरण होगा।

इन सिद्धांतों ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पुष्टि की जो इस बात पर जोर देते हैं कि

(क) मूल्य वर्धित कर प्रणालियों को अंतिम कर लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

खपत;

(ख) केवल उपभोक्ताओं को ही कर का बोझ उठाना चाहिए; और

(ग) मूल्य वर्धित कर की मुख्य विशेषता संरक्षण है।

मूल्य श्रृंखला में तटस्थता।

(vi) आर्थिक और राजकोषीय वास्तविकताओं को मजबूर करने के लिए पारंपरिक उत्पाद शुल्क, सेवा कर, बिक्री कर और अन्य कानूनों के स्थान पर जी. एस. टी. जैसे मूल्य वर्धित कर लगाने की आवश्यकता थी।

(vii) एक ऐसी कर व्यवस्था में जो मूल्य वर्धित कर पर आधारित नहीं थी, विनिर्माण के विभिन्न चरणों में भुगतान किए गए कर की वापसी सुनिश्चित करना बोझिल और जटिल होगा। यह पिछली सरकार की समस्याओं को दूर करने के लिए था कि भारत सहित विभिन्न देशों द्वारा मूल्य वर्धित गंतव्य आधारित सिद्धांत को पूरी तरह से प्रभावी बनाने के लिए जी. एस. टी. कानून बनाया गया था।

उपभोग कर;

(viii) जिस स्थिति में निवेश करों की मात्रा उत्पादन कर से अधिक हो जाती है, वह एक विसंगति, विचलन और विकृति है जिसके परिणामस्वरूप

करों के विभिन्न स्रोतों और उनके साथ संघर्षों से

जी. एस. टी. के मूल सिद्धांत इन सब का प्रभाव विकृतियों को व्यावहारिक उदाहरणों से प्रकट किया जा सकता है जिसमें शामिल हैं

ऐसी स्थितियाँ जैसे -

(क) कर की कम दर वाले मध्यवर्ती उत्पाद; और (ख) कर की उच्च दर को आकर्षित करने वाले मध्यवर्ती उत्पाद।

(ix) इसके परिणामस्वरूप, करों की दर में भिन्नता के कारण गैर-अवशोषित आई. टी. सी. के रूप में करों के व्यापक प्रभाव के परिणामस्वरूप आर्थिक विकृति की विभिन्न स्थितियां सामने आईं। यह जी.

एस. टी. के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। जी. एस. टी. एक उपभोग कर होने के कारण, यह अभिधारणा करता है कि पूरी श्रृंखला में एकमात्र कर अंतिम ग्राहक से बिना किसी 'चिपके' के लिया जाने वाला कर होना चाहिए।

या बिना अवशोषित आई. टी. सी.;

(x) सरकार जनहित में उर्वरकों, ट्रैक्टरों और कम कीमत वाले जूतों जैसे उत्पादों पर कर की कम दरें लगा सकती है। कम दर पर ऐसी वस्तुओं पर कर लगाने का उद्देश्य विफल हो जाता है यदि अंतिम उत्पाद बनाने के लिए निवेश पर उच्च दर पर कर लगाया जाता है और अप्रयुक्त ऋण का कोई धनवापसी नहीं दी जाती है।

एन ऑफ इंडिया बनाम। वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

अप्रयुक्त 7 आई. टी. सी. का धनवापसी उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है

सही मायने में मूल्य वर्धित उपभोग आधारित कराधान;

उल्टा शुल्क के परिणामस्वरूप होने वाली विसंगति का संज्ञान

संरचनाओं, पूर्ववर्ती राज्य मूल्य वर्धित कर कानूनों ने अप्रयुक्त आई. टी. सी. के रिफंड के लिए प्रदान किया, इससे पहले कि जी. एस. टी. कानून दिन की रोशनी देखे;

एक लगभग परिपूर्ण जी. एस. टी. कानून एक उल्टे शुल्क संरचना से जुड़ी स्थिति में आई. टी. सी. के रिफंड का प्रावधान करता है। रिफंड के प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि कर दरों में विसंगतियों के परिणामस्वरूप जी. एस. टी. की मौलिक विशेषताओं में विकृति न आए जो कि एक वास्तविक उपभोग कर है। आई. टी. सी. कई कारणों से जमा हो सकता है जिनमें (ए) उल्टा शुल्क संरचना, अर्थात, उत्पादन आपूर्ति पर जी. एस. टी. इनपुट आपूर्ति पर जी. एस. टी. से कम है; (बी) स्टॉक संचय; (सी) पूंजीगत सामान; और (डी) कुछ सेवाओं के लिए आंशिक रिवर्स चार्ज तंत्र शामिल हैं। इनपुट वस्तुओं या इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गए उच्च करों के कारण कैस्केडिंग प्रभाव या स्टिकिंग क्रेडिट उत्पन्न हो सकता है। अप्रयुक्त आई. टी. सी. का धनवापसी सही मायने में करों के व्यापक प्रभाव को समाप्त करना सुनिश्चित करेगा।

अप्रयुक्त आई. टी. सी. के व्यापक प्रभाव को दूर करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए धारा 54 (3) लागू की गई है। अनुभाग

54 (3) "किसी भी अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट" के रिफंड का प्रावधान है, लेकिन रिफंड केवल दो स्थितियों में उपलब्ध है, अर्थात् (ए)

शून्य रेटेड आपूर्ति; और (बी) उल्टा शुल्क संरचना। धनवापसी की मात्रा धारा 54 (3) के मुख्य भाग द्वारा प्रदान की जाती है जो किसी भी अप्रयुक्त आई. टी. सी. के धनवापसी को निर्धारित करता है। इसमें इनपुट वस्तुओं के साथ-साथ इनपुट पर लिया गया ऋण भी शामिल है। धारा 2 (62) और 2 (63) में निहित परिभाषाओं के संबंध में सेवाएँ;

परंतुक केवल उन मामलों के लिए प्रदान करता है जिनमें धारा 54 (3) के मुख्य प्रावधानों के तहत धनवापसी उपलब्ध होगी। एक बार जब परंतुक (ii) में उल्टे शुल्क संरचना की आवश्यकता पूरी हो जाती है, तो पूरे अप्रयुक्त आई. टी. सी. को वापस करना पड़ता है। कारण कि परंतुक (ii) केवल निवेश (माल) बनाम उत्पादन आपूर्ति के संदर्भ में उल्टे शुल्क संरचना को परिभाषित करता है।

ऐसा हो सकता है कि जहां सेवाओं (कुछ को छोड़कर) पर 18 प्रतिशत कर लगाया जाता था, वहीं सामान विभिन्न श्रेणियों [2021] 15 एस. सी. आर. के अधीन थे।

दरों में। यदि इनपुट सेवाओं पर भी विचार किया गया था

उल्टे शुल्क संरचना को निर्धारित करने के लिए, सभी निर्धारिती को व्यावहारिक रूप से धनवापसी प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए, विधायिका ने केवल 'निवेश' (निवेश माल) के संदर्भ में उल्टे शुल्क संरचना को परिभाषित किया। हालांकि, एक बार जब कोई मामला एक उल्टे शुल्क ढांचे की शर्त को पूरा करता है, तो पूरे अप्रयुक्त आईटीसी की वापसी की अनुमति है, जो उल्टे शुल्क ढांचे की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है, जिसमें इनपुट वस्तुओं पर प्राप्त क्रेडिट भी शामिल है।

और निवेश सेवाएँ;

(xvi) 31 दिसंबर 2018 को एक परिपत्र जारी किया गया है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा परिपत्र संख्या 79/53/2018-जीएसटी 1616। ऐसी स्थिति में जहां कुछ निवेशों पर जी. एस. टी. उत्पादन आपूर्ति पर लागू जी. एस. टी. की दर से अधिक है, जबकि अन्य निवेशों पर जी. एस. टी. की दर उत्पादन आपूर्ति पर जी. एस. टी. की तुलना में कम है, परिपत्र में प्रावधान किया गया है कि निवेश सेवाओं सहित सभी निवेशों पर प्राप्त आई. टी. सी. को लेकर धनवापसी की जाएगी, जो उत्पादन आपूर्ति की तुलना में कर की कम दर आकर्षित करते हैं। दूसरे शब्दों में, परिपत्र, परंतुक (ii) के साथ पठित धारा 54 (3) को धनवापसी की सीमा को अर्हता प्राप्त करने के रूप में नहीं मानता है, बल्कि इसके लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए केवल एक पूर्व शर्त के रूप में माना जाता है। धनवापसी का अनुदान;

(xvii) धारा 54 (3) का प्रावधान (ii) केवल उन 'मामलों' को निर्धारित करता है जहां धनवापसी योग्य है लेकिन यह धनवापसी की मात्रा को परिभाषित नहीं करता है।

यह निम्नलिखित से स्पष्ट होगा:

(अ)

धनवापसी की मात्रा मुख्य खंड में प्रदान की जाती है

धारा 54 (3)। "कोई भी" अप्रयुक्त आई. टी. सी. का अर्थ है

सभी अप्रयुक्त आई. टी. सी.;

धारा 2 (63) के तहत 'इनपुट टैक्स क्रेडिट' की परिभाषाएँ और

(ख)

' धारा 2 (62) में 'निवेश कर' इंगित करेगा कि दोनों निवेश

माल और निवेश सेवाएँ शामिल हैं; परंतुक उन 'मामलों' को इंगित करता है जिनमें धनवापसी की जाएगी

((ग)

पात्र हैं। अभिव्यक्ति 'मामलों' का अर्थ है परिस्थितियाँ या

परिस्थितियाँ;

((घ)

पहले परंतुक का खंड (ii) इसके साथ शुरू होता है - अभिव्यक्ति "कहाँ" जिसका अर्थ है कि आगे क्या होगा

किसी चीज़ की स्थिति या पहलू होना;

आईसी "एनआईओएन ऑफ इंडिया बनाम। वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

वैधानिक प्रावधान को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और

(ई)

अन्य प्रावधानों का संदर्भ। तीनों प्रावधान उन मामलों को संदर्भित करते हैं जिनमें धनवापसी की अनुमति है या, जैसा भी मामला हो,

अनुमति नहीं है और धनवापसी की मात्रा का उल्लेख नहीं करते हैं;

(च)

परंतुक का खंड (ii) "ऋण" को संदर्भित करता है। इसका उपयोग

निश्चित लेख स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि संदर्भ धारा 54 (3) के मुख्य भाग में पहले से उल्लिखित अप्रयुक्त आई. टी. सी. के लिए है। 'द' अभिव्यक्ति एक विशेष राशि या ऋण को दर्शाती है और इसे इनपुट वस्तुओं और इनपुट सेवाओं पर ऋण में विभाजित करने का कोई भी प्रयास विसंगतियां पैदा करेगा।

परिणाम;

(जी)

'संचित' अभिव्यक्ति ऋण शेष राशि को दर्शाती है।

जो ऋण का लाभ उठाने के बाद अप्रयुक्त हो जाता है और जिसका उपयोग बाहरी आपूर्ति पर उत्पादन कर का भुगतान करने के लिए किया जाता है;

(ज)

परंतुक के खंड (ii) में "के कारण" शब्दों का उपयोग किया गया है।

जिसका अर्थ है कारण से या कारण से। यह निर्धारित करके कि परंतुक में धनवापसी की मात्रा का प्रावधान है, राजस्व "खाते में" शब्दों को प्रतिस्थापित करने का प्रयास कर रहा है। "के साथ" की सीमा तक;

((i)

राजस्व जमा करना स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि

परंतुक का खंड (ii) कर की दर को संदर्भित करता है। स्वीकार करना। राजस्व की व्याख्या, शब्द "और केवल

परंतुक में किस हद तक जोड़ना होगा;

हालांकि सी. जी. एस. टी. अधिनियम 'निवेश' के बीच अंतर करता है।

(1)

और 'इनपुट सेवाएँ', यह केवल क्रेडिट के लाभ से पहले के चरण में प्रासंगिक है, अर्थात् सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 16 और 17 के तहत क्रेडिट की पात्रता निर्धारित करने के लिए। क्रेडिट का लाभ उठाने के बाद, यह एक सामान्य पूल में जाता है जिससे क्रेडिट का उपयोग उत्पादन के लिए भुगतान करने के लिए किया जाता है। कर। उपयोग इस सामान्य पूल में कर अवधि के लिए उपलब्ध पूरे क्रेडिट से होता है और यह विशेष इनपुट वस्तुओं या इनपुट पर प्राप्त आईटीसी से सह-संबंधित नहीं हो सकता है।

सेवाएँ। शेष राशि कर अवधि के अंत में अप्रयुक्त आई. टी. सी. है। इस स्तर पर यह निर्धारित करना संभव नहीं है कि शेष राशि इनपुट वस्तुओं पर प्राप्त आईटीसी से संबंधित है या नहीं।

या इनपुट सेवाओं पर; और [2021] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(के) वैकल्पिक रूप से, शब्द, "निवेश पर कर की दर" होना चाहिए

आउटपुट के निर्माण में जो कुछ भी जाता है उसे शामिल करने के लिए पढ़ें

आपूर्ति अर्थात्, इनपुट माल और इनपुट सेवाएँ दोनों।

(xviii) धारा 54 के स्पष्टीकरण (1) में धनवापसी के चार मामले शामिल हैं: (क) वस्तुओं या सेवाओं की शून्य दर वाली आपूर्ति पर भुगतान किए गए कर की वापसी; (ख) शून्य दर वाली आपूर्ति करने में उपयोग की जाने वाली इनपुट वस्तुओं या इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गए कर की वापसी (जहां कोई उत्पादन नहीं है)

कर का भुगतान किया जाता है); (ग) मानित निर्यात माने जाने वाले माल की आपूर्ति पर कर की वापसी; (घ) उप-धारा (3) के तहत अप्रयुक्त आई. टी. सी. की वापसी। उपरोक्त (क) के मामले में, विधायिका ने "वस्तु या सेवा" अभिव्यक्ति का उपयोग किया है; (ख) "निवेश या निवेश सेवा" के मामले में; (ग) "वस्तु या सेवा" के मामले में। हालांकि, अप्रयुक्त आई. टी. सी. के रिफंड के संबंध में,

केवल यह प्रावधान किया गया है कि धनवापसी उप-धारा (3) के तहत प्रदान की जाएगी। स्पष्टीकरण धनवापसी को केवल इनपुट वस्तुओं पर प्राप्त क्रेडिट तक सीमित नहीं करता है।

एक उल्टे रेटेड संरचना का मामला;

(xix) नियम 89 (5)-इनपुट वस्तुओं पर अप्रयुक्त आई. टी. सी. के रिफंड को सीमित करना और इनपुट सेवाओं पर आई. टी. सी. के रिफंड को अस्वीकार करना

धारा 54 (3) की सीमा और इसलिए यह अधिकार से परे है:

(अ)

नियम 89 (5) मूल रूप से दोनों का भुगतान किए गए आईटीसी के रिफंड के लिए प्रदान किया गया था।

इनपुट वस्तुओं और इनपुट सेवाओं पर लेकिन इसमें संशोधन किया गया था

केवल आई. टी. सी. के लिए धनवापसी को प्रतिबंधित करने के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव

निवेशित वस्तुओं पर;

सूत्र के संदर्भ में संशोधन के बाद, का अनुपात

(ख)

आनुपातिक कारोबार केवल आई. टी. सी. पर लागू होता है।

इनपुट माल। हालांकि, आनुपातिक मूल्य पर पहुंचने के बाद, उत्पादन आपूर्ति पर भुगतान की गई कर की पूरी राशि है -

कटौती की गई। इस सूत्र में गलती से यह माना गया है कि संपूर्ण उत्पादन कर का भुगतान इनपुट वस्तुओं पर प्राप्त आईटीसी से किया जाएगा।

और इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट का उपयोग इसके लिए नहीं किया जाएगा

उत्पादन कर का भुगतान। यदि नियम को गणना में लिया जाता है

आई. टी. सी. का लाभ इनपुट वस्तुओं और इनपुट सेवाओं दोनों पर लिया जाता है।

सूत्र के भाग तुलनीय होंगे और इसका परिणाम होगा

उपयोग में न आने वाली आई. टी. सी. की सही राशि उल्टा शुल्क संरचना। यह नियम धारा 54 (3) के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

क्योंकि यह केवल भारत v को लेकर धनवापसी की गणना को प्रतिबंधित करता है।

वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

निवेशित वस्तुओं पर प्राप्त ऋण को ध्यान में रखते हुए। धारा 54 (3) में धनवापसी की पात्रता, इसकी मात्रा और

जिन मामलों में धनवापसी दी जानी है। धारा 54 (3) अपने आप में एक संहिता होने के कारण, सरकार को इस संबंध में नियम बनाने में सक्षम बनाने वाले प्रावधान का कोई संदर्भ नहीं है। इसलिए, धारा 54 (3) के संदर्भ में, नियम बनाने की शक्ति का कोई भी प्रयोग अनुचित है।

धारा 164 (1) द्वारा प्रदत्त सामान्य नियम बनाने की शक्ति सी. जी. एस. टी. अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए है और नियम के स्पष्टीकरण के उल्लंघनकारी प्रावधानों को नहीं बचा सकती है।

89 (5) :

ऋण का संचय विभिन्न कारणों से हो सकता है जैसे कि कर अवधि में बाहरी आपूर्ति की अनुपस्थिति, नुकसान पर की गई आपूर्ति, निवेश की थोक खरीद, अतिरिक्त शुरुआत। ऋण संतुलन, और कर अवधि के दौरान कर की दर में परिवर्तन;

एक नियम जो अप्रयुक्त की पहचान के लिए प्रदान करता है

एक नियम कुल कारोबार की तुलना में उल्टे शुल्क संरचना से संबंधित ऋण की आनुपातिक राशि निर्धारित करने के लिए एक आनुपातिक सूत्र प्रदान कर सकता है। इस तरह के एक सूत्र की आवश्यकता हो सकती है जहां निर्धारिती एक उल्टे शुल्क संरचना के साथ-साथ आपूर्ति कर रहा है जो इसमें शामिल नहीं है; जहां निर्धारिती द्वारा की गई पूरी आपूर्ति निर्यात के माध्यम से की जाती है, वहां संपूर्ण आई. टी. सी. परंतुक (i) के तहत वापसी योग्य है। हालांकि, जहां कोई निर्धारिती वस्तुओं के निर्यात और घरेलू आपूर्ति में लगा हुआ है, वहां निर्धारिती को निर्यात के लिए जिम्मेदार आईटीसी से धनवापसी का दावा करने के लिए पात्र होना चाहिए, जबकि घरेलू आपूर्ति से संबंधित आईटीसी पर नकद धनवापसी का हकदार नहीं होना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां एक निर्धारिती घरेलू आपूर्ति के साथ-साथ निर्यात दोनों करता है, एक सूत्र हो सकता है -

निर्यात से संबंधित आई. टी. सी. का अनुमान लगाना आवश्यक है जिसे अकेले निर्धारिती को इसी तरह से वापस किया जा सकता है यदि किसी निर्धारिती के पास उत्पादन आपूर्ति है। जहाँ एक निर्धारिती का आउटपुट [2021] 15 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक उल्टे शुल्क संरचना वाली आपूर्ति और एक उल्टे शुल्क संरचना के बिना उत्पादन आपूर्ति, धनवापसी केवल पहले वाले के लिए दी जानी है न कि बाद वाले के लिए। उस उद्देश्य के लिए सूत्र की आवश्यकता होगी। निर्यात से संबंधित नियम 89 (4) में कुल कारोबार के लिए निर्यात कारोबार के अनुपात को अपनाया गया है।

आधार। नियम 89 (5) इसी तरह एक ऐसे निर्धारिती से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है जिसके पास उल्टे शुल्क संरचना की आपूर्ति और अन्य आपूर्ति हैं।

उल्टा शुल्क संरचना नहीं होना। यह होना चाहिए

नियम 89 (5) के लिए सूत्र का एकमात्र उद्देश्य;

(ई)

हालांकि, नियम 89 (5) के लिए एक सूत्र तय करने की आड़ में

संबंधित ऋण की राशि का निर्धारण करना

कुल कारोबार की तुलना में उल्टे शुल्क ढांचे ने इनपुट वस्तुओं पर आई. टी. सी. को रिफंड देने से इनकार कर दिया है।

सेवाएँ। यह 'शुद्ध आई. टी. सी.' को परिभाषित करके किया गया है जिसका अर्थ है कि आई. टी. सी. का लाभ सभी 'निवेश' पर लिया जाता है, इस प्रकार आई. टी. सी. को इनपुट सेवाओं से संबंधित नहीं माना जाता है। इस तरह के नियम को सी. जी. एस. टी. अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नहीं माना जा सकता है।

(xxi) एक प्रत्यायोजित कानून को अधिकार से बाहर के रूप में निरस्त किया जा सकता है

एक प्रमुख कानून। संसद के समक्ष प्रत्यायोजित विधान को रखने से ऐसी विधियों को कोई वैधता नहीं मिलती है।

अल्ट्रा वायर्स नियम। इससे पहले नियम बनाने की प्रक्रिया

संसद और उन्हें संशोधन या रद्द करने के अधीन बनाने की तुलना ऐसे विधान से नहीं की जा सकती है जिसे राष्ट्रपति या राज्यपाल की सहमति प्राप्त हो। पराधिकार का सिद्धांत तब भी लागू होगा जब संसद द्वारा नियमों को मंजूरी देने या संशोधित करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है। हालांकि, सी. जी. एस. टी. नियम संसद के समक्ष रखे गए हैं, कोई भी हिस्सा जो सी. जी. एस. टी. अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर है,

गिराए जाने की संभावना;

(xxii) तथ्य यह है कि नियमों की सिफारिश की गई है

माल और सेवा कर परिषद 1 7 उन्हें विधायिका द्वारा अधिनियमित क़ानून के दर्जे तक नहीं बढ़ाती है। संविधान के अनुच्छेद 279 ए (4) के तहत जी. एस. टी. परिषद द्वारा की गई सिफारिशें संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून में शामिल किए जाने के बाद ही प्रभावी होती हैं। सी. जी. एस. टी. अधिनियम और एस. जी. एस. टी. अधिनियम

जी. एस. टी. की सिफारिशों पर अधिनियमित किया गया है

टी काउंसिल "ऑन ऑफ इंडिया बनाम। वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

परिषद, अनुच्छेद 279 ए के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, जबकि सी. जी. एस. टी. नियम प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशों पर बनाए गए हैं।

सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (87) और धारा 164 द्वारा। विधायिका द्वारा अधिनियमित कानूनों और प्रत्यायोजित कानूनों के बीच स्पष्ट अंतर है। एक नियम बनाया गया है कि

जी. एस. टी. परिषद की अनुशंसा सुसंगत विधान के अनुरूप होनी चाहिए, जिसमें विफल रहने पर यह अल्टरनेटिव होगी।

अधिकार;

iii) धारा 54 (3) पूरे अप्रयुक्त आई. टी. सी. का धनवापसी प्रदान करती है।

के बावजूद एक उल्टे शुल्क संरचना के मामले में

चाहे क्रेडिट इनपुट वस्तुओं या इनपुट सेवाओं से संबंधित हो। नियम 89 (5) में किया गया संशोधन, जो केवल 'निवेश' पर प्राप्त अप्रयुक्त आई. टी. सी. के धनवापसी को प्रतिबंधित करता है, धारा 54 (3) के अधिकार से बाहर है; और

(iv) पृथकता के सिद्धांत के आधार पर नियम 89 (5) के उस हिस्से को जो अधिकार से परे है, निरस्त किया जा सकता है। यह न्यायिक कानून नहीं होगा। नियम 89 (5) के अधिकारों के लिए चुनौती केवल नियम के स्पष्टीकरण में 'नेट आई. टी. सी.' की परिभाषा के कारण है। व्याख्या शुद्ध आई. टी. सी. को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है प्रासंगिक अवधि के दौरान निवेश पर प्राप्त आई. टी. सी.। धारा 54 (3) किसी भी अप्रयुक्त आई. टी. सी. के रिफंड की अनुमति देती है न कि केवल इनपुट वस्तुओं पर क्रेडिट। नतीजतन, केवल अगर

स्पष्टीकरण (क) से नियम में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "निवेश पर" 89 (5) निरस्त किया जाता है, नियम 89 (5) धारा के अनुरूप होगा

54 (3) .

श्री सुजीत घोष, विद्वान वकील 1 8 ने कहा कि

"अप्रयुक्त आई. टी. सी". अभिव्यक्ति का अर्थ क्रेडिट ऑन है।

धारा 2 (63) में निहित परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं के साथ-साथ सेवाओं (जो उत्पादन कर का भुगतान करने के बाद बनी रहती हैं)

स्पष्टीकरण-I से धारा 54 में, 'धनवापसी' शब्द शून्य मूल्यांकन की गई आपूर्ति है। एक समावेशी परिभाषा है जो अप्रयुक्त आई. टी. सी. क्वा को संदर्भित करती है।

धारा 54 (3);

जी 2021 [2021] 15 एस. सी. आर. के एस. एल. पी. (सिविल) संख्या 1552-1557 में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ख) निवेशित वस्तुओं और निवेशित सेवाओं दोनों पर धनवापसी शामिल है।

धारा 54 (3) का उद्देश्य;

(ग) शून्य रेटेड आपूर्ति के संबंध में, अभिव्यक्ति धनवापसी

स्पष्टीकरण-I से लेकर धारा 54 तक स्पष्टीकरणात्मक है, हालांकि इसमें इसका उपयोग किया गया है -

शब्द "इनपुट" और "इनपुट सेवाएँ";

(घ) शून्य-रेटेड आपूर्ति के मामले में धनवापसी का अधिकार उत्पन्न होता है।

धारा 16 (3) (ए) में;

(ई) प्रावधान में "अप्रयुक्त आई. टी. सी. की वापसी" वाक्यांश का उपयोग किया गया है।

धारा 54 "के अनुसार; और

(च) निर्यात और घरेलू दोनों के लिए 'रिफंड' शब्द का अर्थ

आपूर्ति एक ही है।

(iii) धारा 54 (3) का निर्माण इस पर आधारित होना चाहिए -

निम्नलिखित परिस्थितियाँ:

(क) मूल भाग धनवापसी की मात्रा से संबंधित है। द.

परंतुक कोई प्रतिबंध नहीं है बल्कि केवल सीमा निर्धारित करता है

शर्तें;

(बी) सीमा की स्थिति के उपयोग से स्पष्ट हैं

अभिव्यक्ति "मामलों में";

(ग) तीनों प्रावधानों में से प्रत्येक में (i) परिस्थितियाँ और (ii)

शर्तें, जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है:

स्थिति.

शर्त

प्रोविसो

संदर्भ

कर के भुगतान के बिना की गई माल आपूर्ति का निर्यात

फर्स्ट प्रोविसो,

खंड (i)

और सेवाएँ अर्थात शून्य

मूल्यांकन किया गया

आपूर्ति

घरेलू

(क) अप्रयुक्त निवेश कर क्रेडिट का संचय

फर्स्ट प्रोविसो,

आपूर्ति

इनपुट वस्तुओं पर कर की दर अधिक होने के कारण उत्पन्न हुआ

खंड (ii)

उत्पाद पर कर की दर (उदाहरण के लिए,

की गई बिक्री के कारण संचय

में

छूट/संकट/गैर आपूर्ति आदि नहीं होनी चाहिए।

ढकने की अनुमति है)।

(ख) के माध्यम से विशेष रूप से बहिष्कृत नहीं किया जाना चाहिए

अधिसूचना।

200 (सेवाओं के लिए), वस्तुओं पर कर की दर = 10 प्रतिशत, दर उत्पादन पर कर का = 7 प्रतिशत, तबः -

उल्टे शुल्क संरचना की सीमा स्थिति

संतुष्ट माल, फिर

आई. टी. सी. की पूरी टोकरी यानी 500 धनवापसी के लिए पात्र हैं। कर देयता के समायोजन के अधीन।

दूसरा

वस्तुओं का निर्यात

आपूर्ति निर्यात शुल्क के लिए उत्तरदायी नहीं है

प्रोविसो

वस्तुओं का निर्यात

(क) दावा नहीं किए गए केंद्रीय कर के संबंध में कमी

या सेवाएँ

या (ख) एकीकृत कर की वापसी का दावा नहीं किया गया है।

प्रोविसो निऑन ऑफ इंडिया v. वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

((iv) धारा 54 (3) का उद्देश्य और उद्देश्य इस प्रकार होना चाहिए -

दिमाग:

(क) प्रावधान का उद्देश्य समानता या तटस्थता के सिद्धांत को प्रभावी बनाना है जो मूल उद्देश्य है -

जी. एस. टी. और इसे अनुदान देकर प्राप्त करने की कोशिश की जाती है।

धारा 16 के माध्यम से निर्बाध ऋण;

(ख)

विधायी पृष्ठभूमि और प्रारंभिक सामग्री विधिवत

कानून के उद्देश्य का समर्थन करना;

((ग)

केवल निवेश पर कर की दर के सापेक्ष उत्पादन पर कर की कम दर की पेशकश करने के अपने निर्णय के कारण कर कैस्केडिंग;
याचिकाकर्ता के मामले में जो प्रदान करने में लगा हुआ है

((घ)

चेन्नई मेट्रो रेल के लिए सेवाएं, उत्पादन की मूल दर

पहले कर 18 प्रतिशत हुआ करता था जबकि वस्तुओं और सेवाओं पर निवेश कर 18 प्रतिशत से 28 प्रतिशत के बीच था। अधिसूचना संख्या 1/2018 और संबंधित राज्य अधिसूचना के परिणामस्वरूप, उत्पादन आपूर्ति पर कर की दर, अर्थात्

मोनो रेल और मेट्रो रेल के निर्माण को घटाकर

12 प्रतिशत;

(ई)

धारा 54 (3) का उद्देश्य ऐसी स्थिति को शामिल करना नहीं है जहां -

राज्य द्वारा बनाई गई दर संरचना से अलग छूट/संकट/गैर-आपूर्ति जैसे अपने स्वयं के कार्यों के कारण निर्धारिती द्वारा उल्टे शुल्क संरचना का निर्माण किया जाता है।

(च)

कर तटस्थता प्राप्त करने का उद्देश्य होना चाहिए

मुनाफाखोरी विरोधी के माध्यम से पहली बार लागू किया गया

धारा 171 में सन्निहित उपाय;

(v)

जी. एस. टी. और कर तटस्थता पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायशास्त्र

यह अभिधारणा है कि इस तरह के कर व्यवसाय के लिए एक स्थायी लागत नहीं हैं और व्यवसाय संस्थाओं से गुजरते हैं। इसके माध्यम से एक आर्थिक रूप से तटस्थ कर का आवश्यक चरित्र है

ऋण का निर्बाध प्रवाह;

(vi) धारा 54 (3) की प्रासंगिक व्याख्या पर विचार किया जाना चाहिए।

कानून की समग्र योजना। धारा 54 (3) का मूल भाग ऋण की मात्रा से संबंधित है जो है -

तीन विशेषताओं द्वारा प्रवर्धित:

[2021] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(अ)

द्वारा ऐसी मात्रा की पहचान करने के लिए अवधि निर्धारित की जाती है "किसी भी अवधि के अंत में" वाक्यांश का उपयोग;

(ख)

धारा 54 (3) को प्रासंगिक रूप से उप के साथ पढ़ने की आवश्यकता है। धारा 49 और नियम 86 (3) की धारा (4), (5) और (6) और

नियम 89 (3); और

((ग)

जी. एस. टी. परिषद और केंद्र सरकार दोनों

समझा कि धनवापसी की मात्रा पूरी थी खाते में जमा आई. टी. सी. ही नहीं, बल्कि अप्रयुक्त आई. टी. सी.

निवेशित वस्तुओं का। यह अधिसूचना संख्या 5/2017 से स्पष्ट है।

दिनांक 28 जून 2017। यदि धारा 54 (3) के पहले परंतुक के खंड (ii) में विचार किया गया अपवाद अस्वीकार करने पर विचार करता है।

अप्रयुक्त आई. टी. सी. की पूरी टोकरी (जैसा कि तर्क दिया गया है) राज्य) खंड (ii) का पहला भाग होना चाहिए

यह माना जाता है कि इसमें अप्रयुक्त ऋण की पूरी टोकरी की वापसी शामिल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक कि खंड (ii) का पहला भाग आई. टी. सी. की पूरी टोकरी के धनवापसी का हकदार नहीं होता है।

में आई. टी. सी. की पूरी टोकरी के इनकार के लिए एक अपवाद

अंतिम भाग बेतुका होगा।

((vii) 'दावा' पद का अर्थ है अधिकार की मांग,

दूसरे को कुछ भुगतान करने के लिए बुलाना जो देय है।

तदनुसार, धारा 54 (3) के संदर्भ में दावा धनवापसी के अधिकार को लागू करने की मांग है जो देय हो जाता है। अधिकार की पात्रता प्रक्रिया के माध्यम से नहीं है

दावा का भत्ता लेकिन इसके बजाय, का प्रवर्तन

अधिकार भत्ते की प्रक्रिया के माध्यम से है। द.

मूल प्रावधान से उपार्जित ऋण की पूरी टोकरी के अधिकार का हक और इसका प्रवर्तन होता है।

प्रावधान के माध्यम से;

(viii) 'अनुमत' अभिव्यक्ति की व्याख्या इस अर्थ में की जानी चाहिए कि

इसका अर्थ है 'एक अधिकार का निर्माण' या फिर मुख्य धारा 54 (3) का प्रावधान निरर्थक हो जाएगा।

(ix) वाक्यांश "पूरी तरह से कारण" इसके द्वारा विशिष्ट है

धारा 54 (3) के प्रावधान में अनुपस्थिति; भारत का एन. आई. ओ. एन. v.

वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.](x)

परंतुक में 'कोई' शब्द की अनुपस्थिति घातक नहीं है।

'कोई' नहीं होने के बावजूद, 'अप्रयुक्त आई. टी. सी.' शब्द

वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर ऋण का उल्लेख करें;

(xi) धारा 54 (3) का परंतुक केवल शर्त निर्धारित करता है और धनवापसी की मात्रा से संबंधित नहीं है क्योंकि राशि मूल प्रावधान द्वारा निर्धारित की गई है। द.

परंतुक मूल भाग के लिए एक अपवाद नहीं है क्योंकि यह संतुष्ट होने के लिए मूल शर्त का संदर्भ देता है। दोनों को सामंजस्यपूर्ण तरीके से समझा जाना चाहिए। इस प्रकार, धारा 54 (3) का मुख्य प्रावधान पूरे अप्रयुक्त आई. टी. सी. और केवल परंतुक की वापसी का अधिकार प्रदान करता है।

शर्त प्रदान करना चाहता है और मुख्य प्रावधान को मिटाना नहीं चाहता है। बेहतर दृष्टिकोण यह है कि पात्रता मुख्य प्रावधान द्वारा धनवापसी की मात्रा से बनाई गई है, जबकि परंतुक केवल संतुष्ट होने की शर्तों को इंगित करता है;

(xii) ऋण का अभिसरण लाभ उठाने के चरण में होता है।

और उपयोग के चरण में नहीं;

(xiii) सी. जी. एस. टी. अधिनियम इस बात पर विचार करता है कि शर्तें और प्रतिबंध

दो अलग-अलग अवधारणाएँ हैं;

(xiv) यदि परंतुक धनवापसी की मात्रा से निपटने के लिए था, तो संसद ने अलग से शून्य मूल्यांकित आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान और घरेलू आपूर्ति के लिए एक अलग प्रावधान बनाया होगा। चूंकि ऐसा नहीं किया गया है, इसलिए दोनों मामलों में अप्रयुक्त आई. टी. सी. की वापसी का अधिकार प्राप्त होता है।

मूल प्रावधान के माध्यम से;

(xv) धारा 54 (3) छूट के समान नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य है:

कर तटस्थता प्राप्त करना;

(xvi) मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम में नौ न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय पर निर्भरता। भारत संघ (ऊपर) से बाहर है

संदर्भ के बाद से जो धनवापसी के रूप में दावा किया जा रहा है वह वैधानिक अभ्यास के विपरीत नहीं है, बल्कि एक के माध्यम से धनवापसी है

कानून का उचित निर्माण;

(xvii) सारांश में मुख्य प्रस्तुतियाँ ये हैं:

(अ)

परंतुक में अभिव्यक्ति 'इनपुट' यदि प्रासंगिक रूप से पढ़ा जाए, और सख्त वैधानिक परिभाषा के अनुसार नहीं, दोनों को शामिल करेगा

व्याकरणिक रूपसँ 'निवेश' श्रम आ सामग्रीकेँ शामिल करैत अछि आ अछि -

(ख)

'आउटपुट' के विपरीत;

((ग)

परिभाषित के विपरीत "आउटपुट सप्लाई" शब्द का उपयोग अभिव्यक्ति "बाहरी आपूर्ति" (धारा 2 (83)) पर जोर देती है।

सामान्य बोलचाल के शब्दों का उपयोग करने का विधायी इरादा;

((घ)

ऋण और परंतुक को केवल एक के रूप में माना जाना चाहिए सीमा शर्त कि एक "उल्टे शुल्क संरचना" को होना चाहिए

माल मौजूद है;

(ई)

यदि उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं हैं, तो

इनपुट माल और इनपुट के बीच एक दुर्भावनापूर्ण भेदभाव होना

अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करने वाली सेवाएं; और

(च)

ऐसे मामले में प्रावधान को बचाने का एकमात्र तरीका है (i)

वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल करने के लिए परंतुक में "निवेश" शब्द को पढ़ना या (ii) परंतुक की व्याख्या निर्धारित शर्तों के रूप में करना और धनवापसी की मात्रा धारा 54 (3) के मुख्य भाग द्वारा विहित; या (iii) उल्लंघनकारी भाग को काटना/काटना;

(xviii) अपनी संवैधानिक वैधता को बचाने के लिए क़ानून के शब्दों को पढ़ने के सिद्धांत में पढ़ना भी शामिल है। यदि दो व्याख्याएँ संभव हैं, तो वह जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रावधान संवैधानिक रूप से मान्य है, उसे अपनाया जाना चाहिए। अन्यथा भी, यदि "उत्पादन आपूर्ति पर कर की दर से अधिक निवेश पर" वाक्यांश को हटा दिया जाता है, तो निवेश वस्तुओं और निवेश सेवाओं के बीच अस्वीकार्य वर्गीकरण हो सकता है।

काट दिया जाए, जिससे वर्ग का विस्तार हो। इसके तहत

परिस्थितियों के अनुसार धारा 54 (3) को इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए

निम्नलिखित है:

" (3) उप-धारा 10 के प्रावधानों के अधीन, एक पंजीकृत व्यक्ति किसी भी अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड का दावा कर सकता है।

किसी भी कर अवधि की समाप्ति:

यह प्रावधान है कि अप्रयुक्त निवेश कर क्रेडिट का कोई रिफंड नहीं

इसके अलावा अन्य मामलों में अनुमति दी जाएगी

(1) कर के भुगतान के बिना की गई शून्य श्रेणी की आपूर्ति; भारत का आई. ओ. एन. v.

वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

((ii) जहां ऋण कर की दर (शून्य दर या पूरी तरह से छूट प्राप्त आपूर्ति के अलावा) के कारण जमा हुआ है,

वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति को छोड़कर जो सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सकती है।

परिषद "।

किक्स) इनपुट वस्तुओं और इनपुट सेवाओं के लिए उल्टे शुल्क ढांचे के कारण धनवापसी की मांग करने वाले सभी पंजीकृत व्यक्ति एक ही वर्ग का हिस्सा हैं और विशेषाधिकारों की समानता चाहते हैं।

अनुच्छेद 14 के अनुसार:

क) वर्ग विधान

इस वर्ग में सभी पंजीकृत व्यक्ति शामिल हैं जिनके पास

आपूर्ति या निर्यात; इन प्रजातियों में (i) निर्यातक और (ii) घरेलू आपूर्तिकर्ता शामिल हैं, जहां उल्टे ऋण के कारण अप्रयुक्त ऋण उत्पन्न होता है।

कर्तव्य संरचना;

प्रजातियों या उप-प्रजातियों के बीच भेदभाव

आई.

एक ही वर्ग एक वर्ग कानून होगा जो अनुच्छेद द्वारा प्रभावित है

14 ;

एक ही वर्ग का हिस्सा बनने के लिए, दावेदार की स्थिति

1 .

काफी हद तक समान या समान परिस्थितियों में होना चाहिए, और

शर्तें समान नहीं होनी चाहिए; और

यह पता लगाने के लिए कि क्या व्यक्तियों को समान रूप से रखा गया है

किसी को वर्गीकरण से परे और उद्देश्य में देखना चाहिए

कानून।

x) वस्तुओं और सेवाओं को, हालांकि अलग से परिभाषित किया गया है, दोनों में कई पहलुओं में काफी हद तक समान तरीके से व्यवहार किया जाता है

संविधान और सी. जी. एस. टी. अधिनियम में;

xxi) भेदभावपूर्ण व्यवहार की जांच करने में, यह वास्तविक प्रभाव है

जिस प्रावधान पर विचार किया जाना चाहिए: इस प्रावधान का वास्तविक प्रभाव अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है।

अ)

जो जी. एस. टी. की सामंजस्यपूर्ण संरचना या वस्तुओं और सेवाओं के लिए सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय बाजार को कायम नहीं रखता है, जो जी. एस. टी. के संवैधानिक उद्देश्य के विपरीत है।

अनुच्छेद 279ए (6) और [2021] 15 एस. सी. आर. में प्रदान किया गया है।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

प्रभाव कि माल मूर्त हैं जबकि सेवाएँ हैं

अमूर्त का विधान के उद्देश्य या अनुच्छेद 279ए (6) के साथ कोई उचित संबंध नहीं है। प्रस्तुतिकरण के अनुसार, एक उल्टे शुल्क संरचना से जुड़े मामलों में करों के रिफंड के संबंध में समान कानून सभी पर एक ही स्थिति में लागू होने चाहिए, चाहे वह इनपुट वस्तुओं या इनपुट सेवाओं में हो। चूँकि जी. एस. टी. का उद्देश्य कर तटस्थता, समानता और मुनाफाखोरी विरोधी स्थिति प्राप्त करना है, इसलिए उनकी स्थिति काफी हद तक समान है। कर योग्य घटना, व्यक्ति, कर का माप, तंत्र, दंडात्मक और अभियोजन प्रावधान काफी हद तक समान हैं। इसलिए इनपुट सेवाओं को धनवापसी के विशेषाधिकार से इनकार करना मनमाना है। जो वर्गीकरण संदर्भ के दिए गए ढांचे में मान्य पाया जाता है, वह एक अलग ढांचे में अमान्य हो सकता है। राजस्व संचयन के दृष्टिकोण से, वस्तुओं और सेवाओं को अलग माना जा सकता है। हालांकि, के दृष्टिकोण से

तटस्थता और वास्तविक उपभोग कर, वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए अलग तरीके से व्यवहार नहीं किया जा सकता है।

इनपुट सेवाओं पर धनवापसी का अप्रत्यक्ष प्रभाव उसी उपभोक्ता पर पड़ेगा जिसे राज्य सबसे पहले लाभ पहुंचाना चाहता था। इसके अलावा, राज्य ने ऋण प्रदान करते समय इनपुट वस्तुओं और इनपुट सेवाओं के बीच कोई अंतर नहीं किया है, जिससे कर तटस्थता प्राप्त करने का इरादा घोषित किया गया है। इनपुट सेवाओं पर धनवापसी से इनकार करना उस इरादे को मिटा देता है और कानून के उद्देश्य के विपरीत चलता है; और इनपुट सेवाओं के मामले में ब्याज से इनकार करना एक अनुचित प्रतिबंध होगा और इसे अनुच्छेद 19 (6) द्वारा बचाया नहीं जाएगा।

ऑन ऑफ इंडिया वी. वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

श्री अरविंद दातार, विद्वान वरिष्ठ वकील 1 9 ने निम्नलिखित आग्रह किया:

एनएस:

धारा 54 (3) प्रथम परंतुक (ii) की व्याख्या जो

इनपुट सेवाओं पर ऋण की अनुमति न देना अस्वीकार्य है।

सबसे पहले, अनुच्छेद 269ए और 279ए

सौ प्रथम संवैधानिक संशोधन की मांग

वस्तुओं और सेवाओं में सामंजस्य स्थापित करें और कैस्केडिंग प्रभाव को दूर करें

करों से। दूसरा, उद्देश्यों और कारणों का कथन।

संवैधानिक संशोधन और विधेयक से संबंधित

सी. जी. एस. टी. अधिनियम को लागू करने में वस्तुओं और सेवाओं को एक संयुक्त श्रेणी के रूप में मानने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। जी. एस. टी. कानूनों द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

केवल धनवापसी के समय;

धारा 54 (3) का प्रावधान केवल उन मामलों की श्रेणियों के बारे में बताता है जहां धनवापसी उपलब्ध होगी। यह धन वापसी की मात्रा पर प्रतिबंध की बात नहीं करता है। यह निम्नलिखित के लिए है

कारण:

(क) मात्रा मुख्य उप-धारा (3) द्वारा निर्धारित की जाती है, जो "किसी भी अप्रयुक्त निवेश कर की वापसी" की बात करती है।

क्रेडिट ";

(ख) पहला परंतुक "मामले" शब्द का उपयोग करता है ["इसके अलावा अन्य मामलों में अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की कोई वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी"] इस प्रकार यह स्पष्ट करता है कि यह केवल मामलों की श्रेणियों को सूचीबद्ध करता है, और क्रेडिट की मात्रा से संबंधित नहीं है;

(ग) पहले परंतुक में "उस सीमा तक ऋण" या "उसके बराबर राशि का ऋण" या मात्रा का संकेत देने वाले ऐसे किसी अन्य शब्द का उल्लेख नहीं है; (घ) जहाँ विधायिका ने मात्रा का विज्ञापन करने का इरादा किया है, वहाँ उसने "वापसी के रूप में दावा की गई राशि" शब्दों का उपयोग किया है।

4th परंतुक-इस तरह पहले में नियोजित वाक्यांश नहीं है

परंतुक;

(ई) दूसरा और तीसरा प्रावधान भी केवल 'मामलों' को संदर्भित करता है-इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पहला, दूसरा और तीसरा प्रावधान हैं:

मामलों से निपटने का इरादा है और शर्तों की प्रकृति में हैं, जबकि यह केवल चौथा परंतुक है जो

जी 2020 [2021] 15 एस. सी. आर. की एस. एल. पी. (सिविल) संख्या 589 में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मात्रा और वहाँ फिर से मात्रा को प्रतिबंधित करने के लिए नहीं बल्कि केवल धनवापसी के रूप में दावा की गई राशि को संदर्भित करने के लिए मुख्य उप-धारा (3); और

(च) यह केंद्र सरकार का मामला रहा है कि हर शब्द

धारा 54 (3) प्रथम परंतुक (ii) में सावधानीपूर्वक चुना गया है। यह इस प्रकार है कि जहां प्रावधान श्रेणियों की भाषा बोलता है (यानी 'मामले') और की भाषा नहीं

क्वांटम (अर्थात 'राशि'), इसे किसी भी रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है

मात्रा का प्रतिबंध।

(iii) धारा 54 (3) के पहले परंतुक (ii) में 'निवेश' शब्द

वस्तुओं और सेवाओं के समुच्चय को संदर्भित करता है जो हैं

उत्पादन आपूर्ति में उपयोग किया जाता है। पहले परंतुक (ii) के संदर्भ में, 'निवेश' शब्द का उपयोग केवल निवेश वस्तुओं के लिए नहीं किया गया है। परंतुक में प्रयुक्त शब्द "निवेश" है जबकि धारा 2 (59) के तहत "निवेश" की परिभाषा केवल वस्तुओं को संदर्भित करती है।

((iv) (आई. टी. सी. का) संचय इसलिए है क्योंकि सभी निवेशों (वस्तुओं या सेवाओं या दोनों) पर कुल जी. एस. टी. उत्पादन आपूर्ति पर देय जी. एस. टी. से अधिक है। संदर्भ यह है कि

उत्पादन आपूर्ति के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी निवेश;

(v) धारा 54 (3) के पहले परंतुक (ii) में "निवेश" शब्द को वस्तुओं तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता है क्योंकि सी. जी. एस. टी. अधिनियम/एस. जी. एस. टी. अधिनियम

वस्तुओं को सेवाओं के रूप में मानते हैं। उदाहरण के लिए, स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना माल में अधिकार के हस्तांतरण को अनुसूची II के खंड 1 (बी) के अनुसार "सेवाओं की आपूर्ति" माना जाता है। इस प्रकार है:

" बी। माल में या अविभाजित हिस्से के अधिकार का कोई हस्तांतरण माल के स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना, एक आपूर्ति है

सेवाएं; "

(vi) इसी तरह, सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (119) में परिभाषित "कार्य अनुबंध" को अनुसूची 2 के खंड 6 (ए) के अनुसार "सेवाओं की आपूर्ति" माना जाता है, हालांकि इसमें वस्तुओं की आपूर्ति शामिल है। धारा 2 (119) और अनुसूची का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

" अनुभाग। 2 (119) " "कार्य अनुबंध" से भारत के भवन, निर्माण, निर्माण, पूरा करने का अनुबंध अभिप्रेत है।

वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

निर्माण, स्थापना, फिटिंग आउट, सुधार,

किसी भी अचल संपत्ति का संशोधन, मरम्मत, रखरखाव, नवीनीकरण, परिवर्तन या चालू करना, जिसमें

माल में संपत्ति का हस्तांतरण (चाहे वह माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) ऐसे माल के निष्पादन में शामिल है। अनुबंध "

अनुसूची II की धारा 6 (ए) में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

समग्र आपूर्ति

मिश्रित आपूर्ति को एक आपूर्ति के रूप में माना जाएगा

सेस, अर्थात्:

धारा 2 के खंड (119) में परिभाषित अनुबंध।

वस्तुओं की मानित बिक्री के रूप में आपूर्ति के प्रकार, सूची II की पूर्व प्रविष्टि 54 से संबंधित हैं और इसका हिस्सा हैं जो केवल वस्तुओं से संबंधित है। अनुच्छेद 366 (29ए) इस प्रकार है: "
(29(क) वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर में शामिल हैं -

(क) नकदी के लिए किसी भी माल में संपत्ति के हस्तांतरण पर कर, अन्यथा किसी संपर्क के अनुसरण में, आस्थगित

भुगतान या अन्य मूल्यवान विचार;

(बी) निष्पादन में लागू माल (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) में संपत्ति के हस्तांतरण पर कर

एक कार्य अनुबंध का;

(ग) किराया खरीद या किसी अन्य वस्तु पर माल की डिलीवरी पर कर।

किश्तों द्वारा भुगतान की प्रणाली;

(ई) किसी भी अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय द्वारा उसके किसी सदस्य को नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल की आपूर्ति पर कर; (च) किसी भी सेवा के माध्यम से या उसके हिस्से के रूप में या किसी भी अन्य तरीके से, खाद्य या मानव उपभोग के लिए किसी अन्य वस्तु की आपूर्ति पर कर या [2021] 15 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

कोई पेय (चाहे वह मादक हो या न हो), जहां ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए है, और किसी भी माल का ऐसा हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति की बिक्री मानी जाएगी। उन वस्तुओं का हस्तांतरण , वितरण या आपूर्ति करने वाले व्यक्ति द्वारा और उन वस्तुओं की खरीद उस व्यक्ति द्वारा की जाती है जिसे ऐसा हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति की जाती है।

सी. जी. एस. टी. अधिनियम के अध्याय 5 (धारा 16 से 21) में वस्तुओं या सेवाओं पर निवेश कर के जमा के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है। सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 17 के तहत, छूट प्राप्त आपूर्ति या उसमें निर्दिष्ट आपूर्ति के अन्य वर्गों में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर इनपुट कर नहीं है।

आई. टी. सी. के रूप में लाभ उठाने की अनुमति। शेष/शेष निवेश कर आई. टी. सी. के रूप में प्राप्त करने के योग्य है, जो करदाता के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में रहता है। उपयोग करने के बाद

(6) इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र या इलेक्ट्रॉनिक में शेष राशि इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत देय कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क या किसी अन्य राशि के भुगतान के बाद क्रेडिट खाता-बही को निम्नलिखित के अनुसार वापस किया जा सकता है:

धारा 54 के प्रावधान "

वस्तुओं या सेवाओं पर आई. टी. सी. में कोई अंतर नहीं है।

क्रेडिट का लाभ उठाने या लेने के समय या क्रेडिट के उपयोग के समय। इसलिए, संसद का इरादा धारा 54 के पहले परंतुक के खंड (ii) के तहत परिकल्पित उल्टे शुल्क ढांचे के मामले में केवल धनवापसी के समय दोनों के बीच अंतर करने का नहीं हो सकता था। उपरोक्त प्रस्तुतियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और यह मानते हुए कि "निवेश" शब्दों का अर्थ केवल निवेशित वस्तुएं हैं न कि निवेशित सेवाएं, यह कहा जाता है कि यहां तक कि भारत के एन. आई. ओ. एन. v. के आधार पर भी आगे बढ़ना।

वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

कि "के कारण" शब्दों का उपयोग सुझाव देता है कि

इनपुट वस्तुओं की उच्च दर और ऋण के संचय के बीच एक कारण संबंध की आवश्यकता, एक बार ऐसा संबंध मौजूद होने के बाद, पूरा संचय है केवल इनपुट माल से संबंधित हिस्से के बजाय धनवापसी के रूप में उपलब्ध है। विस्तार से बताने के लिए:

(अ)

संसद ने यह नहीं कहा कि "श्रेय पूरी तरह से जमा हुआ है /

केवल/पूरी तरह से निवेश पर कर की दर अधिक होने के कारण

उत्पादन आपूर्ति पर कर की दर से अधिक। ;

इस प्रकार, केवल यह आवश्यक है कि संचय हो और

(ख)

कि इनपुट वस्तुओं पर कर उत्पादन आपूर्ति से अधिक है। यदि इन दो मानदंडों को पूरा किया जाता है, तो यह तार्किक रूप से इस प्रकार है कि संचय का कम से कम कुछ हिस्सा इसके कारण होगा -

निवेश सेवाओं की उच्च दर; और

इसके बाद, पूरा संचय इस प्रकार उपलब्ध होगा

((ग)

मुख्य उप-धारा (3) के अनुरूप धनवापसी; और

(xi) विवादित अधिसूचनाएँ/प्रत्यायोजित विधान, अधिसूचना

सं. 21/2018-सी. टी. (नियम 89 (5) में संशोधन) दिनांक 18 अप्रैल 2018 और अधिसूचना सं. 26/2018 (नियम में पूर्वव्यापी संशोधन)

89 (5)) दिनांक 13 जून 2018, धनवापसी की अनुमति नहीं देकर

एक उल्टे शुल्क संरचना परिदृश्य में इनपुट सेवाओं पर कर का आई. टी. सी. न केवल धारा 54 (3) परंतुक के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, बल्कि प्रतिनिधि यानी केंद्र सरकार की शक्तियों के दायरे से भी बाहर है, क्योंकि इस तरह का प्रतिबंध एक विशिष्ट नीतिगत परिवर्तन है जो एक नियम के माध्यम से नहीं किया जा सकता था।

प्रत्यायोजित कानून।

17. हस्तक्षेपकर्ता श्री जी नटराजन की ओर से पेश होते हुए

उनकी प्रस्तुतियों में से ई ने आग्रह किया (उनकी प्रस्तुतियों के उद्देश्य के लिए) कि

इस स्थिति पर विवाद नहीं है कि धारा 54 (3) के तहत नियम के साथ पढ़ा जाता है , केवल "इनपुट वस्तुओं" के कारण जमा होने वाले आई. टी. सी. का धनवापसी

रिफंड और इनपुट सेवाओं पर संचित क्रेडिट के लिए नहीं है

रिफंड के लिए एड। इस परिकल्पना के आधार पर, प्रस्तुतियाँ

एड सलाहकार इस प्रकार हैं:

((i)

नियम 89 (5) में निर्धारित सूत्र की मांग की गई है।

एक उल्टे दर संरचना वाले बाहरी आपूर्ति के लिए जिम्मेदार निवेश पर प्राप्त आई. टी. सी. की मात्रा की पहचान करना। निवेश पर आई. टी. सी. की मात्रा से, [2021] 15 एस. सी. आर. द्वारा देय कर।

ऋण की मात्रा तक पहुँचने के लिए कम किया जाता है उल्टे दर संरचना के कारण जमा होना,

जो वापसी के लिए उपलब्ध है;

((ख)

नियम 89 (5) के तहत निर्धारित सूत्र में, जबकि

"वस्तुओं या सेवाओं की ऐसी उल्टे दर वाली आपूर्ति पर देय कर" को कम करने के लिए करदाता को पहले इनपुट सेवाओं के कारण संचित आई. टी. सी. का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

जो अन्यथा धनवापसी के लिए पात्र नहीं है;

(111) यदि नियम 89 (5) के तहत निर्धारित सूत्र को इस तरह से नहीं पढ़ा जाता है, तो यह दोनों के बीच सकल असमानता को जन्म देगा।

केवल उल्टे मूल्यांकन वाली आपूर्ति वाले करदाता और करदाता

जिनके पास अन्य आपूर्ति भी है; और

((iv)

इसलिए नियम 89 (5) के सूत्र को इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए -

यह निर्धारित करते हुए कि शुद्ध आई. टी. सी. और ऐसी आपूर्ति पर देय कर के बीच के अंतर के रूप में वापसी की पात्रता की गणना करते समय, कर के भुगतान के लिए उल्टे दर की आपूर्ति के कारण इनपुट सेवाओं पर प्राप्त आई. टी. सी. का उपयोग करने के बाद देय कर होना चाहिए गणना की गई।

18. अपनी मौखिक प्रस्तुतियों के दौरान श्री नटराजन ने उपरोक्त प्रस्तुतियों पर आगे जोर देते हुए कहा कि

(i) नियम 89 (5) असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करने के दोष से ग्रस्त है।

ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक भेदभाव के परिणामस्वरूप

निर्धारिती जिनके पास केवल उल्टा मूल्यांकन की गई आपूर्ति है और वे

जिनके पास अन्य आपूर्ति है;

((ii) आई. टी. सी. इनपुट वस्तुओं और इनपुट सेवाओं दोनों पर उपलब्ध है।

(iii) प्रत्येक कर अवधि के अंत में, यह नोट करना संभव है कि इनपुट वस्तुओं या इनपुट सेवाओं से कितना आई. टी. सी. उत्पन्न हुआ है। हालांकि, एक बार इलेक्ट्रॉनिक खाते में क्रेडिट का उपयोग करने के बाद, इनपुट वस्तुओं के बीच जो बचा है उसे विभाजित करना संभव नहीं है।

और निवेश सेवाएँ;

(iv) उपरोक्त पृष्ठभूमि में, निर्माता को करों के भुगतान के लिए पहले इनपुट सेवाओं पर आई. टी. सी. का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

देयता का भुगतान केवल इसके कारण संचित आई. टी. सी. से किया जाता है इनपुट माल। इस प्रकार, धारा में क़ानून द्वारा क्या दिया गया है

16 में निर्धारित सूत्र द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से दूर ले जाया जाता है

नियम। इस प्रकार, ऋण के उपयोग का आदेश दिया जाना चाहिए।

ऐसी उल्टे दर की आपूर्ति से संबंधित इनपुट सेवाओं पर वस्तुएँ और सेवाएँ "।

एक अन्य हस्तक्षेपकर्ता 20, श्री श्राफ, विद्वान वकील के लिए उपस्थित

1 कि

यदि नियम 89 (5) का स्पष्टीकरण (क) धारा के अधिकार से बाहर है।

54 (3) , अप्रयुक्त आई. टी. सी. में इसके अलावा पूंजीगत सामान भी शामिल होना चाहिए।

इलेक्ट्रॉनिक खाता-बही इनपुट के बीच कोई अंतर नहीं करता है। माल और निवेश सेवाएँ। क्रेडिट एकीकृत के तहत उत्पन्न होता है

कर, केंद्रीय कर और राज्य कर। इलेक्ट्रॉनिक खाता प्रस्तुत करता है

निवेश वस्तुओं, निवेश सेवाओं और पूंजी का सामूहिक ऋण

सामान;

ओ असमानता इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि लघु और मध्यम उद्यम

(एस. एम. ई.) एक उत्पाद के साथ, एक उल्टे दर संरचना का सामना करते हुए,

नियम 89 (5) में पूर्वव्यापी संशोधन हटा देता है। निहित या अर्जित अधिकार।

विद्वान वकील श्री उचित शेठ ने निम्नलिखित आग्रह किया है:

एनएस:

एक बार जब कर क्रेडिट का दावा किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक में जमा किया जाता है

क्रेडिट खाता, यह क्रेडिट का एक समेकित पूल बनाता है, जिससे

इनपुट वस्तुओं के लिए ऋण में अलग करना असंभव है और निवेश सेवाओं के लिए ऋण। इसलिए इसका पता लगाना संभव नहीं है।

/ 2021

2021 की एस. एल. पी. (सिविल) संख्या 2973,2020 की 16003,2021 की 677 और 1340
[2021] 15 एस. सी. आर.

अप्रयुक्त आईटीसी का स्रोत। धारा 54 (3) का प्रावधान केवल आई. टी. सी. का दावा करने के लिए एक शर्त पूर्ववर्ती देता है और एक बार शर्त पूरी हो जाने के बाद, धनवापसी स्वीकार्य है। अप्रयुक्त निवेश आई. टी. सी. की पूरी राशि;

((ख)

नियम 89 (5) में संशोधित सूत्र अधिकतम निर्धारित करता है।

निवल आई. टी. सी. निवेशित वस्तुओं से उत्पादन कर काटकर धनवापसी की अनुमति है। दूसरे शब्दों में, यह माना जाता है कि उत्पादन कर को पहले इनपुट वस्तुओं से संबंधित आई. टी. सी. के खिलाफ समायोजित किया जाता है और उसके बाद इनपुट सेवाओं को समायोजित किया जाता है। टैक्स क्रेडिट के उपयोग में इस तरह के पदानुक्रम का कोई आधार नहीं है और नियम बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 54 (3) की गलत व्याख्या के कारण विसंगति उत्पन्न होती है।

(iii)

अधिनियम की धारा 49 (6) में यह प्रावधान है कि

इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र

कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क या किसी अन्य देय राशि का भुगतान धारा 54 के अनुसार वापस किया जाना है। यदि धारा 54 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाता है तो बही खाते में शेष राशि को वापस करना कानूनी दायित्व है। इस तरह के संतुलन के कृत्रिम विच्छेदन का कोई कानूनी आधार नहीं है।

((iv) यदि निवेश पर कर की दर उत्पादन आपूर्ति पर कर की दर से अधिक है, तो संपूर्ण अप्रयुक्त आई. टी. सी. -

ऐसी परिस्थिति और कर क्रेडिट की पूरी शेष राशि को वापस किया जाना आवश्यक है। अभिव्यक्ति 'के कारण' को 'की सीमा तक' के अर्थ में नहीं पढ़ा जा सकता है, विशेष रूप से जब अप्रयुक्त आईटीसी की गणना करना संभव नहीं है। वस्तुओं या सेवाओं को निवेशित करना;

(v)

'इनपुट' शब्द के दो अलग-अलग अर्थ हैं।

पहला इसे वस्तुओं और सेवाओं के रूप में अलग करता है जबकि दूसरा इसे उत्पादन से अलग करता है। 'इनपुट टैक्स' और 'इनपुट टैक्स क्रेडिट' अभिव्यक्ति को वस्तुओं के साथ-साथ सेवाओं दोनों के संबंध में कर को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है और 'इनपुट सर्विस टैक्स क्रेडिट' नामक कोई वाक्यांश नहीं है। धारा 54 (3) के परंतुक में 'इनपुट' अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है

इसे उत्पादन से अलग करने के लिए दूसरा अर्थ; और

(vi) जी. एस. टी. एक गंतव्य आधारित उपभोग कर है और कर का अधिरोपण आपूर्ति पर होता है। एक आपूर्तिकर्ता केवल भारत संघ की उत्पादन आपूर्ति पर देय सीमा तक कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

वस्तु या सेवाएँ और उल्टे शुल्क संरचना के तहत आई. टी. सी. के निवेश के अतिरिक्त शेष की वापसी इस लक्षय को प्राप्त करने का एक साधन है। यदि अतिरिक्त कर क्रेडिट वापस नहीं किया जाता है, तो आपूर्तिकर्ता की कर देयता प्रभार अनुभाग द्वारा निर्धारित देयता से अधिक होगी और इस तरह की व्याख्या से बचा जाना चाहिए।

21. उत्तरदाता 2 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील डॉ. अरविंद पोद्दार ने आग्रह किया कि उत्तरदाता कपड़ा उद्योगों के लिए रंगाई और मुद्रण सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में हैं। नौकरी के संचालन के लिए, वे इनपुट सामान (जैसे रसायन, स्टेशनरी और रंग) खरीदते हैं। और बाहरी आपूर्ति प्रदान करने के लिए, वे अनुबंध श्रम, परामर्श, संयंत्रों और मशीनरी की मरम्मत जैसी इनपुट सेवाओं का भी लाभ उठाते हैं। कपड़ा कपड़ों पर नौकरी के काम की बाहरी आपूर्ति की दर 5 प्रतिशत है, जबकि इनपुट वस्तुओं और इनपुट सेवाओं पर दर 12 प्रतिशत/18 प्रतिशत है। इस प्रकार, अधिकांश इनपुट वस्तुएं और इनपुट सेवाएं बाहरी आपूर्ति पर लागू जीएसटी की दर की तुलना में जीएसटी की उच्च दर को आकर्षित करती हैं जो 5 प्रतिशत है। उल्टा शुल्क संरचना के परिणामस्वरूप उल्टा आपूर्ति पर जी. एस. टी. की दर बाहरी आपूर्ति की तुलना में अधिक होती है। नतीजतन, समय के साथ, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में क्रेडिट जमा हो जाता है। इस पृष्ठभूमि में निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह किया गया है:

धारा 54 (3) के पहले परंतुक का खंड (ii) मात्र

((i)

पात्रता शर्तों को निर्धारित करता है जिसके अधीन अप्रयुक्त आई. टी. सी. की वापसी की जा सकती है। धारा 54 (3) का मुख्य भाग दो शर्तों की संतुष्टि के अधीन किसी भी अप्रयुक्त आई. टी. सी. की वापसी की अनुमति देता है-या तो निर्धारिती करों का भुगतान किए बिना शून्य दर वाली आपूर्ति कर रहा है या जहां निवेश पर कर की दर उत्पादन आपूर्ति पर कर की दर से अधिक होने के कारण

जमा हो रहा है। पहले परंतुक का खंड (ii) केवल पात्रता की एक शर्त निर्धारित करता है जिसके अधीन धनवापसी
अप्रयुक्त आई. टी. सी. बनाया जा सकता है;

((ख)

नियम 89 (5) धनवापसी की गणना के लिए एक प्रक्रिया प्रदान करते हुए

धारा 54 (3) के तहत एक कृत्रिम प्रतिबंध लगाया गया है जो मुख्य क़ानून में निर्धारित नहीं किया गया है और स्पष्ट रूप से मनमाना और अवैध है। धारा 49 ऋण उपयोग की अनुमति देती है।

चाहे वह इनपुट माल या इनपुट से बाहर हो

एसएलपी (सिविल) संख्या 1868/2021 [2021] 15 एस. सी. आर. में दिखाई देना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सेवाएँ। दूसरी ओर, नियम 89 (5) कृत्रिम रूप से उस सूत्र को शुरू करके क्रेडिट को प्रतिबंधित करता है जिसके तहत शुल्क का भुगतान केवल इनपुट वस्तुओं और इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट से किया जा सकता है।

और इसलिए इनपुट सेवाओं का श्रेय जारी रहेगा।

जमा करते हैं। नियम 89 (5) में करदाताओं को पहले इनपुट सेवाओं के माध्यम से उपयोग करने और भुगतान करने की अनुमति देनी चाहिए और फिर शेष राशि को इनपुट पर क्रेडिट के माध्यम से भुगतान करने की अनुमति देनी चाहिए।

यह विरोधाभासी है कि एक ओर इसकी परिभाषा

(iii)

इनपुट सेवाओं पर प्राप्त आई. टी. सी. को बाहर करने के लिए शुद्ध आई. टी. सी. में संशोधन किया गया है, दूसरी ओर, सेवाओं की उलटी आपूर्ति का कारोबार और सेवाओं की ऐसी उलटी दर वाली आपूर्ति पर देय कर को गणना के सूत्र में शामिल किया गया है।

धन वापसी की अधिकतम राशि।

डी. 3 भारत संघ द्वारा प्रत्युत्तर 22. निर्धारिती की प्रस्तुतियों के जवाब में, श्री एन.

विद्वान ए. एस. जी. अतरमन ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं:

((i)

उत्तरदाताओं का निवेदन कि अनुच्छेद 279 क (6)

संविधान जी. एस. टी. की एक सामंजस्यपूर्ण संरचना को अनिवार्य करता है और निम्नलिखित कारणों से वस्तुओं और सेवाओं के बीच व्यवहार की समानता को गलत ठहराता है:

अनुच्छेद 279 ए (6) उपचार की समानता को बाध्य नहीं करता है।

(अ)

वस्तुओं और सेवाओं के बीच। वास्तव में, अनुच्छेद 366 (12) 'वस्तुओं' की परिभाषा से संबंधित है, अनुच्छेद 366 (26 ए) 'सेवाओं' की परिभाषा से संबंधित है और अनुच्छेद 366 (12 ए) 'वस्तुओं और सेवाओं' को परिभाषित करता है। इस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं की पहचान की जाती है।

दो अलग पहलुओं के रूप में;

अनुच्छेद 279 ए जी. एस. टी. परिषद से संबंधित है। इसका उद्देश्य

(ख)

अनुच्छेद 279 ए (6) यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जी. एस. टी. परिषद, अपने कार्य का निर्वहन करते समय, एक आवश्यकता द्वारा निर्देशित है सामंजस्यपूर्ण संरचना। इस प्रकार, इस संदर्भ में 'सामंजस्यपूर्ण' या सद्भाव शब्द का अर्थ होगा संघ के बीच एकरूपता, निरंतरता, साझा मूल्य और जिम्मेदारियां।

सरकार और राज्य सरकारें। अनुच्छेद 279 (ए) (6) का सार सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है।

वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

यदि उत्तरदाताओं की व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह अनुच्छेद 279 ए (4) को अनुचित बना देगा क्योंकि यह जी. एस. टी. परिषद को जी. एस. टी. की श्रेणियों के साथ दरों और न्यूनतम दरों सहित सिफारिशें करने की अनुमति देता है।

अप्रयुक्त आई. टी. सी. वाले पंजीकृत निर्धारिती एक नहीं बनाते हैं

अलग और अलग वर्ग। अप्रयुक्त आई. टी. सी. वस्तुओं या सेवाओं की उत्पादन आपूर्ति पर भारी छूट के कारण जमा हो सकता है; हिंसक मूल्य निर्धारण में लिप्त होने के लिए एक व्यावसायिक रणनीति के रूप में;

माल के कम मूल्यांकन के परिणामस्वरूप व्यवसाय का नुकसान; भगवान का एक अधिनियम; और अन्य कारणों के साथ-साथ निवेश या इनपुट सेवाओं के कारण उल्टे शुल्क संरचना। इस प्रकार, हालांकि अप्रयुक्त आई. टी. सी. जमा करने वाले पंजीकृत निर्धारिती एक श्रेणी का गठन करते हैं, लेकिन इसकी कई प्रजातियां हैं। संसद को इस श्रेणी से प्रजातियों को चुनने का अधिकार है और

रियायतें या लाभ प्रदान करें। यह समान रूप से समान और असमान रूप से असमान व्यवहार करने के बराबर होगा।

समतुल्यता, तटस्थता या द्वितीयक चरण कैस्केडिंग प्रभाव के सिद्धांत लागू नहीं होते हैं और इनपुट सेवाओं पर अप्रयुक्त आईटीसी के लिए धनवापसी के अनुदान में इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि सिद्धांतों का घोषित लक्षय हो सकता है

गंतव्य आधारित कर का अभिसरण, नीति संबंधी मुद्दे

घोषित लक्षय को कैसे प्राप्त किया जाए, यह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। पूर्ण लक्षय प्राप्त करने के लिए स्तर, प्रकार और समय सीमा

अभिसरण एक नीतिगत मुद्दा है जो न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं हो सकता है।

इनपुट और इनपुट दोनों सेवाओं के कारण आई. टी. सी. को एक इलेक्ट्रॉनिक खाते में बुक करने के बाद, यह एक समरूप खाता बनाता है।

नाभिक और आई. टी. सी. का स्रोत (अर्थात यह इनपुट या इनपुट सेवाओं से उत्पन्न होता है या नहीं) निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, इस तरह के विभाजन के लिए नियम 89 (5) में दिया गया सूत्र आवश्यक है; और

जी. एस. टी. लागू होने से पहले, एम. ओ. डी. वी. ए. टी./सेनवैट नियमों में पात्रता की मात्रा निर्धारित करने के लिए सूत्र शामिल थे।

ऋण से। इसी तरह, समान अप्रयुक्त आई. टी. सी. को कानूनी रूप से विच्छेदित करने के लिए, पात्रता, प्रतिबंध या धनवापसी निर्धारित करने के लिए एक सूत्र का सहारा लिया जा सकता है।

ई जी. एस. टी. की संवैधानिक योजना

23. जी. एस. टी. कानून जो विश्व स्तर पर व्याप्त है, उसे लागू करना है।

एक बहु-चरणीय कर जिसके तहत आपूर्ति श्रृंखला में प्रत्येक बिंदु पर संभावित रूप से कर लगाया जाता है। आपूर्तिकर्ता पूर्ववर्ती चरण में भुगतान किए गए कर के क्रेडिट का लाभ उठाने के हकदार हैं। नतीजतन, जी. एस. टी. मूल्यवर्धन पर आधारित कर के विवरण को पूरा करता है। मूल्यवर्धन का उद्देश्य राजकोषीय तटस्थता प्राप्त करना और कराधान के एक व्यापक प्रभाव को दूर करना है जिसे पारंपरिक कर व्यवस्थाएं कायम रखने के लिए उत्तरदायी थीं। इसलिए एक अर्थ में, मूल्यवर्धन पर कर का उद्देश्य वितरण या विनिर्माण मॉडल पर निर्भर नहीं है। आपूर्ति श्रृंखला के पूर्ववर्ती चरण में भुगतान किए जाने वाले कर को समायोजित किया जाता है। मौलिक उद्देश्य तटस्थता और समानता दोनों को प्राप्त करना है

आपूर्ति श्रृंखला के पूर्ववर्ती चरण में भुगतान किए गए शुल्कों के निर्बाध ऋण का अनुदान।

24. भारत में राज्य वैट कानून एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व करता है

मूल्यवर्धन के सिद्धांत पर आधारित राजकोषीय विधान के मूल्यांकन में चरण। अखिल भारतीय कर व्यवसायी परिसंघ बनाम। संघ का

इंडिया 23, इस न्यायालय ने दो न्यायाधीशों की पीठ के माध्यम से बोलते हुए इस सिद्धांत पर ध्यान दिया कि वैट एक उपभोग कर है क्योंकि यह उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाता है। न्यायालय ने कहा कि अर्थव्यवस्था में इसके बढ़ते महत्व के साथ,

सेवा क्षेत्र "भारतीय अर्थव्यवस्था के केंद्र में है"। जैसा कि अर्थशास्त्रियों का मानना है, वस्तुओं की खपत और सेवाओं की खपत के बीच कोई अंतर नहीं है, जो दोनों मानव आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

और आवश्यकताएँ। न्यायालय ने इस बात को रेखांकित किया कि सेवा कर एक गंतव्य आधारित उपभोग कर है, जो व्यवसाय पर नहीं बल्कि उपभोक्ता पर लगाया जाता है।

सेवा करते हैं।

25. यद्यपि पूर्ववर्ती शासन ने मूल्यवर्धन-आधारित उपभोग करों के सिद्धांत को मान्यता दी थी, लेकिन विशेष रूप से केंद्र और राज्य शुल्कों के बीच ऋण के निर्बाध प्रवाह का अभाव था। द.

देश में जी. एस. टी. में अंतर्निहित संवैधानिक और कानूनी संरचना को अपनाने के लिए पृष्ठभूमि सामग्री उस महत्व को इंगित करती है जिसे एक कर व्यवस्था विकसित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था जो मूल उत्पादक और सेवा प्रदाता के बिंदु से लेकर आपूर्ति श्रृंखला में खुदरा विक्रेता के स्तर तक निरंतर श्रृंखला को प्राप्त करेगा और व्यापक कर प्रभावों के बोझ को समाप्त करेगा। इस प्रकार, 10 नवंबर 2009 को राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्रकाशित भारत में जी. एस. टी. पर पहले चर्चा पत्र में इस बात पर जोर दिया गया था कि: 23 2007 (7) एस. सी. सी. 527 भारत संघ बनाम

वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

" 1.14 ..... जी. एस. टी. में, सेनवैट और सेवा कर दोनों के व्यापक प्रभावों को बंद करने के साथ हटा दिया जाता है, और मूल उत्पादक के बिंदु और सेवा प्रदाता के बिंदु से खुदरा विक्रेता के स्तर तक बंद करने की एक निरंतर श्रृंखला स्थापित की जाती है जिससे खुदरा विक्रेता के स्तर को कम किया जाता है।

सभी कैस्केडिंग प्रभावों का बोझ। यही जी. एस. टी. का सार है, और यही कारण है कि जी. एस. टी. केवल वैट और सेवा कर नहीं है, बल्कि

वैट और असंबद्ध सेवा कर की पिछली प्रणाली में सुधार।

26. संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक 2014 में संलग्न उद्देश्यों और कारणों का विवरण जो अंततः संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) बन गया।

संशोधन) अधिनियम 2016 में कहा गया है कि जी. एस. टी. कई का स्थान लेगा -

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष कर। इसका उद्देश्य एक ऐसा वस्तु और सेवा कर लागू करना था जो दो राजकोषीय प्राथमिकताओं को पूरा करेगा, अर्थात् (1) करों के व्यापक प्रभाव को हटाना और (2) वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक साझा राष्ट्रीय बाजार प्रदान करना। उद्देश्यों और कारणों के कथन का एक उद्धरण नीचे दिया गया है:

उन वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर जिन्हें वस्तु और सेवा कर के दायरे से बाहर रखा गया है।
27. अब इसी पृष्ठभूमि में विज्ञापन देना आवश्यक हो जाता है

संवैधानिक संशोधन और परिणामी विधान। संविधान का एक सौ पहला संशोधन एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है

सहकारी संघवाद के विकास का क्षण। अपनी उत्पत्ति के बाद से, संविधान में विधायी शक्ति का तीन गुना वितरण था। अनुच्छेद 246 के तहत, सातवीं अनुसूची की संघ सूची में सूचीबद्ध विधान के विषय संसद को सौंपे गए थे, राज्य सूची में शामिल लोगों को विशेष रूप से राज्यों को सौंपा गया था और समवर्ती सूची में शामिल लोगों को अनुच्छेद 254 के प्रावधानों के तहत संसद और राज्यों दोनों को प्राथमिकता दी गई थी।

28. उदाहरण के लिए, संघ सूची की प्रविष्टि 84 में भारत में निर्मित या उत्पादित तंबाकू और अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क का प्रावधान किया गया है।

सिवाय-(ए) मानव उपभोग के लिए मादक शराब; और (बी) अफीम, भांग और अन्य नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों के। राज्य सूची की प्रविष्टि 54 में संघ सूची की प्रविष्टि 92 ए के अधीन समाचार पत्रों के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर का प्रावधान किया गया है, जिसमें अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान समाचार पत्रों के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर का प्रावधान किया गया है। प्रविष्टि 97, अन्य विषयों के साथ संघ सूची की अवशिष्ट प्रविष्टि, संघ, राज्य या समवर्ती सूची में उल्लिखित कर, जिससे इसके दायरे में 'राग-बैग' विधान की धारणा आती है। संघ सूची की पूर्व प्रविष्टि 83 (निर्यात शुल्क सहित सीमा शुल्क) या प्रविष्टि द्वारा अनुध्यात क्षेत्र 97 व्यापार के क्षेत्र में यात्रा नहीं की। बिक्री कर और वैट के क्षेत्र में राज्य के कानून ने 'निवेश', 'पूंजीगत सामान' और 'निवेश कर क्रेडिट' अभिव्यक्ति के दायरे को परिभाषित किया।

जी. एस. टी. को समझें। अनुच्छेद 246 ए को अपनाया गया था, जिसके संदर्भ में, अनुच्छेद 246 और अनुच्छेद 254 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, संसद और (खंड (2) के अधीन), प्रत्येक राज्य का विधानमंडल

राज्य के पास अनुच्छेद 246 ए के खंड (2) के तहत संघ या राज्य द्वारा लगाए गए जी. एस. टी. के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। संसद के पास माल और सेवा कर के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है जहां माल या सेवाओं की आपूर्ति, या दोनों अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है। एक सौ पहले संवैधानिक संशोधन के अधिनियमन के साथ, भारत में निर्मित या उत्पादित निम्नलिखित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क को शामिल करने के लिए संघ सूची की प्रविष्टि 84 का पुनर्गठन किया गया है, अर्थात् - 24 " अनुच्छेद 246 क। (1) अनुच्छेद 246 और 254 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, संसद और, खंड (2) के अधीन, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ या ऐसे राज्य द्वारा लगाए गए माल और सेवा कर के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है।

(2) संसद के पास माल और सेवा कर के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है जहां माल की आपूर्ति; या सेवाओं की, या दोनों अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है। स्पष्टीकरण। - इस अनुच्छेद के प्रावधान, अनुच्छेद 279 क के खंड (5) में निर्दिष्ट वस्तु और सेवा कर के संबंध में, वस्तु और सेवा कर परिषद द्वारा अनुशंसित तिथि से प्रभावी होंगे। भारत संघ v.

वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

(क) पेट्रोलियम कच्चा;

(बी) उच्च गति डीजल;

(ग) मोटर स्पिरिट (आमतौर पर पेट्रोल के रूप में जाना जाता है);

((घ) प्राकृतिक गैस;

(ई) विमानन टरबाइन ईंधन; और (च) तंबाकू और तंबाकू उत्पाद।

30. पेट्रोलियम कच्चे तेल, उच्च गति वाले डीजल, मोटर स्पिरिट की बिक्री पर करों का प्रावधान करने के लिए राज्य सूची की प्रविष्टि 54 का पुनर्गठन किया गया है।

(आमतौर पर पेट्रोल के रूप में जाना जाता है), प्राकृतिक गैस, विमानन टरबाइन ईंधन और मानव उपभोग के लिए मादक शराब, अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के अलावा।

31. अनुच्छेद 246 ए में कई बदलाव किए गए हैं।

संवैधानिक योजना:

सबसे पहले, अनुच्छेद 246 ए शक्ति के स्रोत को भी परिभाषित करता है

((i)

कानून के क्षेत्र के रूप में (वस्तु और सेवा कर के संबंध में) सातवीं अनुसूची की यात्रा करने की आवश्यकता को समाप्त करना;

दूसरा, अनुच्छेद 246 ए के प्रावधान दोनों उपलब्ध हैं।

((ख)

संसद और राज्य विधानसभाओं को छोड़कर

जहां अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति होती है, वहां जी. एस. टी. कानून बनाने की संसद की अनन्य शक्ति के लिए; और

(iii) तीसरा, अनुच्छेद 246 ए एक साथ शुल्क लगाने के संवैधानिक सिद्धांत को मूर्त रूप देता है जो सहमति के सिद्धांत से अलग है। समरूपता, जो तह के भीतर संचालित होती है

समवर्ती सूची को अनुच्छेद 254 द्वारा विनियमित किया गया था।

सभी सामग्रियों, वस्तुओं और वस्तुओं को शामिल करने के लिए "माल" अभिव्यक्ति। "वस्तु और सेवा कर" को परिभाषित करने के लिए संशोधन द्वारा खंड 12 ए पेश किया गया है:

" खंड (12 ए) "वस्तु और सेवा कर" से आपूर्ति पर कोई भी कर अभिप्रेत है। आपूर्ति पर करों को छोड़कर वस्तुओं या सेवाओं या दोनों का

मानव उपभोग के लिए मादक शराब "।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"सेवाओं" को परिभाषित करने के लिए खंड 26ए पेश किया गया है: " खंड (26क) "सेवा" से माल के अलावा कुछ भी अभिप्रेत है।

' इसलिए, संवैधानिक योजना के तहत 'सेवाओं' का अर्थ वस्तुओं के अलावा कुछ भी है।

इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री, वित्त के राजस्व के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री और वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री शामिल होंगे। अनुच्छेद 279 (ए) का खंड (4) जी. एस. टी. परिषद को इन पहलुओं पर केंद्र और राज्यों को सिफारिशें करने का अधिकार देता है। खंड (4) के उपखंड (ए) से (एच) में समझा गया है, जो नीचे दिए गए हैं:

" [.....]

(अ)

संघ द्वारा लगाए गए कर, उपकर और अधिभार, राज्य और स्थानीय निकाय जिन्हें इसमें शामिल किया जा सकता है -

माल और सेवा कर;

(ख) ऐसी वस्तुएँ और सेवाएँ जिनके अधीन या छूट दी जा सकती है।

माल और सेवा कर से; मॉडल वस्तु एवं सेवा कर कानून, शुल्क लगाने के सिद्धांत,

((ग)

अनुच्छेद 269ए के तहत अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान आपूर्ति पर लगाए गए वस्तु और सेवा कर का विभाजन और आपूर्ति के स्थान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत;

(घ) कारोबार की सीमा जिसके नीचे वस्तु और सेवाएँ हैं।

माल और सेवा कर से छूट दी जा सकती है;

(ई) वस्तुओं के समूह के साथ न्यूनतम दरों सहित दरें और

सेवा कर; किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए कोई विशेष दर या दरें, बढ़ाने के लिए

(च)

किसी भी प्राकृतिक आपदा या आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन;

(छ) अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान; और (ज) वस्तु और सेवा कर से संबंधित कोई अन्य मामला, जैसे -

परिषद निर्णय ले सकती है। भारत संघ v.

वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

अनुच्छेद 279ए के खंड (6) में कहा गया है कि: " (6) इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करते समय, वस्तु और सेवा कर परिषद को वस्तु और सेवा कर की एक सामंजस्यपूर्ण संरचना की आवश्यकता द्वारा निर्देशित किया जाएगा और

वस्तुओं के लिए एक सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय बाजार का विकास और

सेवाएँ "।

34. अनुच्छेद 279ए (6) इंगित करता है कि अपने कार्यों के निर्वहन में, जी. एस. टी. परिषद को एक सामंजस्यपूर्ण संरचना की आवश्यकता द्वारा निर्देशित किया जाना है।

संतुलन, आपसी सह-अस्तित्व की स्वीकृति। के खंड (7) से (11) अनुच्छेद 279ए में गणपूर्ति, प्रक्रिया और मतदान के प्रावधान हैं। खंड (9) किसी भी राज्य संघ के सर्वोच्चता के अभाव का एक स्पष्ट संकेतक है। खंड 9 के उपखंड (ए) के तहत, केंद्र सरकार के मत का कुल डाले गए मतों का एक-तिहाई भारांक होना चाहिए, जबकि सभी राज्य सरकारों के मतों का कुल डाले गए मतों का दो-तिहाई भारांक होना चाहिए। परिषद का प्रत्येक निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के कम से कम तीन चौथाई के बहुमत से लिया जाना है। सद्भाव का सिद्धांत तुलना या संदर्भ के सभी बिंदुओं में सटीक संयोग को स्वीकार नहीं करता है। सद्भाव सहकारी संघवाद का एक अभिधारणा है और यह आपसी सह-अस्तित्व, सम्मान और समानता के सिद्धांत पर आधारित है।

सह-विद्यमान इकाइयाँ।

सी. जी. एस. टी. अधिनियम

एफ. 1 परिभाषाएँ

35. धारा 54 (3) के प्रावधानों को समझते समय, सी. जी. एस. टी. में निहित कुछ प्रमुख परिभाषाओं का विज्ञापन करना आवश्यक हो जाता है। एक्ट करें।

धारा 2 (52) अभिव्यक्ति वस्तुओं को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित करती है:

" माल "से धन और प्रतिभूतियों के अलावा हर प्रकार की चल संपत्ति अभिप्रेत है, लेकिन इसमें कार्रवाई योग्य दावा, फसलें उगाना, घास शामिल है।

और भूमि से जुड़ी या उसका हिस्सा बनने वाली चीजें जिन्हें आपूर्ति से पहले या आपूर्ति के अनुबंध के तहत काटने पर सहमति हो। "[2021] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

36. 'माल' अभिव्यक्ति को 'साधन' के आधार पर परिभाषित किया गया है और इसमें 'सूत्र' शामिल है। वैधानिक के सुव्यवस्थित सिद्धांतों का पालन करना

व्याख्या में, विधायिका 'मतलब' अभिव्यक्ति का उपयोग करती है जब वह परिभाषा को संपूर्ण होने का इरादा रखती है। 'सम्मिलित' अभिव्यक्ति का उपयोग एक विस्तृत अर्थ व्यक्त करने के लिए किया जाता है। "साधन और शामिल" अभिव्यक्ति का उपयोग करके, विधायिका एक व्यापक परिभाषा का उपयोग करने का इरादा रखती है, जिसमें ऐसे विषयों को शामिल किया जाता है जो आम तौर पर अभिव्यक्ति की सामान्य समझ के भीतर नहीं आते हैं। इस प्रकार, 'माल' अभिव्यक्ति का अर्थ धन और प्रतिभूतियों के अलावा हर प्रकार की चल संपत्ति है। इसमें समावेशी भाग में शामिल कुछ अन्य वस्तुएं भी शामिल हैं।

(" लेकिन इसमें परिभाषा का ") शामिल है। 'माल' अभिव्यक्ति व्यापक रूप से है परिभाषित किया। 'सेवा' अभिव्यक्ति को धारा 2 (102) में निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया है:

" धारा 2 (102) "सेवाओं" का अर्थ माल, धन और प्रतिभूतियों के अलावा कुछ भी है, लेकिन इसमें धन के उपयोग या नकद या किसी अन्य माध्यम से इसके रूपांतरण से संबंधित गतिविधियाँ शामिल हैं। रूप , मुद्रा या मूल्यवर्ग, किसी अन्य रूप, मुद्रा या मूल्यवर्ग के लिए जिसके लिए एक अलग प्रतिफल लिया जाता है।

व्याख्या: शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि

"सेवा" अभिव्यक्ति में सुविधा प्रदान करना या व्यवस्था करना शामिल है।

प्रतिभूतियों में लेनदेन "।

इस प्रकार 'सेवाएँ' अभिव्यक्ति को वस्तुओं से अलग किया जाता है क्योंकि अभिव्यक्ति का अर्थ है "वस्तुओं के अलावा कुछ भी"। 37. 'इनपुट' अभिव्यक्ति की परिभाषा धारा 2 (59) में निहित है जो इस प्रकार है:

" 2 (59) " "निवेश" से पूंजीगत वस्तुओं के अलावा कोई अन्य वस्तु अभिप्रेत है जिसका उपयोग आपूर्तिकर्ता द्वारा उपयोग या आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है।

व्यवसाय "

इस प्रकार 'निवेश' शब्द का अर्थ पूंजीगत वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुएँ है। हालाँकि, परिभाषा में एक आवश्यकता शामिल है

आपूर्तिकर्ता द्वारा या व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने के लिए वास्तविक या इच्छित उपयोग।

38. ' 'इनपुट सेवा' को धारा 2 (60) में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

" इनपुट सेवा का अर्थ है किसी भी सेवा का उपयोग या उपयोग करने का इरादा

व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने में एक आपूर्तिकर्ता; "भारत संघ v.

वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

"इनपुट सेवा" की परिभाषा "इनपुट" के समानांतर है, इस महत्वपूर्ण अंतर के साथ कि जबकि "इनपुट" को संदर्भ के साथ परिभाषित किया गया है

" "किसी भी वस्तु", "निवेश सेवा" को "किसी भी सेवा" के संबंध में परिभाषित किया गया है। परिभाषाओं के दोनों सेटों में उपयोग या इच्छित की आगे की आवश्यकता शामिल है।

व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने में आपूर्तिकर्ता द्वारा उपयोग।

39. "निवेश कर" शब्द को धारा 2 (62) में परिभाषित किया गया है:

" किसी पंजीकृत व्यक्ति के संबंध में "निवेश कर" का अर्थ है केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या केंद्र शासित प्रदेश कर जो उसे की गई वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाता है और इसमें शामिल हैं -

((क) वस्तुओं के आयात पर लगाया जाने वाला एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर;

(ख) उप-धारा (3) के प्रावधानों के तहत देय कर।

और धारा 9 का (4);

(ग) एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर की धारा 5 की उप-धारा (3) और (4) के प्रावधानों के तहत देय कर।

अधिनियम;
(घ) संबंधित राज्य वस्तुओं और सेवाओं की धारा 9 की उप-धारा (3) और (4) के प्रावधानों के तहत देय कर।

कर अधिनियम; या

(ई) केंद्र शासित प्रदेश वस्तुओं और सेवाओं की धारा 7 की उप-धारा (3) और (4) के प्रावधानों के तहत देय कर।

कर अधिनियम,

लेकिन इसमें संयोजन शुल्क के तहत भुगतान किया गया कर शामिल नहीं है।

पंजीकृत व्यक्ति के संबंध में 'निवेश कर' शब्द का अर्थ है (i) केंद्रीय, राज्य, एकीकृत या केंद्र शासित प्रदेश कर; (ii) किसी पंजीकृत व्यक्ति को की गई वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों पर प्रभारित कर।

इसके बाद एक समावेशी परिभाषा आती है।

40. 'इनपुट टैक्स क्रेडिट' अभिव्यक्ति को धारा 2 (63) में परिभाषित किया गया है:

“ 2 (63) “ इनपुट टैक्स क्रेडिट "का अर्थ है इनपुट टैक्स का क्रेडिट"

स्पष्ट रूप से, चूंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट का अर्थ इनपुट टैक्स पर क्रेडिट है, इसलिए 'इनपुट टैक्स क्रेडिट' अभिव्यक्ति के दायरे को समझने के लिए 'इनपुट टैक्स' अभिव्यक्ति की परिभाषा को धारा 2 (63) में पढ़ना होगा। अब, निवेश कर माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर है। उपरोक्त परिभाषाओं के अलावा तीन अन्य परिभाषाएँ हैं जो [2021] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस स्तर पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अभिव्यक्ति 'आंतरिक आपूर्ति' को धारा 2 (67) में निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया है:

" 2 (67) " किसी व्यक्ति के संबंध में आंतरिक आपूर्ति का अर्थ होगा वस्तुओं या सेवाओं की प्राप्ति या दोनों, चाहे वह खरीद, अधिग्रहण या दोनों द्वारा हो।

विचार के साथ या विचार के बिना कोई अन्य साधन।
41. 'उत्पादन कर' शब्द को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया है:

“ 2 (82) " किसी कर योग्य व्यक्ति के संबंध में "उत्पादन कर" का अर्थ है वस्तुओं या सेवाओं की कर योग्य आपूर्ति पर इस अधिनियम के तहत प्रभार्य कर।

या दोनों उसके द्वारा या उसके एजेंट द्वारा किए गए हैं, लेकिन इसके द्वारा देय कर शामिल नहीं है

उसे रिवर्स चार्ज के आधार पर "

धारा 2 (83) में 'बाह्य आपूर्ति' अभिव्यक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

" 2 (83) " किसी कर योग्य व्यक्ति के संबंध में "बाहरी आपूर्ति" का अर्थ है माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति, चाहे वह बिक्री, हस्तांतरण, वस्तु विनिमय, विनिमय, लाइसेंस, किराया, पट्टा या निपटान या किसी अन्य तरीके से हो, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा पाठ्यक्रम में की गई हो या करने के लिए सहमत हो। व्यवसाय को आगे बढ़ाना "।

42. पुनः, जैसा कि आंतरिक आपूर्ति के मामले में, अभिव्यक्ति "बाहरी आपूर्ति" में वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति शामिल है। द.

दूसरे शब्दों में "उत्पादन कर" का अर्थ है वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की कर योग्य आपूर्ति पर अधिनियम के तहत प्रभार्य कर। उपरोक्त परिभाषाएँ तीन समूहों में आती हैं: पहला समूह रसीद से संबंधित है-धारा 2 (62), धारा 2 (63) और धारा 2 (67); दूसरे समूह में बाहरी आपूर्ति और उत्पादन कर-धारा 2 (82) और धारा 2 (83) शामिल हैं; और तीसरे समूह में माल, सेवाएं, निवेश और निवेश सेवाएं शामिल हैं -

धारा 2 (52), धारा 2 (102), धारा 2 (59) और धारा 2 (60)।

एफ. 2 सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 16 और धारा 49

43. धारा 16 अध्याय 5 में शामिल है और इसका शीर्षक 'इनपुट टैक्स क्रेडिट' है। धारा 16 का सीमांत नोट इंगित करता है कि प्रावधान आई. टी. सी. लेने के लिए पात्रता और शर्तों से संबंधित है। धारा 16 की उप-धारा (1) निम्नलिखित शब्दों में है:

जैसा कि निर्धारित किया जाए और धारा 49 में निर्दिष्ट तरीके से, माल की किसी भी आपूर्ति पर लगाए गए इनपुट कर का क्रेडिट लेने का हकदार होगा। या सेवाएँ या दोनों जो भारत संघ में उपयोग की जाती हैं या उपयोग करने का इरादा रखती हैं।

ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक ऋण खाते में जमा किया जाएगा। 44. उप-धारा (1) धारा 16 के तहत:

((i) प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को वस्तुओं और सेवाओं की किसी भी आपूर्ति या दोनों पर लगाए गए इनपुट कर का श्रेय लेने का अधिकार होगा। ((ii) जिनका पाठ्यक्रम में उपयोग किया जाता है या जिनका उपयोग करने का इरादा है या

अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना;

((ग) ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए जो हो सकें -

निर्धारित किया गया; और

((iv) धारा 49 में निर्दिष्ट तरीके से।

45. इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि पंजीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक टी खाते में जमा की जानी है। उप-धारा (2) उन प्रावधानों का उल्लेख करती है जिनकी पूर्ति पर वस्तुओं या सेवाओं की किसी भी आपूर्ति के संबंध में कर जमा करने का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है।

धारा 16 की धारा (2) निम्नलिखित शब्दों में है:

" 16. [.....]

(2) इस धारा में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी पंजीकृत व्यक्ति निम्नलिखित के संबंध में किसी भी इनपुट कर के क्रेडिट का हकदार नहीं होगा:

उसे वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की कोई आपूर्ति जब तक कि - (क) उसके पास इस अधिनियम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी कर चालान या डेबिट नोट है, या ऐसा अन्य कर भुगतान करने वाला है।

निर्धारित किए जाने वाले दस्तावेज;

((क) खंड (क) में निर्दिष्ट चालान या डेबिट नोट का विवरण।

आपूर्तिकर्ता द्वारा बाहरी विवरण में प्रस्तुत किया गया है

धारा के तहत निर्दिष्ट तरीके से इस तरह के चालान या डेबिट नोट के प्राप्तकर्ता को आपूर्ति और ऐसे विवरण के बारे में सूचित किया गया है।

37

((ख) उसने माल या सेवाएँ या दोनों प्राप्त कर लिए हैं।

स्पष्टीकरण। इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह माना जाएगा कि पंजीकृत व्यक्ति ने, जैसा भी मामला हो, माल या सेवाएं प्राप्त की हैं। (i) जहां आपूर्तिकर्ता द्वारा ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के निर्देश पर माल प्राप्तकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाता है, [2021] 15 एस. सी. आर.

चाहे वह एक एजेंट के रूप में कार्य कर रहा हो या अन्यथा, माल की आवाजाही से पहले या उसके दौरान, या तो दस्तावेजों के हस्तांतरण के माध्यम से

माल का स्वामित्व या अन्यथा;

((ii) जहां आपूर्तिकर्ता द्वारा ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के निर्देश पर और उसके कारण किसी भी व्यक्ति को सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

(ग) धारा 41 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, ऐसी आपूर्ति के संबंध में प्रभारित कर का वास्तव में सरकार को या तो नकद में या उक्त आपूर्ति के संबंध में स्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग के माध्यम से भुगतान किया गया है; और (
घ) उसने धारा 39 के तहत विवरणी प्रस्तुत की है:

बशर्ते कि जहां किसी चालान के खिलाफ माल लॉट या किश्तों में प्राप्त होता है, वहां पंजीकृत व्यक्ति लेने का हकदार होगा।

अंतिम राशि या किश्त की प्राप्ति पर क्रेडिट:

बशर्ते कि जहां कोई प्राप्तकर्ता आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने में विफल रहता है

माल या सेवाओं या दोनों की, आपूर्ति के अलावा, जिस पर कर रिवर्स चार्ज के आधार पर देय है, मूल्य के लिए राशि

आपूर्तिकर्ता द्वारा चालान जारी करने की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर उस पर देय कर के साथ आपूर्ति की राशि, आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के बराबर राशि।

प्राप्तकर्ता को ब्याज के साथ उसकी उत्पादन कर देनदारी में जोड़ा जाएगा।

उस पर ऐसी रीति से जो विहित की जाए:

बशर्ते कि प्राप्तकर्ता इसका लाभ उठाने का हकदार होगा

माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के मूल्य के लिए उसके द्वारा की गई राशि के भुगतान पर देय कर के साथ-साथ उस पर देय कर का जमा "

46. धारा 16 (2) इंगित करती है कि वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की किसी भी आपूर्ति पर लगाए गए इनपुट कर का क्रेडिट एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रावधानों में निर्धारित शर्तों के अधीन लाभ उठाया जा

सकता है। इनपुट कर, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, को धारा 2 (62) में वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की किसी भी आपूर्ति पर लगाए गए कर के रूप में परिभाषित किया गया है। निवेश का श्रेय

इसलिए, कर का संबंध वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति दोनों से है। चाहे वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर कर का भुगतान किया जाए, प्राप्तकर्ताओं को इसी तरह से आई. टी. सी. प्राप्त होता है। वस्तुओं और सेवाओं पर करों की पहचान की जा सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक खाते में जमा करने पर वे उपयोग के लिए एक सामान्य पूल बनाते हैं। धारा 16 (1) इंगित करती है कि जिस तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है, वह धारा 49 में वर्णित है। धारा 49 की उप-धारा (1) में प्रावधान है:

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़,

" धारा 49 (1)-इंटरनेट बैंकिंग या किसी व्यक्ति द्वारा कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क या किसी अन्य राशि के लिए की गई प्रत्येक जमा राशि। क्रेडिट या डेबिट कार्ड या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का उपयोग करना या ऐसे अन्य तरीके से और ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, जो निर्धारित किए जाएं,

ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा किया जाना

इस तरह से बनाए रखा जाए जो निर्धारित किया जाए "।

47. धारा 49 की उप-धारा (3) में यह परिकल्पना की गई है कि इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में उपलब्ध राशि का उपयोग किसी भी प्रकार की नकदी बनाने के लिए किया जा सकता है।

अधिनियम या उसके नियमों के प्रावधानों के तहत देय कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क या किसी अन्य राशि का भुगतान शर्तों के साथ और निर्धारित समय के भीतर किया जाता है। इसी तरह, धारा 49 की उप-धारा (4) में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में उपलब्ध राशि का उपयोग सी. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत या आई. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत उत्पादन कर के भुगतान के लिए इस तरह से और शर्तों के अधीन और उस समय के भीतर किया जा सकता है जो निर्धारित किया गया है। धारा 49 की उप-धारा (5) उन प्राथमिकताओं को बताती है जिनके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में उपलब्ध आई. टी. सी. की राशि का उपयोग किया जा सकता है। उप-धारा (6)

धारा 49 महत्वपूर्ण है और निम्नानुसार प्रावधान करती है:

" (6) इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत देय कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क या किसी अन्य राशि के भुगतान के बाद इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में शेष राशि को धारा 54 के प्रावधानों के अनुसार वापस किया जा सकता है।

48. धारा 16 और धारा 49 के प्रावधान इंगित करते हैं -

निम्नलिखित स्थिति:

((i)

इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में आई. टी. सी. का लाभ उठाया जा सकता है।

सी. जी. एस. टी. के तहत उत्पादन कर के लिए कोई भी भुगतान करने के लिए अधिनियम या आई. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत;

((ii) इलेक्ट्रॉनिक नकद बही में उपलब्ध राशि का उपयोग कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क या सी. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत देय किसी भी अन्य राशि के भुगतान के लिए किया जा सकता है या

इसके नियम;

((ग) अधिनियम या नियमों के तहत देय कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क या किसी अन्य राशि के भुगतान के बाद इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में जमा राशि को धारा 54 के प्रावधानों के अनुसार वापस किया जा सकता है।

और [2021]

15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(iv) धारा 49 की उप-धारा (6), दूसरे शब्दों में, धारा 54 के प्रावधानों द्वारा निर्धारित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक नकद बही खाते या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बही खाते में बची शेष राशि की वापसी पर विचार करती है।

एफ. 3 सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 54 (3) की व्याख्या

49. वर्तमान मामले में विवाद बदल जाता है

धारा 54 की व्याख्या, जो अध्याय 11 में 'धनवापसी' शीर्षक से पाई जाती है। धारा 54 के सीमांत नोट का शीर्षक "कर वापसी" है। धारा 54 (1) इस प्रकार प्रदान करती है:

" 54. (1) ऐसे कर या उसके द्वारा भुगतान की गई किसी अन्य राशि पर भुगतान किए गए किसी भी कर और ब्याज, यदि कोई हो, की वापसी का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति संबंधित तिथि से दो साल की समाप्ति से पहले ऐसे प्रपत्र और तरीके से आवेदन कर सकता है जो निर्धारित किया जाए:

धारा 54 की उप-धारा (1) के तहत, एक आवेदन होना चाहिए

कर और ब्याज (यदि कोई हो, कर या भुगतान की गई किसी अन्य राशि पर भुगतान किया गया हो) की वापसी का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा संबंधित तिथि के दो साल के भीतर निर्धारित प्रपत्र और तरीके से किया गया। धारा 54 का स्पष्टीकरण 1 निम्नलिखित शब्दों में है:

धारा 54 की उप-धारा (3) निम्नलिखित शब्दों में है: " उप-धारा (10) के प्रावधानों के अधीन, एक पंजीकृत व्यक्ति किसी भी कर अवधि के अंत में किसी भी अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड का दावा कर सकता है:

(i) कर के भुगतान के बिना की गई शून्य दर वाली आपूर्ति; ((ii) जहां माल की आपूर्ति को छोड़कर, निवेश पर कर की दर उत्पादन आपूर्ति (शून्य दर या पूरी तरह से छूट प्राप्त आपूर्ति के अलावा) पर कर की दर से अधिक होने के कारण ऋण जमा हुआ है।

या सेवाएँ या दोनों जिन्हें सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है

परिषद की सिफारिशें:

भारत संघ v. वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

बशर्ते कि उन मामलों में अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां भारत से बाहर निर्यात की जाने वाली वस्तुएं हैं।

निर्यात शुल्क के अधीन:

बशर्ते कि यदि माल या सेवाओं या दोनों का आपूर्तिकर्ता केंद्रीय कर के संबंध में निकासी का लाभ उठाता है या भुगतान किए गए एकीकृत कर की वापसी का दावा करता है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की कोई वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ऐसी आपूर्ति पर "।

50. गुजरात और मद्रास उच्च न्यायालयों के साथ-साथ इस न्यायालय के समक्ष निर्धारिती द्वारा जो निवेदन किया गया था, वह यह है कि धारा 54 (3) के मूल भाग के तहत, संसद ने विचार किया है कि धनवापसी का दावा किसी भी अप्रयुक्त आई. टी. सी. तक बढ़ाया जा सकता है। आईटीसी का अर्थ है ऋण निवेश कर और चूंकि 'निवेश कर' को वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लगाए गए कर के संदर्भ में परिभाषित किया गया है, इसलिए धनवापसी का दावा न केवल निवेश वस्तुओं पर लगाए गए कर से किया जा सकता है, बल्कि समग्र रूप से निवेश सेवाओं पर भी किया जा सकता है। राजस्व के अनुसार, धारा 54 (3) का पहला परंतुक एक प्रतिबंध है। दूसरी ओर, कर निर्धारकों ने आग्रह किया है कि पहला परंतुक निर्धारित करता है

केवल पात्रता के लिए एक शर्त या प्रावधान और एक बार इसे पूरा करने के बाद, अप्रयुक्त आई. टी. सी. की संपूर्णता पर धनवापसी उपलब्ध होती है, जिसमें वह क्रेडिट भी शामिल है जो इनपुट वस्तुओं और इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गए कर से संबंधित है।

विश्लेषण, धारा 54 की उप-धारा (3) की व्याख्या को इसके मुख्य स्तर और तीन प्रावधानों में वितरित किया जा सकता है। उप-धारा (3) के मुख्य भाग में यह प्रावधान है कि एक पंजीकृत व्यक्ति किसी भी कर अवधि के अंत में किसी भी अप्रयुक्त आई. टी. सी. के रिफंड का दावा कर सकता है। कर अवधि को धारा 2 (106) में उस अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके लिए विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। धारा 54 (3) को लागू करते समय, संसद ने अंत में एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अप्रयुक्त आई. टी. सी. के रिफंड के दावे की परिकल्पना की है। कर अवधि। पहला स्तर धारा 54 (3) का मुख्य प्रावधान है जो चार शर्तों को निर्धारित करता है:

((i) धन वापसी का दावा;

((ख) एक पंजीकृत कर व्यक्ति द्वारा;

((ग) किसी भी अप्रयुक्त आई. टी. सी. का; और

((iv) किसी भी कर अवधि के अंत में, उप धारा (10) के प्रावधानों के अधीन।

52. दूसरा स्तर पहला परंतुक है। पहला प्रावधान शुरू होता है

"अप्रयुक्त आई. टी. सी. की कोई वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

"के अलावा अन्य मामले जिनके बाद खंड (i) और (ii) आते हैं। पहले परंतुक की प्रारंभिक पंक्ति में महत्व की दो अभिव्यक्तियाँ हैं, अर्थात्:

" "और" के अलावा अन्य मामलों में धनवापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी। परंतुक में 'अनुमत' अभिव्यक्ति को उप-धारा (3) के मूल भाग में 'दावा' अभिव्यक्ति के विपरीत होना चाहिए। धनवापसी की अनुमति केवल खंड (i) और (ii) में परिकल्पित संभावनाओं में दी जा सकती है। 'इसके अलावा' अभिव्यक्ति एक सीमा या प्रतिबंध के रूप में काम करती है।

53. उप-धारा 54 (3) के तीसरे स्तर में पहले परंतुक के दो खंड शामिल हैं जो दो अलग-अलग मामलों से संबंधित हैं: खंड (i) से संबंधित है कर के भुगतान के बिना की गई शून्य दर वाली आपूर्ति के साथ, जबकि खंड (ii) उस ऋण से संबंधित है जो कर की दर के कारण जमा हुआ है।

'आपूर्ति' को कानून में परिभाषित नहीं किया गया है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, धारा 16 आई. टी. सी. का लाभ उठाने के लिए पात्रता और शर्तों को निर्धारित करती है। आई. टी. सी. जमा होता है जब ऋण का आंशिक या पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है और ऐसा हो सकता है।

विभिन्न कारणों से। आई. टी. सी. का ऋण कई कारणों से जमा हो सकता है। परिस्थितियों की एक विस्तृत सूची के बिना, संचय निम्न के कारण हो सकता है: (क) एक उल्टा शुल्क संरचना जब उत्पादन आपूर्ति पर जी. एस. टी. निवेश पर जी. एस. टी. से कम हो; (ख) स्टॉक

संचय; (ग) पूँजीगत वस्तुएँ; और (घ) कुछ सेवाओं के लिए आंशिक विपरीत तंत्र। अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे अत्यधिक छूट या हिंसक मूल्य निर्धारण।

54. अप्रयुक्त संचित आई. टी. सी. के कारण होने वाली विकृति, पूर्ववर्ती शासन के तहत राज्य वैट कानून के संदर्भ में, जी. एस. टी. व्यवस्था के आगमन से पहले देखी गई थी। राज्य पर एक श्वेत पत्र

राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा दिनांक 17 जनवरी 2005 को मूल्य वर्धित कर के स्तर पर विचार किया गया कि यदि किसी भी ऋण का एक महीने में उपयोग नहीं किया जाता है, तो उसे आगे बढ़ाया जाएगा। यदि दूसरे वर्ष के अंत में भी अतिरिक्त असंबद्ध आई. टी. सी. है, तो उसे वापस कर दिया जाएगा:

" भारत संघ के कर क्रेडिट को वहन करना v.

वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

2.4 यदि टैक्स क्रेडिट एक महीने में बिक्री पर देय कर से अधिक है,

अतिरिक्त ऋण को अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक ले जाया जाएगा।

वर्ष। यदि अंत में कोई अतिरिक्त असंबद्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट है

दूसरे वर्ष के बाद, वही धनवापसी के लिए पात्र होगा।

इसके आधार पर, असंबद्ध आई. टी. सी. के रिफंड का प्रावधान किया गया था

गुजरात मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 11 को गुजरात मूल्य वर्धित कर नियम 200625 के नियम 15 (6) के साथ जोड़ा गया है। जब जी. एस. टी. व्यवस्था पर चर्चा चल रही थी, तो 10 नवंबर 2009 को प्रकाशित राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के पहले चर्चा पत्र में इनपुट कर की दर के उत्पादन कर से अधिक होने के कारण आई. टी. सी. के संचय की समस्या को स्वीकार किया गया और सुझाव दिया गया कि संचित आई. टी. सी. का धनवापसी प्रदान की जाए। प्रासंगिक 'जी. एस. टी. मॉडल की मुख्य विशेषताओं' से संबंधित चर्चा पत्र का सार इस प्रकार है:

तरीका "। 55. संयुक्त समिति की रिपोर्ट, अधिकार प्राप्त समिति

उस वर्ष के अंत से दो वर्ष की समाप्ति के बाद वापस किया गया जिसमें ऐसा कर क्रेडिट स्वीकार्य हो गया था: बशर्ते कि इस तरह के धनवापसी का दावा करने वाले व्यापारी को निर्धारण प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए यह साबित करना होगा कि जिस माल पर इस तरह के कर क्रेडिट की गणना की गई थी, उसकी खरीद का निपटान धारा 11 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट तरीके से उस अवधि के भीतर किया गया है जिसके भीतर इस उप-नियम के तहत धनवापसी स्वीकार्य हो जाती है। महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2002 की धारा 51 को महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर नियम 2005 [2021] 15 एस. सी. आर. के नियम 60 के साथ पढ़ा जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और इसलिए, एक उल्टे शुल्क संरचना की संभावना होगी

माल "। साथ ही, इसने निम्नलिखित शर्तों में धनवापसी की सिफारिश की:

" (ज) कैरी फॉरवर्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड:

i) जैसा कि पहले कहा गया है, आई. टी. सी. को कैस्केडिंग और अंडर हटाने की अनुमति है।

आधुनिक वैट कानून, कर केवल मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है और कर है कर नहीं लगाया जाता है। यही कारण है कि अंतिम उपभोक्ता

कर का बोझ वहन करने के लिए उत्तरदायी है।

ii) यह ध्यान दिया जाता है कि आई. टी. सी. के कारण जमा हो सकता है निम्नलिखित कारण:

क) उल्टा शुल्क संरचना अर्थात उत्पादन आपूर्ति पर जी. एस. टी. कम है।

इनपुट आपूर्ति पर जीएसटी की तुलना में; ख) स्टॉक संचय;

(ग) पूँजीगत वस्तुएँ; और

घ) कुछ सेवाओं के लिए आंशिक विपरीत शुल्क तंत्र।

(ग) जहां तक संचित आई. टी. सी. के संबंध में, जिसके संचय के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है -

स्टॉक या पूंजीगत सामान, यह अनुशंसा की जाती है कि जी. एस. टी. कानून

बशर्ते कि कैरी फॉरवर्ड आईटीसी के रिफंड की अनुमति नहीं दी जा सकती है

और ऐसी राशि को अगली कर अवधि के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

(एस)। जी. एस. टी. कानून में इसके लिए उचित प्रावधान हो सकते हैं। ध्यान दें।

iv) प्रस्तावित जी. एस. टी. कानून के तहत, कम होने का प्रस्ताव है।

कर दरें और कम छूट और इसलिए यह महसूस किया जाता है कि

उल्टा शुल्क संरचना की संभावना नहीं होगी या बहुत कम होगा। लेकिन अभी भी एक संभावना है

कि आई. टी. सी. उल्टे शुल्क के कारण जमा हो सकता है

संरचना।

v) यह अनुशंसा की जाती है कि ऐसे मामले में नकद धनवापसी हो सकती है

उचित लेखापरीक्षा के बाद स्वीकृत किया जाना चाहिए और इसके बाद ही स्वीकृत किया जाना चाहिए। खरीद से इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान किया गया है

और मासिक विवरणी के साथ दाखिल किए गए बिक्री विवरण। द. आवेदन जमा करने पर धनवापसी की जाएगी। यह.

हालाँकि, यह उल्लेख किया जा सकता है कि वर्तमान में केंद्र करता है

ऐसे मामलों में धनवापसी न करें।

(जोर दिया गया)

भारत संघ v. वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

अर्थात् "जहां निवेश पर कर की दर उत्पादन आपूर्ति पर कर की दर से अधिक होने के कारण जमा हुआ है"। संसद इस तथ्य से अवगत होगी कि आई. टी. सी. विभिन्न कारणों से जमा हो सकता है, जिसमें एक उल्टा शुल्क संरचना एक स्थिति है। संसद धनवापसी का प्रावधान करने के लिए कानून बना रही थी और इसलिए इसे सीमित कर दिया पहले परंतुक के खंड (i) और (ii) में दो स्थितियों का वर्णन किया गया है। धारा 54 (3) के मूल भाग के प्रारंभिक शब्द "किसी भी अप्रयुक्त निवेश कर क्रेडिट" के धनवापसी के दावे पर विचार करते हैं। निस्संदेह, किसी भी अप्रयुक्त आई. टी. सी. में किसी भी पर लगाए गए कर के कारण क्रेडिट शामिल होगा।

54 (3) (i) किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा धनवापसी का दावा; (ii) किसी भी अप्रयुक्त निवेश कर क्रेडिट का दावा; (iii) किसी भी कर अवधि के अंत में। लेकिन द. पहले परंतुक का प्रभाव, जैसा कि इसके शुरुआती शब्दों से पता चलता है, यह है:

" अप्रयुक्त आई. टी. सी. के मामलों में धनवापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

((i)

(i) और (ii) के अलावा;

मूल भाग में "दावा" अभिव्यक्ति होनी चाहिए

((ख)

प्रारंभिक भाग में "धनवापसी का दावा कर सकता है" अभिव्यक्ति को प्रारंभिक भाग में "धनवापसी नहीं" से अलग किया जाना चाहिए। पहला परंतुक;

(iii)

पहले परंतुक का प्रभाव यह है कि अप्रयुक्त धन की वापसी आई. टी. सी. की अनुमति केवल (i) और (ii) के तहत आने वाले मामलों में दी जाएगी। पिछले वाक्य में 'केवल' अभिव्यक्ति वैधानिक भाषा के लिए एक न्यायिक जोड़ नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से निम्नलिखित है -

अप्रयुक्त आई. टी. सी. के "कोई धनवापसी नहीं" शब्दों को "इसके अलावा अन्य मामलों में" अनुमति दी जाएगी;

((iv) "इसके अलावा अन्य मामलों में" अभिव्यक्ति एक स्पष्ट संकेतक है।

कि खंड (i) और (ii) प्रतिबंधात्मक हैं और पात्रता की शर्तें नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, धनवापसी की अनुमति पहले के खंड (i) और (ii) में वर्णित दो आकस्मिकताओं में दी जा सकती है।

परंतुक;

(v)

खंड (i) और खंड के बीच स्पष्ट अंतर है।

((ii) पहले परंतुक का: (क) निर्यात के मामले में, आकस्मिकता बिना किसी भेद के शून्य-रेटेड आपूर्ति है [2021] 15 एस. सी. आर.

इनपुट वस्तुओं या इनपुट सेवाओं के बीच; (बी) घरेलू आपूर्ति के विपरीत, खंड (बी) इनपुट पर कर की दर के अधिक होने के कारण ऋण के संचय से संबंधित है।

उत्पादन आपूर्ति पर कर की दर;

विधायी मसौदा तैयार करने वाले ने एक स्पष्ट अंतर बताया है

(vi)

पहले परंतुक के खंड (i) और खंड (ii) के बीच और यह इस संदर्भ में था कि धारा 54 (3) के शुरुआती शब्दों में इस अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है कि "किसी भी अप्रयुक्त के धनवापसी का दावा कर सकता है।

आईटीसी ";

(vii) धारा 54 का स्पष्टीकरण 1, धारा के प्रयोजनों के लिए "धनवापसी" अभिव्यक्ति को परिभाषित करते हुए एक समावेशी परिभाषा को अपनाता है जिसमें (ए) शून्य मूल्यांकन पर भुगतान किए गए कर की धनवापसी शामिल है।

वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों; (बी) ऐसी शून्य दर वाली आपूर्ति करने में उपयोग की जाने वाली इनपुट वस्तुओं या इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गए कर की वापसी; (सी) मानित निर्यात मानी जाने वाली वस्तुओं की आपूर्ति पर कर की वापसी; और (डी) धारा 54 की उप-धारा (3) के तहत प्रदान किए गए अप्रयुक्त आईटीसी की वापसी; और

(viii) स्पष्टीकरण 1 इंगित करता है कि निर्यात के संदर्भ में, विधायिका ने इनपुट वस्तुओं और इनपुट सेवाओं पर आई. टी. सी. को अपने दायरे में लाया है। इसके विपरीत, घरेलू आपूर्ति के मामले में इसने अप्रयुक्त आई. टी. सी. की वापसी पर विचार किया है।

उप-धारा (3) के तहत प्रदान किया गया है। स्पष्टीकरण एक स्पष्ट संकेतक है कि घरेलू आपूर्ति के संबंध में, यह केवल है

अप्रयुक्त ऋण जो इनपुट वस्तुओं पर कर की दर पर जमा हुआ है, उत्पादन आपूर्ति की दर से अधिक है जिसमें से धनवापसी की अनुमति दी जा सकती है। दूसरे शब्दों में पहले परंतुक का खंड (ii) एक प्रतिबंध है न कि केवल एक प्रतिबंध।

पात्रता की शर्त।

56. निर्धारिती के समक्ष तर्क का आधार

सामान या सेवाओं के लिए पता लगाने योग्य, जमा करने में है, धनवापसी के लिए पात्र है। यह निवेदन अदालत के समक्ष तीन विमानों में किया गया है। द.

पहला आधार जिस पर प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया है, वह यह है कि धारा 54 (3) को लागू करने का उद्देश्य एक व्यापक प्रभाव या 'चिपकने वाले' निवेश कर के खिलाफ सुनिश्चित करना था। आकलनकर्ताओं के अनुसार, जीएसटी व्यवस्था एक

भारत संघ v के सिद्धांत में विधायी तैयारी के लंबे समय से चले आ रहे अभ्यास का परिणाम।

वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

समानता और कर तटस्थता। प्रस्तुतिकरण के अनुसार, समानता के सिद्धांत ने वस्तुओं और वस्तुओं के बीच समानता का प्रतिपादन किया।

वैट व्यवस्था में सेवाएँ, जो कि एक एकीकृत जी. एस. टी. कानून के तत्वावधान में होनी चाहिए, जिसमें यह विचार किया गया है कि व्यवसाय केवल संस्थाओं के माध्यम से संचालित होते हैं। प्रस्तुतिकरण का दूसरा आधार यह है कि अनुच्छेद 279 ए (6) में निर्दिष्ट जी. एस. टी. परिषद का कार्य यह है कि इसे जी. एस. टी. की एक सामंजस्यपूर्ण संरचना की आवश्यकता द्वारा निर्देशित किया जाना है और वस्तुओं और सेवाओं के लिए सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय बाजार। अनुच्छेद 366 के खंड (12 ए) में वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर जी. एस. टी. लगाने का प्रावधान है। इस संदर्भ में, यह आग्रह किया गया कि किसी भी राजकोषीय व्यवस्था में पांच आवश्यक घटक होते हैं जिनमें (ए) कर योग्य घटनाएँ; (बी) कर योग्य व्यक्ति; (सी) कर का माप; और (डी) कर की दर; और (ई) प्रशासनिक तंत्र शामिल हैं। इन सब में, यह आग्रह किया जाता है कि सी. जी. एस. टी. वस्तुओं और सेवाओं के बीच कोई अंतर नहीं करता है। धारा 16, जो आई. टी. सी. के उपयोग का प्रावधान करती है, वस्तुओं और सेवाओं के बीच कोई अंतर नहीं करती है। यह आग्रह किया गया था कि कानून का दायरा, दरों को छोड़कर वस्तुओं और सेवाओं के मामले में समान रूप से महत्वपूर्ण प्रावधानों को लागू करता है। लेकिन दरों के संबंध में, यह आग्रह किया गया था कि वस्तुओं की श्रेणी के भीतर भी, दरें भिन्न हो सकती हैं या हो सकती हैं। विधायिका ने पहली बार इस नियम के आधार पर मुनाफाखोरी विरोधी प्रावधान पेश किए कि कर की दर में कमी उपभोक्ता को दी जानी चाहिए। जब तटस्थता का इरादा नहीं था, जैसा कि धारा 17 (5) के मामले में, विधायिका द्वारा एक विशिष्ट प्रावधान किया गया है जहां उन मामलों में आईटीसी का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। एक बार की सीमा

धारा 17 (5) को पार कर दिया गया है, उनके प्रस्तुत करने में कर तटस्थता प्राप्त की जानी चाहिए। अंत में, यह भी आग्रह किया गया कि बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित करने जैसे जनहित द्वारा निर्देशित कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उत्पादन आपूर्ति पर कर की दर को कम करने वाले कई मामलों में एक उल्टा शुल्क संरचना उत्पन्न होती है। इस पृष्ठभूमि में, यह प्रस्तुत किया गया था कि जहां बाहरी आपूर्ति पर कर की दर में कमी की गई है

राज्य की नीति के अनुसरण में, कर तटस्थता प्राप्त करने के अंतिम उद्देश्य को धारा 54 (3) के तहत अप्रयुक्त आई. टी. सी. की वापसी की अनुमति देकर पूरी तरह से प्रभावी किया जाना चाहिए, चाहे वह वस्तुओं या सेवाओं से संबंधित हो।

57. समतुल्यता स्थानों के सिद्धांत पर आधारित प्रस्तुति

एसोसिएशन ऑफ लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज बनाम में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय पर निर्भरता। भारत संघ 26. मुख्य न्यायाधीश एस. एच. कपाडिया ने तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए धारा 65 (12) और 65 (105) 26 2011 (2) एस. सी. सी. 352 [2021] 15 एस. सी. आर. के प्रावधानों की वैधता पर विचार किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

( ) वित्त अधिनियम, 1994 के तहत, जहां तक उक्त प्रावधानों में पट्टे पर देने और किराए पर लेने पर सेवा कर लगाने की मांग की गई है। वित्तीय पट्टा सेवाओं पर सेवा कर लगाने को चुनौती दी गई थी क्योंकि यह सीमा से परे था।

संविधान के अनुच्छेद 366 (29ए) के आधार पर संसद की क्षमता। इस मुद्दे का अर्थ लगाते हुए, न्यायालय ने ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स (उपरोक्त) में निर्णय को स्वीकार किया और कहा:

" सेवा कर एक आर्थिक अवधारणा है जो इस अर्थ में समानता के सिद्धांत पर आधारित है कि वस्तुओं की खपत और सेवाओं की खपत समान हैं क्योंकि वे दोनों मानव आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आज तकनीकी प्रगति के साथ एक बहुत ही पतली रेखा है जो "सेवा" से "बिक्री" को विभाजित करती है। कि, के सिद्धांत को लागू करना

समतुल्यता, उत्पादन के बीच कोई अंतर नहीं है या

बिक्री योग्य वस्तुओं का निर्माण और सेवा प्रदाता द्वारा विचार के लिए की गई गतिविधि के रूप में विपणन योग्य/बिक्री योग्य सेवाओं का उत्पादन, जो तदनुसार सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा उपभोग किया जाता है। यह समतुल्यता का सिद्धांत है जो वित्त के तहत सेवा कर की अवधारणा में अंतर्निहित है। अधिनियम, 1994। इसलिए वह सेवा कर किसी गतिविधि पर लगाया जाने वाला कर है। अर्थात्, सेवा कर एक मूल्य वर्धित कर है। मूल्यवर्धन उस गतिविधि के कारण होता है जो मूल्यवर्धन प्रदान करती है, उदाहरण के लिए, एक चार्टर्ड एकाउंटेंट या दलाल द्वारा की गई गतिविधि उसके द्वारा उसके प्रदर्शन और कौशल के आधार पर की गई गतिविधि है। यह पेशेवर के दृष्टिकोण से है। हालाँकि, अपने मुवक्किल के दृष्टिकोण से, चार्टर्ड एकाउंटेंट/दलाल उसका सेवा प्रदाता है। मूल्यवर्धन पेशेवर द्वारा की गई गतिविधि जैसे कर योजना, सलाह, परामर्श आदि के कारण होता है। यह निर्मित या उत्पादित या बेची गई वस्तुओं

को मूल्यवर्धन प्रदान करता है। इस प्रकार, ग्राहक/ग्राहक को हर बार सेवा प्रदान करने पर सेवा कर लगाया जाता है। यह वित्त अधिनियम की धारा 65 (105) (जेड. एम.) के प्रावधानों से स्पष्ट है।

1994. "

58. समतुल्यता के सिद्धांत का उपरोक्त सूत्रीकरण सेवा कर के अधिनियमन के अंतर्निहित आर्थिक तर्क पर आधारित था। आर्थिक तर्क वस्तुओं और सेवाओं की समानता पर आधारित है, जो दोनों मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपकरण हैं। यह सिद्धांत मानता है कि आर्थिक दृष्टि से, बिक्री योग्य वस्तुओं के उत्पादन या निर्माण और विपणन योग्य और बिक्री योग्य सेवाओं के उत्पादन के बीच एक समानता है। इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा, तथापि, भारत संघ बनाम।

वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

मन (i) समतुल्यता का सिद्धांत; (ii) तटस्थता का सिद्धांत; और (iii) माध्यमिक चरण के कैस्केडिंग प्रभावों को दूर करने की आवश्यकता। द. वास्तविक दुनिया में कर नीति और शासन की वास्तविक राजनीति हमेशा आदर्शों के अनुरूप नहीं हो सकती है। एक आदर्श कर व्यवस्था में, निवेश वस्तुओं, निवेश सेवाओं और बाहरी आपूर्ति पर करों की एक समान दर के साथ, एक उल्टे दर संरचना के परिणामस्वरूप अप्रयुक्त आई. टी. सी. जमा होने की संभावना न्यूनतम होगी। एक उल्टा शुल्क संरचना तब उत्पन्न होती है जब निवेश पर कर की दर उत्पादन आपूर्ति पर कर की दर से अधिक हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप अप्रयुक्त आई. टी. सी. जमा हो सकता है। न्यायशास्त्र संबंधी सामग्री जिस पर मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा भरोसा किया गया है, एक आदर्श प्रस्तुत करती है।

जी. एस. टी. कानून की स्थिति। वैट पर प्रसिद्ध ग्रंथ में, एलन शेंक और ओलिवर ओल्डमैन 2 7 ने अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी के अनुदान के लिए वैट/जीएसटी कानून में सैद्धांतिक आधार की व्याख्या की। लेखकों के अनुसार:

27 एलन शेंक और ओलिवर ओल्डमैन, मूल्य वर्धित कर: एक तुलनात्मक दृष्टिकोण (कैम्ब्रिज कर कानून श्रृंखला, 2007)

" II. अतिरिक्त इनपुट क्रेडिट का उपचार-आगे ले जाएँ, ऑफसेट करें,

या रिफंड: जैसा कि पहले चर्चा की गई थी और अध्याय में विस्तार से चर्चा की जाएगी।

7 , अधिकांश देश अपने वैट की क्षेत्राधिकार पहुंच को निम्नानुसार परिभाषित करते हैं

गंतव्य सिद्धांत। गंतव्य सिद्धांत को लागू करना,

आम तौर पर अपने आवधिक वैट में अतिरिक्त इनपुट वैट की रिपोर्ट करते हैं। लौटते हैं। इसके अलावा, बिक्री करने वाले पंजीकृत व्यक्ति भी

सकारात्मक दर पर कर योग्य कभी-कभार अधिक हो सकता है

इनपुट वैट, जैसे कि जब वे पूंजीगत खरीद करते हैं पर्याप्त निवेश क्रेडिट उत्पन्न करना या जब वे बढ़ते हैं

उनके व्यवसाय के विस्तार के हिस्से के रूप में उनकी सूची।

वैट प्रणालियों में एक अंतर्निहित धारणा है जो पंजीकृत है

व्यक्ति कर योग्य बिक्री करने में उपयोग किए गए इनपुट वैट की वसूली करेंगे ताकि

कि इनपुट वैट मूल्य निर्धारण संरचना में प्रवेश नहीं करता है

उन बिक्री। उस लक्षय को पूरा करने के लिए, एक मानक या सुव्यवस्थित

वैट से पंजीकृत व्यक्तियों को अतिरिक्त वसूली का अधिकार मिलना चाहिए।

लगने के बाद एक उचित अवधि के भीतर वैट का निवेश करें

इनपुट t (a) x (sic)। .....

या अतिरिक्त को निम्नलिखित अवधि के अनुसार आगे बढ़ाएँ शर्तें जो वे निर्धारित करेंगे। सदस्य राज्यों के लिए, अधिकता

क्रेडिट को छह महीने आगे ले जाने के बाद वापस किया जाना चाहिए।

हालाँकि, सदस्य राज्य धनवापसी से इनकार कर सकते हैं या आगे ले जा सकते हैं।

यदि अतिरिक्त राशि महत्वहीन है "।

(जोर दिया गया)

60. न्यायशास्त्र का आधार एक आदर्श राज्य का चित्रण प्रस्तुत करता है।

गंतव्य आधारित कर के रूप में आधुनिक अर्थव्यवस्था के दायरे में जी. एस. टी. कानून का अस्तित्व। लेकिन यह कहते हुए कोई लाभ नहीं हो सकता है कि दुनिया भर में राजकोषीय कानून, भारत कोई अपवाद नहीं है।

सामाजिक-आर्थिक जटिलताओं और विविधताओं पर आधारित जटिल संतुलन जो प्रत्येक समाज में व्याप्त हैं। एकात्मक राज्य में जी. एस. टी. कानून जो रूप ले सकता है, वह भारत जैसे देश में अपने अवतार से काफी भिन्न होगा, जहां जी. एस. टी. कानून की दोहरी प्रणाली एक संघीय ढांचे के संदर्भ में काम करती है। जी. एस. टी. ढांचे के आदर्श, जो अनुच्छेद 279 ए (6) में निहित है, को उत्तरोत्तर साकार करना होगा।

द यूनियन ऑफ इंडिया v. वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

तर्कों के दौरान वकील द्वारा जिन सिद्धांतों पर जोर दिया गया है, वे कानून के अधिनियमन के लिए अंतर्निहित तर्क प्रदान करते हैं, लेकिन या तो कानून की न्यायिक समीक्षा के लिए एक वैध आधार प्रदान नहीं कर सकते हैं या वैध रूप से अधिनियमित कानून को अमान्य करने के लिए एक आधार नहीं बना सकते हैं जब तक कि यह संवैधानिक मापदंडों का उल्लंघन नहीं करता है। अपनबैत काल जी. एस. टी. व्यवस्था के संवैधानिक ढांचे के तहत संसद को अपनी घटक शक्ति का उपयोग करते हुए राज्यों के हितों को समायोजित करने के लिए संतुलन बनाना और तैयार करना पड़ता है। मानव उपभोग के लिए शराब पर कर और स्टाम्प शुल्क राज्यों के राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रदान करते हैं। जटिल संतुलन तैयार करना पड़ा है ताकि इसे समायोजित किया जा सके

राज्यों को जी. एस. टी. के दायरे में लाने से पहले उनकी चिंताएँ। जी. एस. टी. विधान के लिए न्यायशास्त्रीय दृष्टि और आर्थिक तर्क का आकलन करते समय इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। लेकिन अमूर्त सिद्धांत न्यायालय के लिए किसी वैधानिक प्रावधान के पाठ या संदर्भ को फिर से तैयार करने का कार्य करने का आधार नहीं हो सकता है। यह स्पष्ट रूप से कानून का एक ऐसा क्षेत्र है जहां न्यायिक व्याख्या नीति निर्माण से आगे नहीं हो सकती है। राजकोषीय नीति उच्च न्यायालयों या इस न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि राजकोषीय क्षेत्र में न्यायालय का कार्य यह नहीं है कि वह संसद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करे और उदाहरण के लिए, कानून (शराब, स्टाम्प शुल्क और पेट्रोलियम) के दायरे का विस्तार करके या दरों में एकरूपता लाए। यह विधायी शक्ति पर एक अस्वीकार्य न्यायिक अतिक्रमण होगा। इसी तरह, जब धारा 54 (3) के पहले परंतुक में धनवापसी की पात्रता पर प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है, तो न्यायालय के लिए सीमाओं को फिर से तैयार करना या धनवापसी के प्रावधान को विधायिका द्वारा प्रदान किए गए प्रावधान से आगे बढ़ाना अस्वीकार्य होगा। यदि विधायिका का इरादा है कि वस्तुओं और सेवाओं के बीच समानता को उत्तरोत्तर महसूस किया जाना चाहिए और यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि धनवापसी प्रदान की जानी चाहिए या नहीं, तो परंतुक के खंड (ii) में लगाए गए प्रकार का प्रतिबंध लागू किया जाना चाहिए, यह नीति के दायरे में आता है।

61. निर्धारिती की ओर से जो निवेदन किया गया है, वह यह है कि पंजीकृत व्यक्ति धारा 54 की उप-धारा (3) के अर्थ के भीतर एक वर्ग का गठन करते हैं और उनमें से प्रत्येक अप्रयुक्त आई. टी. सी. की वापसी का दावा करने का हकदार है, चाहे उसका मूल इनपुट वस्तुओं या इनपुट में हो।

सेवाएँ। दूसरे शब्दों में, यह आग्रह किया गया है कि धारा 54 (3) पंजीकृत व्यक्तियों के एक समरूप वर्ग का गठन करती है जिनके पास अप्रयुक्त आई. टी. सी. है।

तर्क की भ्रांति इस परिकल्पना में है कि अप्रयुक्त आई. टी. सी. को राजकोषीय कानून के उद्देश्य से अलग नहीं किया जा सकता है। संचित आईटीसी विभिन्न परिस्थितियों के कारण हो सकता है, जिनमें से कुछ [2021] 15 एस. सी. आर. हो सकते हैं।

अन्य किसी पंजीकृत व्यक्ति की इच्छा के अंतर्गत नहीं हो सकते हैं। हम इनमें से कुछ कारकों का उल्लेख पहले कर चुके हैं, जिनमें शामिल हैं -

((ग) व्यवसाय या उद्योग को बंद करना। ((iv) व्यावसायिक हानि;

((v) मूल्य से कम मूल्य पर बेचने की आर्थिक मजबूरी; और (vi) काम बंद होना।

इनपुट माल धारा और इनपुट सेवा धारा से उत्पन्न होने वाले क्रेडिट। भारत में जी. एस. टी. कानून कई दशकों तक चले कठिन संवैधानिक और विधायी कार्यों का परिणाम है। हमारी राजकोषीय व्यवस्था अभी बाकी है। एकल दर संरचना के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक बंडल की वैचारिक स्थिति पर पहुँचें। मोटे तौर पर वस्तुओं और सेवाओं पर 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 40 प्रतिशत कर लगाया जाता है। आज की तारीख में, दरों में एकरूपता का अभाव है और यह दरों की बहुलता है जिसने एक उल्टे शुल्क संरचना को जन्म दिया है। पंजीकृत

अप्रयुक्त आई. टी. सी. वाले व्यक्ति संभवतः एक वर्ग बना सकते हैं लेकिन इस बात को नजरअंदाज करना संभव नहीं है कि इस वर्ग में विभिन्न रंगों की प्रजातियां शामिल हैं। इन आंतरिक जटिलताओं को देखते हुए, विधायिका को संतुलन बनाना होता है जब वह संचित आई. टी. सी. का धनवापसी देने का निर्णय लेती है। उपयोग में नहीं आया। ऐसा करते हुए, संसद ने धारा 54 की उप-धारा (3) को अधिनियमित करते हुए यह निर्धारित किया है कि पहले परंतुक के खंड (i) और (ii) में परिकल्पित दो विशिष्ट स्थितियों के अलावा अप्रयुक्त आई. टी. सी. की कोई वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी। जहां खंड (i) ने कर के भुगतान के बिना की गई शून्य दर वाली आपूर्ति से निपटा है, खंड (ii), जो घरेलू आपूर्ति

को नियंत्रित करता है, ने एक अधिक प्रतिबंधित दायरे की परिकल्पना की है जहां निवेश पर कर की दर अधिक होने के कारण ऋण जमा हुआ है।

उत्पादन आपूर्ति पर कर की दर से अधिक। जबकि सी. जी. एस. टी. अधिनियम परिभाषित करता है धारा 2 (59) में 'निवेश' अभिव्यक्ति को पूंजीगत वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं के साथ वर्गीकृत करके, यह सच है कि बहुवचन अभिव्यक्ति 'निवेश' को विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन भारत संघ के सामान्य सिद्धांत का कोई कारण नहीं है।

वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

एकवचन के समान तल में बहुवचन का अर्थ नहीं होना चाहिए

आवेदन किया। 'निवेश' का इस तरह से अर्थ लगाना कि इसमें निवेश माल और निवेश सेवाएँ दोनों शामिल हों, धारा 54 (3) के प्रावधानों के साथ हिंसा करेगा और स्पष्टीकरण-I की शर्तों के विपरीत होगा जो पहले उल्लिखित किए गए हैं।

नतीजतन, यह न्यायालय के लिए निर्धारिती के इस तर्क को स्वीकार करने के लिए खुला नहीं है कि धारा 54 (3) को प्रासंगिक रूप से समझने की प्रक्रिया में, न्यायालय को दोनों वस्तुओं को शामिल करने के लिए 'इनपुट' अभिव्यक्ति को व्यापक बनाना चाहिए।

और सेवाएँ।

एफ. 4 परंतुक का निर्माण

63. कानून में प्रावधानों में बहुआयामी व्यक्तित्व होते हैं। जैसे-जैसे विधियों को नियंत्रित करने वाले व्याख्यात्मक सिद्धांत विकसित हुए हैं, कुछ बुनियादी सिद्धांत विकसित हुए हैं।

पाठ और संदर्भ पर ध्यान देते हुए विचारों को मान्यता दी गई है। न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह ने अपने मौलिक पाठ, सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत 28 में व्याख्या के शासी सिद्धांतों को तैयार किया है जिन्हें एक सांविधिक परंतुक का अर्थ लगाते हुए अदालतों द्वारा अपनाया गया है। व्याख्या का पहला नियम यह है:

" परंतुक का सामान्य कार्य किसी चीज़ को छोड़ना है।

अधिनियम से बाहर या उसमें अधिनियमित किसी चीज़ को अर्हता प्राप्त करने के लिए

जो परंतुक के लिए इसके दायरे में होगा अधिनियम। जैसा कि एल. यू. एस. एच., जे. : " जब किसी को किसी धारा के लिए कोई परंतुक मिलता है तो स्वाभाविक धारणा यह होती है कि परंतुक के लिए, धारा के अधिनियमित करने वाले भाग में परंतुक का विषय शामिल होता। लॉर्ड मैकमिलन के शब्दों में: “ परंतुक का उचित कार्य किसी ऐसे मामले को अलग करना और उससे निपटना है जो अन्यथा मुख्य अधिनियम की सामान्य भाषा के भीतर आता है और इसका

प्रभाव उस मामले तक ही सीमित है। जैसा कि लॉर्ड मैकनाघटेन ने निर्धारित किया है, परंतुक "पूर्ववर्ती अधिनियम की एक योग्यता हो सकती है जिसे बहुत सटीक होने के लिए बहुत सामान्य शब्दों में व्यक्त किया जाता है"। सामान्य नियम को जे. हिदायतुल्ला ने निम्नलिखित शब्दों में कहा है: एक सामान्य नियम के रूप में, एक परंतुक को एक अधिनियम में जोड़ा जाता है ताकि अधिनियम में जो है उसे अर्हता प्राप्त करने या अपवाद बनाने के लिए, और आम तौर पर, एक परंतुक नहीं है

एक सामान्य नियम के रूप में व्याख्या की गई "। और कपूर के शब्दों में,

जे. : " एक परंतुक का उचित कार्य यह है कि यह एक अपवाद प्रदान करके और के रूप में निकालकर मुख्य अधिनियम की व्यापकता को योग्य बनाता है।

28 न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेटचूटरी इंटरप्रिटेशन 215-234, (14 वीं संस्करण, लेक्सिस नेक्सिस)

यह, मुख्य अधिनियम से, एक हिस्सा था जो, लेकिन के लिए परंतुक मुख्य अधिनियम के अंतर्गत आएगा। 29

(जोर दिया गया)

64. लेकिन फिर ये सिद्धांत अन्य सिद्धांतों के अधीन हैं

वैधानिक व्याख्या जो पूरक या प्रतिस्थापन भी कर सकती है

सूत्र के ऊपर। ये अन्य नियम जिन्हें न्याय द्वारा वर्गीकृत किया गया है

जी. पी. सिंह का सारांश इस प्रकार है:

(i) किसी परंतुक का अर्थ किसी चीज़ को अलग करना या जोड़ना नहीं है।

निहितार्थ से:

" इसके द्वारा निपटाए गए मामलों को छोड़कर, एक परंतुक में कोई नहीं है

के अधिनियमित भाग की व्याख्या पर प्रतिक्रिया

धारा ताकि निहितार्थ द्वारा कुछ बहिष्कृत किया जा सके जो है

अधिनियम में स्पष्ट शब्दों द्वारा अपनाया गया।" 3 0

((ii) विषय वस्तु के संबंध में एक परंतुक का अर्थ लगाया जाता है।

वैधानिक प्रावधान जिसमें यह जोड़ा गया है:

धारा द्वारा कवर किए गए विषय-वस्तु के संबंध में समझा गया जिसमें परंतुक जोड़ा गया है। दूसरे शब्दों में आम तौर पर ए

परंतुक उस प्रावधान से परे नहीं जाता है जिसके लिए यह एक है प्रावधान "। यह व्याख्या का एक प्रमुख नियम है ", देखा गया।

भगवती, जे. ", कि एक विशेष प्रावधान के लिए एक परंतुक

कानून केवल उस क्षेत्र को शामिल करता है जो मुख्य द्वारा कवर किया गया है

प्रावधान। यह मुख्य प्रावधान के लिए एक अपवाद बनाता है

जिसे एक परंतुक के रूप में अधिनियमित किया गया है और किसी अन्य के लिए नहीं। 9931 '

((ग) जहां किसी कानून के मूल प्रावधान में स्पष्टता का अभाव है,

परंतुक इसके सही अर्थ पर प्रकाश डाल सकता है:

" यदि किसी धारा का अधिनियमित करने वाला भाग स्पष्ट नहीं है, तो एक परंतुक

इसके साथ संलग्न होने से इसके सही अर्थ के रूप में संकेत मिल सकता है। के रूप में भगवान हर्शेल ने कहा: बेशक एक परंतुक हो सकता है

दो संभावित में से एक या दूसरे के चयन में आपका मार्गदर्शन करने के लिए उपयोग किया जाता है

अधिनियम में पाए जाने वाले शब्दों का निर्माण, और

दिखाएँ जब इसके दायरे के बारे में संदेह हो, जब यह हो सकता है

9 आईडी

0 पी पर आईडी। 218 पी पर आईडी।

221 निऑन ऑफ इंडिया बनाम वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

इस दायरे या उसके होने के बारे में संदेह को यथोचित रूप से स्वीकार करें, जो इसे लेने के लिए उचित दृष्टिकोण है। "

932

((iv) एक क़ानून का अर्थ लगाते समय देने का प्रयास किया जाना चाहिए।

इसका अर्थ है मुख्य अधिनियम और इसके परंतुक दोनों को ध्यान में रखते हुए कि कभी-कभी एक परंतुक को प्रचुर सावधानी के मामले के रूप में डाला जाता है:

" एक परंतुक वाले अधिनियम का अर्थ लगाने में सामान्य नियम यह है कि उनमें से किसी को भी अनावश्यक या अनुचित बनाए बिना उनका एक साथ अर्थ लगाया जाए। भले ही अधिनियमित करने वाला भाग स्पष्ट हो, परंतुक को कुछ अर्थ देने का प्रयास किया जाना चाहिए और

इसकी आवश्यकता को उचित ठहराएँ। लेकिन एक खंड या एक प्रावधान के रूप में शब्दबद्ध एक धारा, एक सच्चा प्रावधान नहीं हो सकता है और हो सकता है कि प्रचुर सावधानी के माध्यम से रखा गया हो। 9 33

(v) जबकि आम तौर पर, परंतुक की व्याख्या एक स्वतंत्र अधिनियमन खंड के रूप में करना असामान्य होगा, जो इसके मुख्य से अलग है।

अधिनियमन, यह केवल एक वास्तविक परंतुक के लिए सच है और क़ानून के मसौदा तैयार करने वाले व्यक्ति ने इस परंतुक के लिए इरादा किया होगा, सार, एक नया अधिनियम:

" एक परंतुक को एक के माध्यम से कुछ प्रदान करने के रूप में पढ़ना

इसके वैध उपयोग का सख्ती से पालन किया जाता है और कभी-कभी एक प्रावधान के रूप में शब्दबद्ध एक खंड पूरी तरह से या आंशिक रूप से एक नया सार हो सकता है। अधिनियम को जोड़ना और न केवल कुछ को छोड़कर या जो पहले होता है उसे योग्य बनाना। 34

65. शायद सबसे व्यापक और अक्सर उद्धृत उदाहरण

एफ पी। 223 एफ पी। 226

एफ पी। 228

" 43. ..... संक्षेप में, एक परंतुक चार अलग-अलग उद्देश्यों को पूरा कर सकता है:

अधिनियम: (2) यह इरादे की अवधारणा को पूरी तरह से बदल सकता है

कुछ अनिवार्य शर्तों पर जोर देकर अधिनियम

अधिनियम को व्यवहार्य बनाने के लिए पूरा किया गया:

(3) यह अधिनियम में ही इस तरह से अंतर्निहित हो सकता है कि अधिनियम का एक अभिन्न अंग बन जाए और इस प्रकार अधिनियम की अवधि और रंग प्राप्त कर सके।

स्वयं मौलिक अधिनियमन; और

(4) इसका उपयोग केवल एक वैकल्पिक परिशिष्ट के रूप में किया जा सकता है वास्तविक उद्देश्य को समझाने के एकमात्र उद्देश्य के साथ अधिनियम

वैधानिक प्रावधान "।

66. उपरोक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए, एस. सुंदरम पिल्लई (ऊपर) ने हीरालाल रतनलाल बनाम में निर्णय पर ध्यान दिया। यू. पी. 36 राज्य जहाँ न्यायमूर्ति के. एस. हेगड़े ने इस न्यायालय की चार न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहा कि सामान्य रूप से, एक परंतुक अपवाद की प्रकृति का होता है,

पूर्ववर्ती संकेत देते हैं कि कभी-कभी एक परंतुक एक अलग प्रावधान की प्रकृति में होता है, जिसका अपना जीवन होता है। न्यायालय ने कहा:

" 22 ..... आम तौर पर किसी धारा के लिए एक परंतुक का उद्देश्य मुख्य धारा के एक हिस्से को विशेष उपचार के लिए निकालना है। इससे मुख्य खंड का दायरा बढ़ने की उम्मीद नहीं है। लेकिन मामले सामने आए हैं

परंतुक ने मुख्य खंड में काफी बदलाव किया है। सी. आई. टी. वी. में बिपिनचंद्र मगनलाल एंड कंपनी लिमिटेड, बॉम्बे [ए. आई. आर 1961 एस. सी. 1040: (1961) 2 एससीआर 493: (1961) 41 आई. टी. आर. 290] इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 2 (6-सी) के साथ पठित धारा 10 (2) (vii) के दूसरे परंतुक में जो वास्तव में आय नहीं है, वह निर्धारणीय की गणना के उद्देश्य से है।

आय, कर योग्य आय "।

सी. आई. टी. बनाम में निर्णय के अलावा। बिपिनचंद्र मगनलाल 3 7, हीरालाल रतनलाल (ऊपर) मामले में अदालत ने पहले के फैसलों को स्वीकार किया

राजस्थान राज्य बनाम। लीला जैन 38 3 8 और बिहार सहकारी विकास बेंत विपणन संघ लिमिटेड v. बैंक ऑफ बिहार 3 9.

38 ए. आई. आर 1965 एस. सी 1296 39 एयर 1967 एससी 389 यूनियन ऑफ इंडिया बनाम।

वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

67. इस न्यायालय को इस निवेदन को स्वीकार करने के लिए मनाने के उनके प्रयास में कि धारा 54 (3) का पहला परंतुक पात्रता की प्रकृति में है।

प्रावधान के मूल भाग (प्रारंभिक शब्दों में निहित) पर प्रतिबंध से अलग होने की शर्त पर, निर्धारिती की ओर से उपस्थित वकील ने निम्नलिखित पहलुओं के साथ अपनी दलीलों को पुष्ट करने की मांग की है:

((i)

पहले परंतुक का खंड (ii) "कर की दर" को इस प्रकार संदर्भित करता है -

कर की मात्रा से अलग;

((ख)

"कहाँ के अलावा अन्य मामलों में" अभिव्यक्ति को विज्ञापन में परिवर्तित किया जाता है

परिस्थितियाँ या परिस्थितियाँ;

((ग) "के कारण" पद का अर्थ होगा "के कारण";

) 0 ((iv)

('निवेश' अभिव्यक्ति का उपयोग (एकवचन को धारा 2 (59) में परिभाषित किया गया है, लेकिन बहुवचन में नहीं) और 'उत्पादन आपूर्ति' अभिव्यक्ति का संबंधित उपयोग (जिसे परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि 'बाहरी आपूर्ति' को धारा 2 (83) में परिभाषित किया गया है);

(v)

धारा 54 (8) और धारा 49 (6) में यह प्रावधान है कि

इलेक्ट्रॉनिक ऋण बही को वापस किया जाना है और माल या सेवाओं से संबंधित ऋण के बीच कोई अंतर नहीं करता है;

(vi) "के कारण" अभिव्यक्ति का उपयोग धारा 22 (3) और धारा 18 (3) में किया गया है और यह धारा 23 (1) (बी) और धारा 12 (2) के परंतुक में "की सीमा तक" अभिव्यक्ति के उपयोग से अलग है। " इस हद तक कि "एक सीमित अभिव्यक्ति है और" के कारण "से इसका एक अलग अर्थ है;

(vii) वित्त मंत्रालय ने 31 तारीख को एक परिपत्र जारी किया है।

दिसंबर 201840 निम्नलिखित स्थिति को स्पष्ट करते हुए:

" 4. अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें कहा गया है कि उल्टे कर ढांचे के कारण अप्रयुक्त आई. टी. सी. के रिफंड की प्रक्रिया करते समय, विभागीय अधिकारी उन निवेशों पर भुगतान किए गए जी. एस. टी. के आई. टी. सी. के रिफंड से इनकार कर रहे हैं जो जी. एस. टी. की दर के बराबर या उससे कम दर पर खरीदे जाते हैं।

बाहरी आपूर्ति पर जी. एस. टी., अधिकतम वापसी राशि की गणना करते समय इस तरह के आई. टी. सी. की राशि को शामिल नहीं करके

40 परिपत्र संख्या 79/53/2018-जी. एस. टी. यहाँ उपलब्ध है: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. सीबीआइसी। गव. में/संसाधन// एच. टी. डी. ओ. सी. एस. सी. बी. सी./जी. एस. टी./परिपत्र-नहीं - 79.पी. डी. एफ.; जेस्सेनिड = सी. एफ. ए. सी. 18978. एफ. सी. ए. 56640473. ई. ए. सी. डी. 101561> (12 सितंबर 2021 को पहुँचा गया)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सी. जी. एस. टी. नियमों के नियम 89 (5) में निर्दिष्ट। मामला यह है कि

जाँच की गई और निम्नलिखित मुद्दों को स्पष्ट किया गया है:

उल्टे कर ढांचे के मामले में अप्रयुक्त आई. टी. सी. का रिफंड,

अ)

जैसा कि सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 54 (3) में दिया गया है, उपलब्ध है।

जहाँ आई. टी. सी. बंद होने के बाद भी अप्रयुक्त रहता है।

उत्पादन कर देयता के भुगतान के लिए उपलब्ध आई. टी. सी. कहाँ?

कर की विभिन्न दरों को आकर्षित करने वाले कई निवेश हैं, सी. जी. एस. टी. नियमों के नियम 89 (5) में दिए गए सूत्र में, "शुद्ध आई. टी. सी. शब्द में सभी निवेशों पर प्राप्त आई. टी. सी. शामिल है। प्रासंगिक अवधि, चाहे उनकी कर की दर कुछ भी हो।

खाते में संचित आई. टी. सी. की वापसी की गणना

ख)

उल्टा कर संरचना, ऐसे मामलों में जहां कई निवेश किए जाते हैं

अंतिम उत्पाद/उत्पादन की आपूर्ति में उपयोग किया जाता है, स्पष्ट रूप से किया जा सकता है निम्नलिखित उदाहरण की मदद से समझा गया:

मान लीजिए कि एक विनिर्माण प्रक्रिया में एक का उपयोग शामिल है

आई.

इनपुट ए (5 प्रतिशत जी. एस. टी. आकर्षित करना) और इनपुट बी (18 प्रतिशत जी. एस. टी. आकर्षित करना) उत्पादन वाई (12 प्रतिशत आकर्षित करना) के लिए।

प्रतिशत जीएसटी)।

उपरोक्त (i) की स्थिति में संचित आई. टी. सी. की वापसी,

ii.

यह सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 54 (3) के तहत उपलब्ध होगा, जिसे सी. जी. एस. टी. नियमों के नियम 89 (5) के साथ पढ़ा जाएगा।

अनुमेय अधिकतम धनवापसी राशि का सूत्र

ऐसी स्थितियों में। आगे यह मान लें कि दावेदार आउटपुट Y की आपूर्ति करता है।

111 .

जिसका मूल्य रु। 3,000 / - संबंधित अवधि के दौरान जिसके लिए धनवापसी का दावा किया जा रहा है। इसलिए, वस्तुओं और सेवाओं की इन्वर्टेड रेटेड आपूर्ति का कारोबार रु। 3,000 / - . चूँकि दावेदार के पास कोई अन्य बाहरी आपूर्ति नहीं है, इसलिए उसका समायोजित कुल कारोबार भी रु। 3,000 / - . अगर हम मान लें कि इनपुट ए, जिसका मूल्य रु। 500 / - और

iv.

इनपुट बी, जिसका मूल्य रु। 2,000 / - , Y के निर्माण के लिए प्रासंगिक अवधि में खरीदा गया है, फिर शुद्ध आई. टी. सी. रुपये के बराबर होगा। 385 / - (रु. 25 / - और रु. 360 / - क्रमशः इनपुट ए और इनपुट बी पर)।

इसलिए, शुद्ध आई. टी. सी. को कारोबार के अनुपात से गुणा करना

वी.

समायोजित कुल कारोबार के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उल्टे रेटेड आपूर्ति रुपये का आंकड़ा देगी। 385 / - .

भारत संघ v. वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

अगर हम इस तरह के उल्टे पर देय कर की कटौती करते हैं

vi.

वस्तुओं या सेवाओं की रेटेड आपूर्ति, जो रु। 360 / - , हमें सी. जी. एस. टी. नियमों के नियम 89 (5) के अनुसार अधिकतम धनवापसी राशि मिलती है जो रु. 25 / - . "

68. इसके बाद परिपत्र के पैरा 4 (बी) में कुछ चित्र दिए गए हैं। यह आग्रह किया जाता है कि उपरोक्त परिपत्र यह प्रदर्शित करेगा कि परंतुक में "के कारण" वाक्यांश की व्याख्या राज्य द्वारा एक सीमा शर्त के रूप में की जाती है। इसलिए यदि किसी निर्माता के निवेश की टोकरी में एक निवेश के परिणामस्वरूप एक उल्टा शुल्क संरचना होती है, तो संचित आई. टी. सी. का पूरा लाभ उठाया जा सकता है। दूसरी ओर, सेवाओं के लिए एक ही वाक्यांश की व्याख्या इस तरह की जाती है कि इसका अर्थ 'की सीमा तक' हो। उपरोक्त परिपत्र द्वारा माल के लिए समझी गई अभिव्यक्ति "के कारण" सेवाओं के लिए भी लागू होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि यह केवल एक सीमा शर्त है।

69. उपरोक्त प्रस्तुतियाँ छात्रवृत्ति को प्रदर्शित करती हैं जो

निर्धारिती की ओर से पेश वकील द्वारा विवाद को सहन करने के लिए लाया गया है। वैधानिक प्रावधान धारा 54 (3) के उपरोक्त पहलुओं को स्पष्टीकरण-I सहित वैधानिक प्रावधान की सभी विशेषताओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए, जिनके बारे में कहा गया है -

इससे पहले। पहले किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि प्रावधान को पढ़ने पर क्यों समग्र रूप से, पहले परंतुक के खंड (i) और (ii) प्रतिबंध हैं और केवल पात्रता की शर्तें नहीं हैं। न्यायालय के लिए प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है।

31 दिसंबर 2018 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक परिपत्र के आधार पर परंतुक के खंड (ii) की सीमा। में।

सारतः, यह तर्क इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने के लिए प्रेरित करने के प्रयास पर आधारित है कि पहले परंतुक के खंड (ii) में उपयोग की गई भाषा के बावजूद (जहां निवेश पर कर की दर उत्पादन आपूर्ति पर कर की दर से अधिक होने के कारण जमा की जाती है), निवेश सेवाओं को "निवेश" शब्द में पढ़ा जाना चाहिए। आकलनकर्ताओं का तर्क है कि विभागीय समझ, जैसा कि परिपत्र में परिलक्षित होता है, एक वैधानिक प्रावधान की व्याख्या करने का आधार होना चाहिए। इस तरह का अभ्यास होगा

अस्वीकार्य, जब इसका प्रभाव धनवापसी के क्षेत्र का विस्तार करना है इनपुट सेवाओं को शामिल करने के लिए पहले परंतुक द्वारा विचार किया गया

इसके विपरीत वैधानिक भाषा के बावजूद इनपुट माल। धारा 54 की उप-धारा (3) अपने मुख्य भाग में इस शर्त के साथ शुरू होती है कि एक पंजीकृत व्यक्ति किसी भी कर अवधि के अंत में किसी भी अप्रयुक्त आई. टी. सी. के धनवापसी का दावा कर सकता है। चाहे हम पहले परंतुक को एक अपवाद के रूप में समझें या एक नए अधिनियम की प्रकृति में, संसद का स्पष्ट इरादा [2021] 15 एस. सी. आर. को सीमित करना था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पहले परंतुक के खंड (i) और (ii) में वर्णित दो श्रेणियों को धनवापसी का अनुदान। वह खंड (i) और (ii) केवल दो स्थितियाँ हैं जिनमें धनवापसी दी जा सकती है, पहले परंतुक के शुरुआती शब्दों से स्पष्ट है जो यह निर्धारित करता है कि "इसके अलावा अन्य मामलों में अप्रयुक्त निवेश कर क्रेडिट की कोई धनवापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी"। निम्नलिखित खंड (i) और (ii) हैं। संसद की मंशा दोहरे नकारात्मक प्रारूप के उपयोग से स्पष्ट होती है, जिसमें "कोई धनवापसी नहीं" अभिव्यक्ति के साथ-साथ "इसके अलावा अन्य मामलों में" अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में, खंड (i) और (ii) में प्रदान की गई स्थितियों में धनवापसी पर विचार किया जाता है और कोई अन्य नहीं। इसे अलग तरह से रखने के लिए, पहले परंतुक को फिर से तैयार किया जा सकता है, इसके अर्थ को बदले बिना यह पढ़ने के लिए कि अप्रयुक्त आईटीसी की वापसी की अनुमति केवल मामलों में दी जाएगी।

खंड (i) और (ii) द्वारा शासित। खंड (i) कर के भुगतान के बिना शून्य मूल्यांकित आपूर्ति से संबंधित है। धारा 54 का स्पष्टीकरण-1 स्पष्ट करता है कि -

'रिफंड' अभिव्यक्ति में वस्तुओं या सेवाओं या दोनों पर शून्य श्रेणी की आपूर्ति पर या ऐसी शून्य श्रेणी की आपूर्ति करने में उपयोग की जाने वाली इनपुट या इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गए कर का रिफंड शामिल है। दूसरी ओर, मानित निर्यात के मामले में, स्पष्टीकरण-1 माल की आपूर्ति पर कर की वापसी को

संदर्भित करता है। इसी तरह पहले परंतुक के खंड (ii) द्वारा शासित घरेलू आपूर्ति के संबंध में, 'धनवापसी' शब्द का अर्थ है उप-धारा (3) के तहत प्रदान किए गए अप्रयुक्त आई. टी. सी. का धनवापसी। धारा 54 (3) के प्रावधानों को अधिनियमित करते समय संसद द्वारा अपनाई गई स्पष्ट भाषा के साथ, प्रस्तुत करने की स्वीकृति जिसका अनुरोध किया गया है

70. हमें इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि धनवापसी का दावा करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। रिफंड एक वैधानिक प्रिस्क्रिप्शन का मामला है। संसद यह निर्धारित करने में अपने विधायी अधिकार के भीतर थी कि क्या अप्रयुक्त आई. टी. सी. के धनवापसी की अनुमति दी जानी चाहिए, जो कि इनपुट वस्तुओं और इनपुट सेवाओं दोनों के लिए अपने मूल का पता लगाती है या, जैसा कि उसने कानून बनाया है, केवल इनपुट वस्तुओं के लिए। अपनी स्पष्ट शर्त से कि धनवापसी होगी जहां अप्रयुक्त आई. टी. सी. ने निवेश पर कर की दर के उत्पादन पर कर की दर से अधिक होने के कारण जमा किया है, केवल वहीं स्वीकार्य होगा।

वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

आपूर्ति, संसद ने धनवापसी को उस तरीके से सीमित कर दिया है जिसका हमने ऊपर वर्णन किया है। धनवापसी की पात्रता को मान्यता देते हुए, यह विधायिका के लिए उन परिस्थितियों को परिभाषित करने के लिए खुला है जिनमें धनवापसी हो सकती है। दावा किया जाता है। धारा 54 (3) का परंतुक पात्रता की शर्त नहीं है (जैसा कि निर्धारिती के वकील ने प्रस्तुत किया है) बल्कि एक प्रतिबंध है जिसे नियंत्रित करना चाहिए।

धारा 54 (3) के तहत धनवापसी का अनुदान। इसलिए हम श्री एन. वेंकटरमन, विद्वान ए. एस. जी. द्वारा किए गए आग्रह को स्वीकार करते हैं।

एफ. 5 संवैधानिक वैधता: अति अधिकार सिद्धांत

71. प्रस्तुतिकरण जिसका पक्ष से आग्रह किया गया है

निर्धारिती यह है कि यदि धारा 54 (3) का अर्थ धनवापसी को सीमित करना है

और (ii) निवेश सेवाएँ। इस प्रस्तुति का विरोध करते हुए, विद्वान ए. एस. जी. का निवेदन है कि यह एक वैध वर्गीकरण है, जो एक प्रजाति अर्थात् निवेश सेवाओं को धनवापसी के लाभ से वंचित करता है। 72. आकलनकर्ताओं के वकील जिस सिद्धांत का समर्थन करते हैं, उसे जम्मू और कश्मीर राज्य में निर्णय पर भरोसा करके मजबूत करने की कोशिश की जाती है।

कश्मीर बनाम। त्रिलोकी नाथ खोसा 1 और विशेष अदालतों में

बिल, 19784 2. वर्तमान मामले में अपने अनुप्रयोग में, उपरोक्त निर्णयों से वकील द्वारा जो सिद्धांत प्राप्त किए गए हैं, वे हैं:

((i)

एक बार जब आई. टी. सी. इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट के दायरे में आ जाता है खाता और एक समरूप क्रेडिट में शामिल है, एक 'सूक्ष्म

'भेद' नहीं किया जा सकता है; और

((ख)

वर्ग पर्याप्त है: वस्तुओं के साथ-साथ सेवाओं के मामले में, कर योग्य घटना मूल्यवर्धन कर है और प्रशासनिक तंत्र वस्तुओं के साथ-साथ सेवाओं के साथ भी समान व्यवहार करता है। वस्तुओं के मूर्त होने का मात्र तथ्य एक बात है।

कोई परिणाम नहीं।

41 (1974) 1 एससीसी 19

42 (1979) 1 एससीसी 380 [2021] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रस्तुतिकरण के अनुसार, यह राजस्व संचयन का प्रावधान नहीं है। अंत में, समर्पण के इस अंग पर, यह आग्रह किया गया है कि राजकोषीय विधान के मामले में विधायिका के पास जो व्यापक अक्षांश उपलब्ध है, वह केवल वहीं है जहां राजस्व संचयन उपाय शामिल है। तर्कसंगतता की दोहरी परीक्षा और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ संबंध का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। सांठगांठ (ए) केवल विधान के उद्देश्य पर आधारित होनी चाहिए; और (बी) एक स्पष्ट सिद्धांत को इंगित करता है जो वर्गीकरण से निकलता है। वित्त मंत्रालय द्वारा इनपुट पर स्पष्टीकरण के साथ, यह आग्रह किया जाता है कि कोई स्पष्ट सिद्धांत सामने न आए। 74. कर निर्धारकों के वकील ने यह भी तर्क दिया कि गुजरात और मद्रास के उच्च न्यायालयों के समक्ष, केंद्र सरकार ने यह आग्रह नहीं किया कि वित्त का बहिर्वाह इनपुट सेवाओं पर धनवापसी को बाहर करने का कारण था और यह अदालत के लिए कोई कारण बताने के लिए खुला नहीं है। संवैधानिक वैधता पर उपरोक्त प्रस्तुतियों के समर्थन में, जिनका श्री सुजीत घोष द्वारा आग्रह किया गया है, विद्वान वकील, श्री अरविंद दातार, विद्वान वरिष्ठ

वकील ने आग्रह किया है कि एक ओर यह कहना विरोधाभासी होगा कि वस्तु और सेवाएँ शुल्क, संग्रह और जुर्माने के उद्देश्य से समान हैं, लेकिन धनवापसी के उद्देश्य से उनके बीच अंतर किया जाएगा।

75. प्रथम सिद्धांत के रूप में, इसे स्वीकार करना संभव नहीं है

इस आधार पर कि राजकोषीय व्यवस्था के उद्देश्य के लिए उचित वर्गीकरण तैयार करने में विधायिका को कुछ हद तक लचीलापन प्रदान करने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत केवल कानून के राजस्व संचयन उपायों तक ही सीमित होने चाहिए। इस न्यायालय के उदाहरण इस मौलिक सिद्धांत के लिए प्रचुर औचित्य प्रदान करते हैं कि कर कानून के तहत एक भेदभावपूर्ण प्रावधान अपने आप में अमान्य नहीं है। अयोग्यता का एक कारण तब उत्पन्न होता है जब बराबर लोगों को असमान माना जाता है और असमान लोगों को बराबर माना जाता है। संविधान और सी. जी. एस. टी. अधिनियम दोनों के तहत, वस्तुओं और सेवाओं और निवेश वस्तुओं और निवेश सेवाओं को एक ही नहीं माना जाता है और वे अलग-अलग प्रजातियां हैं।

76. संसद ने धन वापसी के लिए धारा 54 (3) का प्रावधान किया। इस तरह के प्रावधान को लागू करने में, संसद को नीतिगत विकल्प चुनने का अधिकार है

और उस अक्षांश को देखते हुए उपयुक्त वर्गीकरणों को अपनाएं जो हमारे भारत बनाम।

वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

सभी न्यायशास्त्र इसे छूट, रियायतों और लाभों के लिए कर कानून से जुड़े मामलों में अनुमति देता है, जैसा कि यह उचित है। इस न्यायालय की पूर्ववर्ती की सुसंगत रेखा कुछ बुनियादी उपदेश हैं जो न्यायिक समीक्षा दोनों को नियंत्रित करते हैं।

कर कानून की व्याख्या। ये नियम इस प्रकार हैं:

सहायक आयुक्त में संविधान पीठ के लिए शहरी भूमि कर बनाम। बकिंघम एंड कर्नाटक कंपनी।

Ltd.43 आयोजित: " 10 ..... कर लगाने के उद्देश्य, लगाए जाने वाले कर की मात्रा, किन शर्तों के अधीन यह लगाया जाता है और सामाजिक और आर्थिक नीतियां जिनके लिए एक कर तैयार किया गया है

अधीनता राजनीतिक चरित्र के सभी मामले हैं और ये मामले विधायिका को सौंपे गए हैं न कि न्यायालयों को। तर्कसंगतता की कसौटी को लागू करने में यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि आम तौर पर कराधान की शक्ति

संप्रभुता की एक अनिवार्य विशेषता के रूप में माना जाता है और

कराधान की शक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को शक्ति प्रदान करने के रूप में नहीं माना जाता है, बल्कि उस शक्ति पर सीमा के रूप में माना जाता है जो अन्यथा व्यावहारिक रूप से बिना कर के होगी।

सीमा। संघ में भी यही सिद्धांत दोहराया गया है।

होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम संघ का

इंडिया4, जहाँ न्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचलैया (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) संविधान पीठ की ओर से बोल रहे थे

आयोजित: " 46. अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि हालांकि कर कानून अनुच्छेद 14 के बाहर नहीं हैं, फिर भी, विभिन्न प्रकार के विविध आर्थिक मानदंडों को ध्यान में रखते हुए जो एक राजकोषीय नीति के निर्माण में जाते हैं, विधायिका को कराधान के लिए व्यक्तियों, विषय-वस्तु, घटनाओं आदि के चयन के मामले में व्यापक अक्षांश प्राप्त होता है। एक कराधान में भेदभाव की बुराई के परीक्षण

सीसी 55

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

तदनुसार, कानून कम कठोर हैं। शत्रुतापूर्ण, भेदभावपूर्ण व्यवहार के आरोपों की जांच में जो देखा जाता है वह इसकी शब्दावली नहीं है, बल्कि इसके प्रावधानों का वास्तविक प्रभाव है। जैसा कि एक पुरानी कहावत है, एक विधायिका को किसी चीज पर कर लगाने में सक्षम होने के लिए हर चीज पर कर नहीं लगाना पड़ता है। यदि प्रत्येक समूह के भीतर समानता और एकरूपता है, तो कानून भेदभावपूर्ण नहीं होगा। इस मामले पर इस न्यायालय के निर्णयों ने विधानसभाओं को कर उद्देश्यों के लिए वस्तुओं को वर्गीकृत करने में अत्यधिक व्यापक विवेक का प्रयोग करने की अनुमति दी है, जब तक कि यह स्पष्ट और शत्रुतापूर्ण होने से बचता है।

विशेष व्यक्तियों या वर्गों के खिलाफ भेदभाव।

47. लेकिन, इस पूरे अक्षांश के साथ समानता की कुछ अपरिवर्तनीय इच्छा अंतर के लिए वर्गीकरण को नियंत्रित करेगी। कराधान कानूनों में भी व्यवहार। वर्गीकरण तर्कसंगत होना चाहिए और कुछ गुणों और विशेषताओं पर आधारित होना चाहिए जो एक साथ समूहबद्ध सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं।

व्यक्ति या वस्तुएँ। यह भी माना जाता है कि कोई सटीक या निर्धारित सूत्र या सैद्धांतिक परीक्षण या सटीक वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं हैं। अपवर्जन या समावेशन लागू किया जाना है। परीक्षण केवल अनुभव द्वारा सूचित समय की महसूस की गई जरूरतों और सामाजिक आवश्यकताओं के संदर्भ में लागू स्पष्ट मनमानेपन में से एक हो सकता है।

वर्गीकरण के मामलों में, जिसमें राजकोषीय कानून शामिल हैं, विधायिका को एक बड़े विवेकाधिकार की अनुमति दी जाती है जब तक कि वर्गीकरण के सिद्धांत में अंतर्निहित मौलिक सिद्धांत का कोई उल्लंघन न हो। हीरालाल रतनलाल (उपरोक्त) मामले में न्यायमूर्ति के. एस. हेगड़े चार न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोल रहे हैं।

यह देखा गया:

" 20. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आम तौर पर सभी करों को लगाने का प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक भलाई के लिए धन जुटाना है। किस व्यक्ति पर कर लगाया जाना चाहिए, भारत में किस लेन-देन पर कर लगाया जाना चाहिए।

वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

किस वस्तु पर कर लगाया जाना चाहिए या किस वस्तु पर कर लगाया जाना चाहिए, यह निर्भर करता है

सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक विचार। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह तय करना विधायिका का काम है कि उसे किस आर्थिक या सामाजिक नीति को अपनाना चाहिए या क्या करना चाहिए।

हाल ही में भारत संघ बनाम. एन. आई. टी. डी. आई. पी. वस्त्र प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड 45, दो न्यायाधीशों की पीठ

देखा गया:

" 67. इस न्यायालय के बड़ी संख्या में निर्णयों में यह निर्धारित किया गया है कि एक कराधान क़ानून, कार्यात्मक समीचीनता के कारणों से और अन्यथा भी, कुछ करों को चुन सकता है और चुन सकता है। अत्यधिक व्यापक होने और कार्यकारी व्यावहारिकता के विविध विचारों पर आधारित होने के कारण वर्गीकृत करने की एक शक्ति, न्यायपालिका उस स्थिति में जल्दबाजी नहीं कर सकती जहां विधायिका भी युद्धरत तरीके से चलती है। न्यायिक शक्ति पर इन सभी परिचालन प्रतिबंधों को अधिक जोर से तौलना चाहिए जहां विषय कराधान है।

आकस्मिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप भेदभाव

विशेष परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाली, जिसमें कुछ करदाता खुद को पाते हैं, अनुच्छेद 14 द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं यदि -

कानून, इस तरह, सामान्य अनुप्रयोग का है और नहीं करता है

व्यक्तिगत मूल्यांकनकर्ताओं के लिए नुकसान आकस्मिक हैं और यह अपरिहार्य है और प्रत्येक कर कानून में निहित है क्योंकि इसे कहीं न कहीं एक रेखा खींचनी होती है और कुछ मामले अनिवार्य रूप से गिर जाते हैं।

रेखा के दूसरी तरफ "।

कर की वापसी के माध्यम से लाभ को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को छूट के साथ एक समान ढांचे पर समझा जाना चाहिए।

कर का भुगतान या देयता में कमी (सहायक)

वाणिज्यिक कर के निदेशक (सहायक) v. धर्मेंद्र ट्रेडिंग

y46)।

78. एल होटल्स एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड और अन्य बनाम। भारत संघ, न्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचलैया (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने कहा कि:

राजकोषीय और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करना। वर्गीकरण का अंतर इस आधार पर पूर्वनिर्धारित और आगे बढ़ता है कि यह उच्च आर्थिक स्थिति वाले एक विशिष्ट श्रेणी के होटल के रूप में अलग करता है और इस तरह की आर्थिक श्रेष्ठता के संकेतों में से एक में परिलक्षित होता है। संवैधानिकता की धारणा को खारिज नहीं किया गया है याचिकाकर्ताओं ने यह प्रदर्शित करते हुए कि कैसे होटलों को भी अंदर नहीं लाया गया

वर्ग, के पास समान या उच्चतर प्रभार्य प्राप्तियाँ भी हैं और कैसे होटलों की आर्थिक श्रेष्ठता की धारणा जिस पर अधिनियम लागू किया जाता है, गलत या अप्रासंगिक है।

79. स्पेन्स होटल प्राइवेट लिमिटेड बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य की दो न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति के. एन. सैकिया के माध्यम से बोलते हुए कर कानून में वर्गीकरण के सिद्धांतों को नियंत्रित करने वाले इस न्यायालय के उदाहरणों पर फिर से विचार किया और कहा:

" 24 ..... कराधान का इतिहास विकास का है जैसा कि सभी मानव मामलों में होता है। इसकी प्रगति बढ़ती आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए निरंतर वृद्धि और विकास में से एक है; और राज्य की राजकोषीय खुफिया जानकारी नए साधनों और तरीकों के अधीन, साथ-साथ आगे बढ़ रही है।

अब तक बिना कर वाली संपत्ति, आय, सेवा और कराधान के प्रावधान। वैज्ञानिक, वाणिज्यिक और आर्थिक स्थितियों और जीवन के तरीकों में बदलाव के साथ, संपत्ति की नई प्रजातियां, मूर्त और अमूर्त दोनों, जो भारी मूल्य प्राप्त कर रही हैं, अस्तित्व में आ गई हैं और सार्वजनिक वित्त में योगदान करने के लिए उन तक पहुंचने और उनके अधीन करने के नए साधन विकसित किए जा रहे हैं,

परिपूर्ण किए जा रहे हैं और इस देश की विधानसभाओं और अदालतों द्वारा व्यावहारिक संचालन में लाए जा रहे हैं।

बेशक संवैधानिक सीमाओं के भीतर।

47 (1989) 3 एससीसी 698 48 (1991) 2 एससीसी 154 भारत संघ बनाम।

वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

80. न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि समानता का सिद्धांत बाधा नहीं देता है

संपत्ति, व्यापार, व्यवसाय और कराधान के लिए घटनाओं का वर्गीकरण एक प्रकार के कराधान की एक दर और दूसरे के लिए एक अलग दर के अधीन है।

दर। राज्य संपत्ति के कुछ वर्गों को किसी भी कर से छूट दे सकता है और विभिन्न प्रजातियों पर अलग-अलग विशिष्ट कर लगा सकता है जिन्हें वह विनियमित करना चाहता है। न्यायालय ने कहा:

" 27. " कराधान में पूर्ण समानता को बार-बार असंभव और अप्राप्य कहा गया है। इसके लिए अनुमान ही सब कुछ हो सकता है। हालाँकि, समझदारी और सावधानी से तैयार की गई कराधान की किसी भी प्रणाली के तहत, सार्वजनिक बोझ का एक अनुपातहीन हिस्सा कुछ प्रकार की संपत्ति पर डाला जाएगा, क्योंकि वे हैं

दृश्य और मूर्त, जबकि अन्य सतर्कता से बचने की प्रकृति के हैं। यह केवल वहीं है जहां कानून पारित किए जाते हैं जो झूठे और अन्यायपूर्ण सिद्धांत पर कर लगाते हैं, या सकल असमानता पैदा करने के लिए काम करते हैं, ताकि उन्हें किसी भी न्यायसंगत अर्थ में उन लोगों पर उनके प्रभाव में आनुपातिक नहीं माना जा सके जो सार्वजनिक आरोप वहन करने वाले हैं कि अदालतें हस्तक्षेप कर सकती हैं और ऐसे अधिनियमों को अमान्य घोषित करके कानून के पाठ्यक्रम को गिरफ्तार कर सकती हैं। " यह कहा गया है कि "पूरी तरह से समान कराधान" तब तक एक अप्राप्य वस्तु बनी रहेगी जब तक कानून और सरकार और लोग एक समान नहीं हैं।

अपूर्ण "। ' 'पूर्ण एकरूपता और कराधान की पूर्ण समानता', उन सभी पहलुओं में जिनमें मानव मन इसे देख सकता है, एक आधारहीन बात है।

सपना देखें। "

परंतुक ने कर के भुगतान के बिना की गई शून्य-रेटेड आपूर्ति के मामले में अप्रयुक्त आई. टी. सी. के धनवापसी की अनुमति दी। पहले परंतुक के खंड (ii) के तहत, संसद ने अप्रयुक्त आई. टी. सी. की वापसी की परिकल्पना की है, जहां निवेश पर कर की दर के कारण ऋण जमा हुआ है। उत्पादन

आपूर्ति पर कर की दर से अधिक। जब न तो कोई संवैधानिक गारंटी है और न ही धनवापसी के लिए कोई वैधानिक पात्रता है, तो यह निवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि वस्तुओं और सेवाओं को अनिवार्य रूप से अप्रयुक्त आई. टी. सी. के धनवापसी के मामले में समान माना जाना चाहिए। इस तरह की व्याख्या, यदि इसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाता है, तो अप्रत्याशित परिणाम शामिल होंगे, जो संसद के विधायी विवेक को [2021] 15 एस. सी. आर. तक सीमित कर देंगे।

कर, रियायतों और छूटों की दर तय करें। अगर न्यायपालिका यदि ऐसा किया जाता है, तो यह विधायी विकल्पों और नीतिगत निर्णयों पर अतिक्रमण करने का जोखिम उठाएगा जो कार्यपालिका के विशेषाधिकार हैं। इन विकल्पों को आधार बनाने वाले कई विचार राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं के बीच बनाए गए जटिल संतुलन पर आधारित हैं और

आकांक्षाएं और करों के उद्ग्रहण और उनके संग्रह के संबंध में डेटा और जानकारी के सावधानीपूर्वक विश्लेषण का परिणाम हैं। यही कारण है कि अदालतें राजकोषीय मुद्दों पर नीतिगत मामलों के क्षेत्र में प्रवेश करने के खिलाफ हैं। इसलिए हम धारा 54 (3) की संवैधानिक वैधता की चुनौती को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

जी नियम 89 (5)

82. सी. जी. एस. टी. नियमों के नियम 89 (5) में एक उल्टे शुल्क संरचना के कारण आई. टी. सी. के रिफंड की गणना का प्रावधान है। यह नियम, जैसा कि मूल रूप से लागू किया गया था, इनपुट वस्तुओं और इनपुट सेवाओं दोनों पर भुगतान किए गए आईटीसी के रिफंड के लिए प्रदान किया गया था। नियम 89 (5) को 18 अप्रैल 2018 को संभावित प्रभाव से संशोधित किया गया था। 13 जून 2018 को, संशोधित नियम 89 (5) को 1 जुलाई 2017 से पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रतिस्थापित किया गया था। इसका प्रभाव

इस संशोधन में कहा गया है कि अप्रयुक्त आई. टी. सी. का रिफंड केवल इनपुट वस्तुओं पर ही प्राप्त किया जा सकता है।

83. सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 164 'सरकार' को सशक्त बनाती है।

(धारा 2 (53) में 'सरकार' शब्द को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है केंद्र सरकार) के प्रावधानों को पूरा करने के लिए नियम बनाना।

जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशों पर अधिनियम। धारा 164 की उप-धारा (3) में कहा गया है कि नियम बनाने की उस शक्ति में उस तारीख से पहले पूर्वव्यापी प्रभाव से नियम बनाने की शक्ति शामिल

होगी जिस दिन अधिनियम के प्रावधान लागू हुए थे। नियम 89 (5) के संशोधन के परिणामस्वरूप, आई. टी. सी. के रिफंड के लिए जो सूत्र निर्दिष्ट किया गया है, वह इस प्रकार है:

" अधिकतम धनवापसी राशि = {(इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई का टर्नओवर)

वस्तुओं और सेवाओं का) x शुद्ध आई. टी. सी. ± समायोजित कुल कारोबार}

वस्तुओं और सेवाओं की ऐसी उल्टे रेटेड आपूर्ति पर देय कर।

स्पष्टीकरण-इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्तियाँ

(अ)

शुद्ध आई. टी. सी. का अर्थ होगा इस अवधि के दौरान निवेश पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट।

प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा प्रासंगिक अवधि जिसके लिए धनवापसी का दावा उप-नियमों (4 ए) या (4 बी) के तहत किया जाता है या

दोनों; और भारत संघ v. वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

(ख) समायोजित कुल कारोबार का वही अर्थ होगा जो

उन्हें उप-नियम (4) में सौंपा गया है।

जी1 सी. जी. एस. टी. नियमों के नियम 89 (5) की वैधता

सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 164 के तहत नियम बनाने की शक्ति

84. एक प्रारंभिक प्रस्तुति जिसका आग्रह किया गया है

श्री वी. श्रीधरन, विद्वान वरिष्ठ वकील का कहना है कि सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 164 के तहत नियम बनाने की शक्ति का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब विशिष्ट प्राधिकरण हो।

नियम बनाने के लिए सी. जी. एस. टी. अधिनियम की विशेष धारा द्वारा अनुमति दी जाती है। इस निवेदन पर विस्तार से बताते हुए, श्री वी. श्रीधरन ने प्रस्तुत किया है कि सी. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत, विभिन्न धाराएं स्पष्ट रूप से "निर्धारित" शब्द का उपयोग करती हैं ताकि यह इंगित किया जा सके कि नियमों को उस विशेष धारा के लिए प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से तैयार किया जा सकता है। एक उदाहरण के रूप में, श्री श्रीधरन बताते हैं कि धारा 9 में प्रावधान है कि जिस तरीके से कर एकत्र

किया जाना है, वह 'निर्धारित' हो सकता है; धारा 16 (1) आईटीसी का लाभ उठाने के लिए शर्तों और प्रतिबंधों का प्रावधान करती है जो 'निर्धारित' हो सकती हैं और धारा 31 (2) में प्रावधान है कि जिस समय के भीतर कर योग्य सेवा की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति को चालान जारी करना होगा, वह 'निर्धारित' हो सकता है। ये ऐसे उदाहरण हैं जहाँ क़ानून ने स्पष्ट रूप से विचार किया है कि किसी विशिष्ट प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए नियम बनाने होंगे। श्री श्रीधरन का कहना है कि कानून के पाठ में ऐसे शब्दों के अभाव में सरकार सी. जी. एस. टी. की धारा 164 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती है।

अन्य धाराओं के लिए नियम बनाने के लिए अधिनियम। इस प्रकार, चूंकि धारा 54 (3) में ऐसे कोई शब्द नहीं हैं जो यह इंगित करते हैं कि नियम बनाने के लिए विशिष्ट अधिकार दिया गया है, इसलिए नियम 89 (5) (प्रस्तुत करने के अनुसार) अमान्य है।

आ

य

85. हम उपरोक्त निवेदन को स्वीकार करने में असमर्थ हैं क्योंकि यह

एक गलत धारणा पर। धारा 164 (1) के तहत व्यक्त करने की शक्ति प्रदान की जाती है।

जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशों पर सी. जी. एस. टी. अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को नियम बनाने के लिए। यह सच हो सकता है कि कुछ विशिष्ट वैधानिक प्रावधानों में, अधिनियम 'निर्धारित करता है' अभिव्यक्ति का उपयोग करके मान्यता देता है कि उस उद्देश्य के लिए नियम बनाए जा सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत को अनुमानित रूप से यह मानते हुए नहीं माना जा सकता है कि अन्य क्षेत्रों में नियम बनाने की शक्ति का सहारा नहीं लिया जा सकता है। अपनी प्रकृति से, एक वैधानिक प्रावधान प्रत्येक की कल्पना नहीं कर सकता है

अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में उत्पन्न होने वाली संभाव्यता। इसलिए यह नियम बनाने वाले प्राधिकरण के लिए नियम बनाने के लिए खुला है, जब तक कि वे मूल अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हों। नियम बीच-बीच में उन अंतरालों को भर सकते हैं जिन पर मुख्य रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है।

कानून बनाना या कानून को लागू करने के लिए प्रावधान पेश करना।

तो [2021] 15

एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिसे आगे बढ़ाने के लिए एक नियम बनाया जा सकता है। यही कारण है कि धारा 164 के तहत शक्तियां केवल उन धाराओं तक ही सीमित नहीं हैं जो नियम बनाने के लिए विशिष्ट अधिकार प्रदान करती हैं।

यदि ऐसा निर्माण, जैसा कि श्री श्रीधरन ने परिकल्पना की है, स्वीकार्य है, तो यह धारा 164 के प्रावधानों को अनुचित बना देगा। इस प्रकार, हम पाते हैं कि धारा 54 (3) में "जैसा निर्धारित किया जा सकता है" शब्दों की अनुपस्थिति नियम बनाने वाले प्राधिकरण को इसके प्रावधानों को पूरा करने के लिए नियम बनाने से वंचित नहीं करती है। एक्ट करें।

जी. 2 नियम 89 (5) बनाम धारा 54 (3) के अधिकार

सी. जी. एस. टी. अधिनियम

86. श्री वी. श्रीधरन, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा आग्रह किया गया अगला निवेदन यह है कि नियम 89 (5) धारा के अनुरूप नहीं है

54 (3) . जैसा कि पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया गया है, इस नियम को धारा 54 (3) के दायरे से बाहर बताया गया है क्योंकि यह केवल इनपुट वस्तुओं पर प्राप्त क्रेडिट को ध्यान में रखते हुए धनवापसी की गणना को प्रतिबंधित करता है। इसके अलावा, धारा 54 (1) के तहत, सी. जी. एस. टी. नियम केवल वह प्रपत्र और तरीका प्रदान कर सकते हैं जिसमें धनवापसी के लिए आवेदन किया जा सकता है और सी. जी. एस. टी. अधिनियम के मूल प्रावधानों को एक विपरीत नियम बनाकर कम नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त प्रस्तुतिकरण जो अति अधिकार के सिद्धांत को लागू करने का प्रयास करता है, इस परिकल्पना पर आधारित है कि नियम इसके अनुरूप नहीं है।

87. श्रीधरन की दलील का दूसरा अंग यह है कि सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 164 के तहत बनाए गए कोई भी नियम "अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने" के लिए होने चाहिए। प्रस्तुतिकरण के अनुसार, धारा 54 (3) में अप्रयुक्त आई. टी. सी., इसकी मात्रा और उन मामलों के लिए धनवापसी का अधिकार प्रदान किया गया है जिनमें धनवापसी दी जानी है। यह एक पूर्ण कोड है जिसमें इसके संचालन के लिए किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं है और कोई नियम नहीं है। धारा 54 (3) में उल्लेख सरकार को इस संबंध में नियम बनाने में सक्षम बनाता है। इसलिए, नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग अनावश्यक और अनुचित होने का आग्रह किया जाता है।

भारत संघ v. वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

88. सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 164 (1) के तहत नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग कई स्थितियों में किया जा सकता है। जैसा कि हम पहले ही इस निर्णय में देख चुके हैं कि ऋण का संचय विभिन्न कारणों से हो सकता है, जिसमें कर अवधि में बाहरी आपूर्ति की अनुपस्थिति, छूट या लुभावनी मूल्य निर्धारण, निवेश की थोक खरीद, ऋण की बड़ी प्रारंभिक शेष राशि या कर अवधि के दौरान कर की दर में परिवर्तन शामिल हैं। अप्रयुक्त आई. टी. सी. की पहचान करने के लिए एक नियम जो एक उल्टे शुल्क संरचना वाली आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है और इसे अन्य कारणों से जमा हुए ऋण से विभाजित करना अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए आवश्यक नियम होगा। इसी बात को स्पष्ट करने के

लिए एक दूसरा उदाहरण यह है कि एक नियम संबंधित आई. टी. सी. की आनुपातिक राशि निर्धारित करने के लिए एक आनुपातिक सूत्र प्रदान कर सकता है। कुल कारोबार की तुलना में उल्टे शुल्क ढांचे के लिए। इस तरह का एक सूत्र आवश्यक है जहां निर्धारिती एक उल्टे शुल्क संरचना के साथ-साथ एक उल्टे शुल्क संरचना को शामिल नहीं करने वाली बाहरी आपूर्ति में लगा हुआ है। वास्तव में, श्री श्रीधरन अपनी प्रस्तुतियों में यह भी स्वीकार करते हैं कि

ऐसा सूत्र अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए बनाया गया एक नियम होगा। लिंक में तीसरा चित्रण निर्यात के संदर्भ में है। सी. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत, निर्यात से संबंधित आई. टी. सी. (जो शून्य श्रेणी की आपूर्ति है) को वापस करना पड़ता है। निर्धारिती के पास घरेलू बिक्री के साथ-साथ निर्यात दोनों हो सकते हैं जिसमें एक आनुपातिक सूत्र की आवश्यकता होती है। नियम 89 (4) आई. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 16 (3) के अनुसार बांड या वचन पत्र के तहत कर के भुगतान के बिना वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की शून्य दर वाली आपूर्ति की स्थिति को कवर करने के लिए आई. टी. सी. की वापसी के लिए एक सूत्र प्रदान करता है।

89. श्री श्रीधरन ने तर्क देते हुए कहा कि धारा 54 (3) अपने आप में एक पूर्ण संहिता है और इसके प्रावधानों को आगे बढ़ाने के लिए एक नियम की आवश्यकता नहीं है।

अधिनियम, अपने लिखित नोट में निष्पक्ष रूप से स्वीकार करता है कि धनवापसी के उद्देश्य से संचित आईटीसी को विभाजित करने के लिए एक सूत्र की आवश्यकता हो सकती है। श्री श्रीधरन द्वारा अपने लिखित नोट में दिए गए चित्रण के अनुसार, जहां एक निर्धारिती के पास ऐसी आपूर्ति होती है जो एक उल्टे शुल्क संरचना के तहत आती है और ऐसी आपूर्ति जो नहीं होती है, अप्रयुक्त आई. टी. सी. की वापसी का लाभ केवल पहले वाले से संबंधित हो सकता है, लेकिन बाद वाले से नहीं। दोनों श्रेणियों के लिए जिम्मेदार आई. टी. सी. की गणना करने के लिए एक सूत्र की आवश्यकता होगी ताकि

धनवापसी पहले वाले को दी जाती है न कि बाद वाले को। नियम 89 (5) एक नियम को अपनाकर उल्टे शुल्क संरचना के कारण धनवापसी का अनुमान लगाता है

आनुपातिक कारोबार आधार, अर्थात व्युत्क्रम शुल्क संरचना आपूर्ति के कारोबार को समायोजित कुल कारोबार से विभाजित करके और इसे [2021] 15 एस. सी. आर. से गुणा करके।

'नेट आईटीसी' के साथ। प्रस्तुतिकरण यह स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ता है कि नियम 89 (5) में निहित सूत्र की आवश्यकता और तर्क पर विचार करने में

उल्टा शुल्क संरचना बनाम समग्र कारोबार से संबंधित आपूर्ति का कारोबार "समझने योग्य और उचित" है। 90. हालाँकि शिकायत यह है कि नियम 89 (5) "अधिनियम के प्रावधानों" से परे जाता है

जब एक सूत्र तय करने की आड़ में, यह इनपुट सेवाओं के आई. टी. सी. से इनकार करके इनपुट वस्तुओं को आई. टी. सी. के रिफंड को प्रतिबंधित करता है। यह 'शुद्ध आई. टी. सी.' को परिभाषित करके किया जाता है जिसका अर्थ है निवेश से प्राप्त आई. टी. सी.। चुनौती की गंभीरता यह है कि इसके परिणामस्वरूप आईटीसी संबंधित को नजरअंदाज कर दिया जाता है।

इनपुट सेवाओं के लिए। दूसरे शब्दों में, निवेदन यह है कि नियम 89 (5) को "अधिनियम के प्रावधानों" को पूरा करने के लिए एक नियम नहीं माना जा सकता है।

91. श्री वी. श्रीधरन ने यह भी कहा है कि यदि कोई नियम कानून के उद्देश्य को प्रतिबंधित करता है, तो इसे निरस्त किया जा सकता है यदि यह अधिकार से बाहर है। प्रमुख कानून। ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद के एक सदन के समक्ष नियम बनाने के प्रावधान के बावजूद, उन्हें संशोधन और रद्द करने की प्रक्रिया के अधीन करने के बावजूद, एक नियम को कभी भी प्रक्रिया के बराबर नहीं माना जा सकता है।

विशेष रूप से नियम में राष्ट्रपति या राज्यपाल की सहमति का अभाव है, जैसा भी मामला हो। अपने निवेदन के समर्थन में, उन्होंने केरल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम में एक संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा किया है। भारतीय जलोढ़ कंपनी Ltd.49 और भारत हरि सिंघानिया बनाम में निर्णय। धन कर आयुक्त (केंद्रीय) 5 0 तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा प्रस्तुत किया गया।

92. चुनौती की रेखा का दूसरा अंग यह है कि भले ही

49 (1976) 1 एस. सी. सी. 466 50 (1994) उदाहरण के लिए 3 एस. सी. सी. 46 भारत संघ v.

वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

धारा 54 (3) के परंतुक (ii) में निहित है। प्रत्यायोजित विधान के एक भाग के रूप में नियम 89 (5) को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह खंड से परे है।

(इसलिए धारा 54 (3) के पहले परंतुक में सार की कमी है। जैसा कि इस निर्णय के पहले भाग में तर्क दिया गया है, पहले परंतुक का खंड (ii) केवल धनवापसी का लाभ उठाने के लिए पात्रता की शर्त नहीं है, बल्कि एक ठोस प्रतिबंध है जिसके तहत अप्रयुक्त आई. टी. सी. का धनवापसी का लाभ केवल तभी लिया जा सकता है जब संचय एक उल्टे शुल्क संरचना से संबंधित हो, अर्थात् इनपुट वस्तुओं पर कर उत्पादन आपूर्ति पर कर की दर से अधिक हो। इसलिए एक ओर नियम 89 (5) और दूसरी ओर धारा 54 (3) विशेष रूप से इसके पहले परंतुक के खंड (ii) के बीच कोई वैमनस्य नहीं है।

93. स्पष्टता के लिए, श्री वी. श्रीधरन की लिखित प्रस्तुतियों के पैरा 24.6 और पैरा 24.7 को पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक है:

" 24.5 इसी तरह, इस. अदालत ने कई मामलों में छूट/कम दर का लाभ बढ़ाया है, जहां किसी विशेष मामले में इस तरह का इनकार अधिकार से बाहर या असंवैधानिक था, जिससे लाभकारी प्रावधान का दायरा बढ़ गया है।

24.6 वर्तमान मामले में, नियम 89 (5) के अधिकारों को चुनौती केवल उक्त को स्पष्टीकरण में शुद्ध आई. टी. सी. की परिभाषा के कारण है।

नियम जो "शुद्ध आई. टी. सी". को निम्नानुसार परिभाषित करता है: " शुद्ध आई. टी. सी. का अर्थ होगा "इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा प्रासंगिक अवधि के दौरान इनपुट पर लिया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसके लिए उप-नियम (4 ए) या (4 बी) या दोनों के तहत रिफंड का दावा किया जाता है।"

94. श्री श्रीधरन आग्रह करते हैं कि नियम 89 (5) के स्पष्टीकरण (ए) में 'इनपुट' शब्दों को पूरी तरह से अलग करने के लिए अलग किया जा सकता है।

मुख्य प्रावधान के साथ लाइन "। हम इस निवेदन को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। 'शुद्ध आई. टी. सी.' को परिभाषित करने में नियम 89 (5) का स्पष्टीकरण (ए) का अर्थ है निवेश (वस्तुओं) पर प्राप्त आई. टी. सी., वास्तव में, पूरी तरह से मुख्य के अनुरूप है।

प्रावधान, धारा 54 (3)। इसके विपरीत, श्री श्रीधरन के निवेदन को स्वीकार करने से नियम 89 (5) का दायरा धारा 54 (3) के तहत धनवापसी की स्वीकार्यता को नियंत्रित करने वाली शर्तों से आगे बढ़ेगा और इसलिए यह अनुज्ञेय नहीं होगा।

जी3 नियम 89 (5) में निर्धारित सूत्र की वैधता

95. श्री जी नटराजन, श्री सुजीत घोष, विद्वान वकील, और श्री वी श्रीधरन, विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी नियम 89 (5) को चुनौती देने के लिए एक वैकल्पिक प्रस्तुति का आग्रह किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि [2021] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नियम 89 (5) में निर्धारित सूत्र जो इनपुट वस्तुओं के कारण संचित आई. टी. सी. का धनवापसी प्रदान करने का प्रयास करता है, स्वाभाविक रूप से त्रुटिपूर्ण है और

इससे विसंगत परिणाम मिलेंगे। वैकल्पिक प्रस्तुति इस धारणा पर की जाती है कि नियम 89 (5) के साथ पठित धारा 54 (3) (ii) केवल इनपुट वस्तुओं के कारण संचित आई. टी. सी. की वापसी तक सीमित है, न कि इनपुट सेवाओं के लिए। 96. हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री जी नटराजन ने प्रस्तुत किया है कि जैसा कि इसे मूल रूप से तैयार किया गया था, नियम 89 (5) में

'नेट आईटीसी' ने इनपुट वस्तुओं और इनपुट सेवाओं दोनों के लिए एक उल्टे शुल्क संरचना के कारण धनवापसी की अनुमति दी है। स्थिति को शुरू में 18 अप्रैल 2018 को संभावित प्रभाव के साथ और उसके बाद 13 जून 2018 को 1 जुलाई 2017 को पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ संशोधित किया गया था। नियम 89 (5) में निर्धारित सूत्र एक उल्टे दर संरचना वाले बाहरी आपूर्ति के कारण इनपुट वस्तुओं पर प्राप्त आई. टी. सी. की मात्रा की पहचान करना चाहता है। इनपुट वस्तुओं पर आई. टी. सी. की ऐसी मात्रा से, वस्तुओं और सेवाओं की ऐसी उल्टे रेटेड आपूर्ति पर आपूर्तिकर्ता द्वारा देय कर को कम कर दिया जाता है ताकि उल्टे दर के कारण जमा होने वाले ऋण की मात्रा पर पहुंचा जा सके।

संरचना, जो धनवापसी के लिए पात्र है। श्री नटराजन का निवेदन है कि नियम 89 (5) के तहत निर्धारित फार्मूले में, "वस्तुओं या सेवाओं की ऐसी उल्टे रेटेड आपूर्ति पर देय कर" को कम करते हुए, करदाता को पहले इनपुट सेवाओं पर प्राप्त आईटीसी का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए जो अन्यथा धनवापसी के लिए पात्र नहीं है। यदि नियम 89 (5) के तहत निर्धारित सूत्र का उपरोक्त तरीके से अर्थ नहीं लगाया जाता है, तो यह आरोप लगाया जाता है कि इससे बाहरी आपूर्ति से निपटने वाले करदाताओं के बीच असमानता पैदा होगी।

इसमें केवल एक उल्टे दर की संरचना (वस्तुओं की एकल पंक्ति) और दोनों उल्टे दर वाली बाहरी आपूर्ति से निपटने वाले करदाता शामिल हैं।

संरचना और जिनके पास उल्टा दर संरचना नहीं है। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय को नियम 89 (5) में निर्धारित सूत्र को इस प्रभाव से पढ़ना चाहिए कि धनवापसी की पात्रता की गणना करते समय ऐसी आपूर्ति पर शुद्ध आई. टी. सी. और देय कर के बीच के अंतर के रूप में

उल्टा दर संरचना, यह माना जाता है कि इनपुट सेवाओं के कारण संचित आई. टी. सी. का उपयोग उल्टे माल और सेवाओं पर देय कर के भुगतान के लिए किया जा सकता है, और कर की शेष राशि, जो इनपुट वस्तुओं के कारण संचित आई. टी. सी. से भुगतान की जाती है, सूत्र में शुद्ध आई. टी. सी. से काट ली जाती है। 97. श्री जी नटराजन का प्रस्तुतिकरण एक विचलन का संकेत देता है जहां एक पंजीकृत व्यक्ति एक उल्टे शुल्क संरचना के साथ एक ही उत्पाद के साथ न तो उत्पादन पर कर के भुगतान के लिए अप्रयुक्त आई. टी. सी. का उपयोग करने में सक्षम है।

वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

आपूर्ति की जाती है और न ही धनवापसी की अनुमति दी जाती है। दूसरी ओर, एक पंजीकृत व्यक्ति

एक उल्टे शुल्क संरचना से जुड़े उत्पादों के साथ और अन्यथा, एक उल्टे दर संरचना के बिना कारोबार पर कर के भुगतान के लिए इनपुट सेवाओं पर प्राप्त आईटीसी का उपयोग करने की स्थिति में है। श्री जी नटराजन ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है:

एस. नहीं। वर्णन

केवल कर दाता

दोनों के साथ

कर दाता

उल्टा हुआ

कारोबार

उल्टा हुआ कारोबार

दर संरचना और

अन्य

दर संरचना

कारोबार

((ख)

((i)

(iii)

((iv)

रु. 50,00,000

रु.

50,00,000

5 प्रतिशत आकर्षित करने वाली वस्तुओं की आपूर्ति का मूल्य

1

जी. एस. टी. (उल्टा दर वाला कारोबार)

संरचना)

माल की आपूर्ति का मूल्य, जिसमें। शून्य नहीं है।

रु.

50,00,000

2

उल्टा दर संरचना

रु.

1,00,00,000

समायोजित कुल कारोबार (1 + 2)

रु. 50,00,000

3

रु. 2,50,000

4

कारोबार पर 5 प्रतिशत की दर से देय जीएसटी

रु. 2,50,000

उल्टा दर संरचना (1) पर 5 प्रतिशत

रु. 9,00,000

कारोबार नहीं होने पर 18 प्रतिशत की दर से देय जीएसटी

एनए

5

उल्टा दर संरचना होना

रु. 3,00,000

कर के दौरान प्राप्त निवेश पर आईटीसी

5

रु. 6,00,000

अवधि

इस दौरान प्राप्त इनपुट सेवाओं पर आई. टी. सी.

रु. 50,000

6

रु. 1,00,000

कर अवधि के अनुसार धनवापसी की पात्रता	सूत्र	
7	[रु. 3,00,000 x रु. 6,00,000 x रु. 50,00,000 / रु. 50,00,000 / रु. 50,00,000]	[रु. 50,00,000 / रु. 50,00,000] रु. 1,00,00,000]
रु. 2,50,000 = रु. 50,000	2,50,000 = रु. 50,000	रु. 50,000 आई. टी. सी. रु. 50,000
शेष राशि का निवेश		
8		
टिप्पणियां	लाभ उठाया इनपुट पर 3,00,000	रु. का ऋण।

सेवाएं भी नहीं हैं।

और धनवापसी के रूप में अनुमति का पूरा क्रेडिट, न ही रु। 1,00,000 कर निवेश सेवाओं के भुगतान के लिए उपयोग किए जाने पर लाभ उठाया जा सकता है

उत्पादन आपूर्ति पर, लेकिन कर के भुगतान के लिए उपयोग किया जाता है जिसे जमा करने की अनुमति है। उल्टा दर संरचना वाले कारोबार पर नहीं।

98. श्री नटराजन के निवेदन का भी समर्थन किया गया है

श्री वी. श्रीधरन ने खंडन किया। नियम 89 (5) में सूत्र को पुनः प्रस्तुत किया गया है।

नीचे:

" अधिकतम वापसी राशि =

{ (वस्तुओं और सेवाओं की उल्टे मूल्यांकन वाली आपूर्ति का कारोबार) x शुद्ध

आई. टी. सी. ± समायोजित कुल कारोबार}? इस तरह के उल्टे पर देय कर

वस्तुओं और सेवाओं की मूल्यांकित आपूर्ति " (जोर दिया गया)

99. श्री वी. श्रीधरन ने आग्रह किया है कि सूत्र का दूसरा चरण,

अर्थात्, "वस्तुओं और सेवाओं की इस तरह की उल्टे रेटेड आपूर्ति पर देय कर" [2021] 15 एस. सी. आर.

उत्पादन आपूर्ति पर देय संपूर्ण कर को ध्यान में रखा जाता है। वास्तव में,

उत्पादन आपूर्ति पर देय कर का भुगतान इनपुट वस्तुओं और इनपुट सेवाओं पर आई. टी. सी. का उपयोग करके किया जाता। हालांकि, नियम 89 (5) के तहत सूत्र यह मानता है कि इनपुट सेवाओं पर आई. टी. सी. से कुछ भी उपयोग नहीं किया गया है और उत्पादन आपूर्ति पर पूरे कर का भुगतान इसके द्वारा किया जाता है।

इस सूत्र का उद्देश्य इनपुट वस्तुओं के कारण संचित अप्रयुक्त आई. टी. सी. की वापसी प्रदान करना है, उत्पादन आपूर्ति पर देय कर की पूरी राशि को काटकर, इस तरह के रिफंड की मात्रा को कम किया जाता है और करों के व्यापक प्रभाव को अधिकतम किया जाता है। उक्त विसंगति के समाधान के रूप में, श्री श्रीधरन ने प्रस्ताव दिया है कि नियम 89 (5) के प्रयोजनों के लिए, एक धारणा बनाई जानी चाहिए कि इनपुट सेवाओं के कारण संचित आईटीसी, जो धारा 54 (3) के तहत वापसी योग्य नहीं है, का उपयोग उत्पादन के निर्वहन के लिए किया जाता है।

वस्तुओं और सेवाओं की उल्टे दर की आपूर्ति पर देय कर। उत्पादन कर की शेष शेष राशि को तब यह माना जाना चाहिए कि इनपुट वस्तुओं के कारण संचित आई. टी. सी. से मुक्त कर दिया गया है और यह केवल शेष शेष राशि है जिसे धनवापसी की गणना करने के लिए सूत्र से काटा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, श्री नटराजन और श्री श्रीधरन उस सूत्र में उपयोग के आदेश का प्रस्ताव करते हैं जिसके द्वारा इनपुट सेवाओं के कारण संचित आईटीसी का उपयोग पहले कर देयता के निर्वहन के लिए किया जाता है और उसके बाद ही उपयोग किए गए इनपुट वस्तुओं के कारण संचित आईटीसी का उपयोग किया जाता है। अपनी दलीलों के दौरान, श्री श्रीधरन ने आयकर आयुक्त, कोयंबटूर बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। लक्ष्मी मशीन वर्क्स 5 1 और हमारे सामने एक उद्देश्यपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण अपनाने का आग्रह किया है

सूत्र की योजनाबद्ध व्याख्या जो इसे तुलनीय और व्यवहार्य बनाएगी। 100. श्री सुजीत घोष ने हमारे समक्ष आग्रह किया है कि नियम 89 (5) का सूत्र इनपुट सेवाओं की तुलना में इनपुट वस्तुओं के उच्च घटक वाले सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के बीच अंतर पैदा करता है।

इनपुट वस्तुओं की तुलना में इनपुट सेवाओं का एक उच्च घटक वाली सेवाएं। उनकी प्रस्तुतियों में, नियम 89 (5) पहले वाले का पक्ष लेगा क्योंकि वे इनपुट वस्तुओं के अधिक उपयोग के कारण बड़ी मात्रा में धनवापसी के हकदार होंगे।

101. इन प्रस्तुतियों के जवाब में, श्री एन वेंकटरमन, विद्वान ए. एस. जी. ने स्वीकार किया है कि सूत्र में कुछ अपर्याप्तताएं मौजूद हो सकती हैं। हालाँकि, उन्होंने एक सूत्र की आवश्यकता को सही ठहराने की कोशिश की है नियम 89 (5)। ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया है कि सी. जी. एस. टी. योजना के तहत

51 (2007) 11 एस. सी. सी. 126 भारत संघ बनाम

वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 49 के अनुसार। एक बार इलेक्ट्रॉनिक खाते से भुगतान किए जाने के बाद, अप्रयुक्त आई. टी. सी. की शेष मात्रा एक समरूप केंद्र बन जाती है और अप्रयुक्त आई. टी. सी. को इसके स्रोत से जोड़ना असंभव है, यानी यह पहचान नहीं की जा सकती है कि शेष अप्रयुक्त आई. टी. सी. इनपुट वस्तुओं या इनपुट सेवाओं से उत्पन्न हो रहा है या नहीं। अप्रयुक्त आई. टी. सी.

को इनपुट वस्तुओं और इनपुट सेवाओं में विभाजित करने के लिए इनपुट पर आईटीसी पर धारा 54 (3) (ii) के अनुसार धनवापसी देने के उद्देश्य से, नियम 89 (5) 3 ने अप्रयुक्त आईटीसी को कानूनी रूप से विच्छेदित करने के लिए एक सूत्र निर्धारित करने का सहारा लिया है। विद्वान ए. एस. जी. ने आग्रह किया है कि रिफंड या उपयोग को कृत्रिम रूप से निर्धारित करने के लिए सूत्रों का प्रिस्क्रिप्शन कराधान के क्षेत्र में एक सामान्य प्रथा है और इसका उपयोग एमओडीवीएटी/सेनवेट नियमों में सी. जी. एस. टी. अधिनियम के अधिनियमन से पहले किया गया था।

ऋण की पात्रता की मात्रा का निर्धारण करना। एक अन्य उदाहरण नियम 42 है। और सी. जी. एस. टी. नियम 2017 के 43 नियम जो आई. टी. सी. को प्रतिबंधित करने में विशिष्ट सूत्र प्रदान करते हैं जब एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता व्यापार के उद्देश्य से और व्यवसाय के अलावा अन्य इनपुट वस्तुओं, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं का उपयोग करता है।

उद्देश्य।

102. ए. एस. जी. ने एक सूत्र की आवश्यकता को उचित ठहराते हुए तर्क दिया है कि प्रत्यायोजित विधान द्वारा निर्धारित सूत्र नहीं हो सकता है

पूर्ण और कुछ विचलन हो सकते हैं। हालाँकि, इस संबंध में नीति निर्माताओं को एक व्यापक विवेकाधिकार दिया गया है और केवल तभी जब सूत्र मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, तो इसे रद्द किया जा सकता है। इसके लिए ए. एस. जी. ने आर. के. गर्ग बनाम मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा किया है। भारत संघ 3 2, जहाँ यह देखा गया था कि आर्थिक विधान को अमूर्त समरूपता द्वारा नहीं मापा जाना चाहिए, क्योंकि यह अनिवार्य रूप से अनुभवजन्य प्रकृति का है और प्रयोग पर आधारित है। हालाँकि, हम ध्यान देते हैं कि ए. एस. जी. ने निर्धारिती के वकील द्वारा बताई गई विसंगतियों का खंडन नहीं किया है।

103. हमारे विचार में, ए. एस. जी. द्वारा कानूनी विभाजन बनाने के लिए दिए गए नियम 89 (5) के तहत सूत्र का औचित्य मान्य है। इस संदर्भ में, यह

नियम 42 के प्रावधानों का विज्ञापन करने के लिए सामग्री होगी। नियम 42 (1) में प्रावधान है कि इनपुट वस्तुओं या इनपुट सेवाओं के संबंध में आई. टी. सी. जो धारा 17 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के प्रावधानों को आकर्षित करता है, का आंशिक रूप से व्यवसाय के उद्देश्य से और आंशिक रूप से अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है।

52 (1981) 4 एससीसी 675 [2021] 15 एस. सी. आर.

या आंशिक रूप से शून्य दर वाली आपूर्ति सहित कर योग्य आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए उपयोग किया जाता है और आंशिक रूप से छूट वाली आपूर्ति को प्रभावी बनाने के लिए व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए या नियम में बताए गए तरीके से कर योग्य आपूर्ति को प्रभावी बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। धारा 17 की उप-धारा (1) में यह प्रावधान है कि जहां किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा माल और सेवाओं या दोनों का उपयोग आंशिक रूप से किसी व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए और आंशिक रूप से किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो ऋण की राशि निवेश कर के इतने हिस्से तक सीमित होगी जो उसके व्यवसाय के उद्देश्य के लिए जिम्मेदार है। धारा 17 की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि जहां माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा आंशिक रूप से कर योग्य आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए किया जाता है, जिसमें शामिल हैं - सी. जी. एस. टी. अधिनियम या आई. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत शून्य दर वाली आपूर्ति और आंशिक रूप से छूट वाली आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए ऋण की राशि को प्रतिबंधित किया जाएगा।

इनपुट कर का इतना हिस्सा जो शून्य दर वाली आपूर्ति सहित कर योग्य आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। नियम 42, दूसरे शब्दों में, उस तरीके का प्रावधान करता है जिसमें इनपुट या इनपुट के संबंध में आई. टी. सी. का श्रेय दिया जाता है। धारा 17 की उप-धारा (1) या (2) के तहत सेवाएं दी जाएंगी। नियम 43 इसी तरह पूंजी के संबंध में आई. टी. सी. का तरीका प्रदान करता है।

धारा 17 की उप-धारा (1) के प्रावधानों को आकर्षित करने वाले सामान, जिनका आंशिक रूप से व्यवसाय के लिए और आंशिक रूप से अन्य उद्देश्यों के लिए या आंशिक रूप से प्रभावी होने के लिए उपयोग किया जाता है

शून्य दर वाली आपूर्ति और आंशिक रूप से छूट वाली आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए कर योग्य आपूर्ति व्यवसाय के उद्देश्य या कर योग्य आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए आकर्षित होगी। दोनों नियम 42 और 43 एट्रिब्यूशन के लिए एक सूत्र प्रदान करते हैं। नियम 86 में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही के रखरखाव का प्रावधान है। नियम 89 (5) धनवापसी का प्रावधान करता है। नियम समूहों के दोनों समूहों में, एक ओर नियम 42 और 43 और दूसरी ओर नियम 89 (5), आत्मसात होने के बाद के परिदृश्य में एट्रिब्यूशन के उद्देश्य से एक सूत्र का उपयोग किया जाता है। इस तरह के सूत्रों का उपयोग मूल मानदंडों के तहत प्रत्यायोजित कानून सहित राजकोषीय कानून में एक परिचित क्षेत्र है और यह न तो अप्रिय है और न ही अधिकार से परे है।

104. अब हम सूत्र में विसंगतियों के संबंध में निर्धारिती के वकील की प्रस्तुतियों की ओर रुख करते हैं। हमारी राय में,

श्री सुजीत घोष ने कहा कि यह सूत्र इनपुट सेवाओं के उच्च घटक वाले आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में इनपुट वस्तुओं के उच्च घटक वाले आपूर्तिकर्ताओं के बीच अंतर पैदा करता है और इसे पढ़ा जाना चाहिए।

तदनुसार, अस्वीकार किया जाना चाहिए। नियम 89 (5) में सूत्र का उद्देश्य धारा 54 (3) (ii) को प्रभावी बनाना है जो धनवापसी के अनुदान के लिए इनपुट वस्तुओं और इनपुट सेवाओं के बीच अंतर करता है। एक बार सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 54 (3) (ii) के पीछे के सिद्धांत को बरकरार रखने के बाद, सूत्र को केवल उसी को प्रभावी बनाने के लिए रद्द नहीं किया जा सकता है।

भारत संघ v. वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

105. श्री श्रीधरन और श्री जी नटराजन द्वारा बताए गए विचलन निश्चित रूप से इंगित करते हैं कि सूत्र सही नहीं है। इस सूत्र से यह अनुमान लगाया जाता है कि आपूर्ति पर देय उत्पादन कर पूरी तरह से आई. टी. सी. से हटा दिया गया है। इनपुट वस्तुओं के खाते में और इनपुट सेवाओं पर आईटीसी का कोई उपयोग नहीं किया गया है। जबकि शून्य मूल्यांकन आपूर्ति के संबंध में नियम 89 (4) में एक समान सूत्र प्रदान किया गया है, उस मामले में, 'शुद्ध आईटीसी' में इनपुट माल और इनपुट सेवाएं शामिल हैं और इस प्रकार, सूत्र के विभिन्न घटकों के बीच कोई असंतुलन नहीं है। हालांकि, नियम 89 (5) में निर्धारित सूत्र आई. टी. सी. के केवल एक घटक, अर्थात् इनपुट वस्तुओं पर आई. टी. सी. से कुल उत्पादन कर की कटौती करने का प्रयास करता है। यह हमारी दृष्टि में है

वास्तविकता के विपरीत, जहां इनपुट वस्तुओं और इनपुट सेवाओं दोनों पर आईटीसी इलेक्ट्रॉनिक खाते में जमा किया जाता है और फिर इसका उपयोग उत्पादन कर के भुगतान के लिए किया जाता है। इस तरह की धारणा बनाने में, सूत्र संतुलन को झुका देता है।

106. जबकि हम सूत्र की विसंगतियों के प्रति जीवित हैं, एक विसंगति के परिणामस्वरूप एक राजकोषीय नियम अमान्य नहीं हो सकता है जो किया गया है प्रत्यायोजित विधान की शक्ति के प्रयोग में तैयार किया गया। आर. के. गर्ग (उपरोक्त) मामले में, न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए नागरिक अधिकारों को छूने वाले कानूनों की तुलना में आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कानूनों को अधिक अक्षांश के साथ देखने के लिए तर्क के महत्व को रेखांकित किया। न्यायालय ने कहा:

" 8. समान महत्व का एक अन्य नियम यह है कि आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कानूनों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म आदि जैसे नागरिक अधिकारों को छूने वाले कानूनों की तुलना में अधिक अक्षांश के साथ देखा जाना चाहिए। यह होम्स, जे. से कम किसी व्यक्ति द्वारा नहीं कहा गया है कि विधायिका को जोड़ों में कुछ खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि इसे उन जटिल समस्याओं से निपटना पड़ता है जो किसी भी सिद्धांत या स्ट्रेट-जैकेट सूत्र के माध्यम से समाधान को स्वीकार नहीं करते हैं और यह [2021] 15 एस. सी. आर. है।

विशेष रूप से आर्थिक मामलों से निपटने वाले कानून के मामले में सच है, जहां, आवश्यक समस्याओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जोड़ों में अधिक खेल की अनुमति दी जानी चाहिए विधायिका।

अदालत को अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक विनियमन के क्षेत्र में विधायी निर्णय को न्यायिक सम्मान देने के लिए अधिक झुकाव महसूस करना चाहिए जहां मौलिक मानवाधिकार शामिल हैं। यह चेतावनी इससे अधिक सम्मानपूर्वक कहीं भी व्यक्त नहीं की गई है।

मोरे वी की तुलना में डाउड [351 यू. एस. 457: 1 एल एड 2 डी 1485 (1957)] जहाँ फ्रैंकफर्टर, जे. ने अपनी अद्वितीय शैली में कहा:

" उपयोगिताओं, कर और आर्थिक विनियमन मामलों में, हैं

विधायी निर्णय के प्रति न्यायिक सम्मान नहीं तो न्यायिक आत्म-संयम के लिए अच्छे कारण। आखिरकार विधायिका के पास है

सकारात्मक जिम्मेदारी। अदालतों के पास केवल नष्ट करने की शक्ति है, पुनर्निर्माण की नहीं। जब इन्हें आर्थिक विनियमन की जटिलता में जोड़ा जाता है, तो अनिश्चितता, त्रुटि के लिए दायित्व, विशेषज्ञों का विस्मयकारी संघर्ष, और घटनाओं द्वारा न्यायाधीशों को कितनी बार खारिज किया गया है- स्वयं

सीमा को न्यायिक ज्ञान का मार्ग माना जा सकता है और

संस्थागत प्रतिष्ठा और स्थिरता "।

न्यायालय को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि "कानून व्यावहारिक समस्याओं के लिए निर्देशित है, कि आर्थिक तंत्र अत्यधिक संवेदनशील और जटिल है, कि कई समस्याएं एकवचन और आकस्मिक हैं, कि कानून अमूर्त प्रस्ताव नहीं हैं और अमूर्त इकाइयों से संबंधित नहीं हैं और अमूर्त समरूपता द्वारा मापा नहीं जाना है"; "कि सटीक ज्ञान और उपचार का अच्छा अनुकूलन हमेशा संभव नहीं होता है" और यह कि "निर्णय काफी हद तक एक भविष्यवाणी है जो अल्प और आकस्मिक पर आधारित है। अव्याख्यायित अनुभव "। विशेष रूप से आर्थिक मामलों में प्रत्येक कानून अनिवार्य रूप से अनुभवजन्य है और यह प्रयोग पर आधारित है या जिसे कोई परीक्षण और त्रुटि विधि कह सकता है और इसलिए यह सभी संभावित स्थितियों के लिए प्रदान नहीं कर सकता है या सभी संभावित दुरुपयोगों का अनुमान नहीं लगा सकता है। जटिल प्रयोगात्मक आर्थिक कानूनों में खामियां और असमानताएं हो सकती हैं।

कृषि सचिव बनाम में उच्चतम न्यायालय। सेंट्रल रॉयग रिफाइनिंग कंपनी [94 एल एड 381: 338 यू. एस. 604 (1950)] को ऐसी क्रूरताओं और असमानताओं से राहत के लिए न्यायाधिकरणों में परिवर्तित किया जाए। दुरुपयोग की संभावनाएं भी हो सकती हैं, लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया v.

वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

वह भी अपने आप में अमान्य करने का आधार नहीं हो सकता है

विधान, क्योंकि किसी भी विधानमंडल के लिए यह संभव नहीं है

मानो किसी दिव्य विवेक, विकृतियों और इसके विधान का दुरुपयोग जो उन विषयों द्वारा किया जा सकता है

इसके प्रावधानों के लिए और ऐसी विकृतियों के खिलाफ प्रावधान करना और

दुर्व्यवहार करते हैं। वास्तव में, देखभाल कितनी भी बड़ी क्यों न हो इसके निर्माण पर, एक ऐसे कानून की कल्पना करना मुश्किल है जो

विकृत मानव सरलता द्वारा दुरुपयोग किए जाने में सक्षम नहीं है।

इसलिए न्यायालय को इस तरह की संवैधानिकता पर निर्णय लेना चाहिए।

या असमानताएँ या इसके किसी भी प्रावधान के दुरुपयोग की संभावनाएँ। यदि कोई अभद्रता, असमानता या दुरुपयोग की संभावनाएं सामने आती हैं,

विधायिका हमेशा कदम उठा सकती है और उपयुक्त संशोधनकारी अधिनियम बना सकती है।

कानून। यही व्यावहारिक दृष्टिकोण का सार है जो आवश्यक है।

जटिल आर्थिक स्थितियों से निपटने में विधायिका का मार्गदर्शन करें और उन्हें प्रेरित करें।

मुद्दे "।

(जोर दिया गया)

107. आर. के. गर्ग (ऊपर) का उक्ति पूरी तरह से वर्तमान पर लागू होता है।

जिस मामले में सरकार ने प्रत्यायोजित की गई अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है

एक सूत्र तैयार करने के लिए कानून, जिसमें कुछ असमानताएँ हैं। हालाँकि, इन असमानताओं को सरकार द्वारा सूत्र के अनुप्रयोग के दौरान दूर किया जाना है। हमारा सकारात्मक विचार है कि इस न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी राजकोषीय व्यवस्था की किसी भी और हर विसंगति का एक बार का मध्यस्थ बनने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, इसके बावजूद कि यह प्रत्यायोजित विधान सहित कानून की वैधता के लिए अधिकार क्षेत्र के ढांचे को पूरा करता है।

108. श्री श्रीधरन ने इस सूत्र को पढ़ने का भी आग्रह किया था

जैसा कि इस न्यायालय द्वारा लक्ष्मी मशीन वर्क्स (ऊपर) में किया गया था। इस मामले में, अदालत को इस सवाल का सामना करना पड़ा कि क्या उत्पाद शुल्क और बिक्री कर को 'कुल कारोबार' में शामिल किया जाना था, जो निर्यात व्यवसाय के लिए रखे गए लाभ से कटौती तक पहुंचने के उद्देश्य से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80-एच. एच. सी. (3) के तहत निर्धारित सूत्र में एक भाजक था। कटौती पर पहुंचने के लिए, सूत्र ने कुल कारोबार के लिए निर्यात कारोबार के अनुपात से व्यावसायिक लाभ को विभाजित किया। विधानमंडल द्वारा सूत्र को व्यवहार्य बनाने के लिए धारा 80-एच. एच. सी. (3) में

विभिन्न संशोधन किए गए थे। न्यायालय ने न्यायमूर्ति एस. एच. कपाडिया (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) के माध्यम से बोलते हुए कहा कि [2021] 15 एस. सी. आर.

अनुपालन किया। जहाँ लाभ और लाभ का पता लगाने के लिए कटौती आवश्यक है, वहाँ ऐसी कटौती की अनुमति दी जानी चाहिए। लाभ खर्चों को घटाने के बाद गणना की जानी चाहिए

व्यवसाय यद्यपि ऐसे व्यय अधिनियम के तहत स्पष्ट रूप से स्वीकार्य नहीं हो सकते हैं, जब तक कि ऐसे व्यय अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से अस्वीकार नहीं किए जाते हैं (पी देखें। 455 द्वारा आयकर का कानून और व्यवहार

कंगा और पालखीवाला)। इसलिए, के लिए योजनाबद्ध व्याख्या धारा 80-एचएचसी में सूत्र को व्यवहार्य बनाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसी तरह, धारा 80-एच. एच. सी. की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या

इस आधार पर कि उनके पास "कारोबार" का कोई तत्व नहीं था, भले ही निर्यात से कमीशन और ब्याज निकलता हो। हमें धारा 80-एच. एच. सी. में "कुल कारोबार" शब्दों को इस प्रकार पढ़ना होगा उस सूत्र का हिस्सा जिसमें "निर्यात लाभ" को "व्यावसायिक लाभ" से अलग करने की मांग की गई थी। इसलिए, हमें सूत्र को पढ़ना होगा

पूरी तरह से। उस सूत्र में पूरे व्यावसायिक लाभ में कटौती नहीं की जाती है। यह व्यावसायिक लाभ है जो आनुपातिक रूप से कम हो जाता है।

उपरोक्त अंश/निर्यात कारोबार के अनुपात से कुल कारोबार जो धारा 80-एच. एच. सी. रियायत (कटौती) का गठन करता है। आय में

इसलिए, "व्यावसायिक लाभ" की प्रकृति को विभाजित किया गया था। उपरोक्त सूत्र ने एक अनुपात तय किया जिसमें "व्यावसायिक लाभ"

अधिनियम की धारा 28 को विभाजित किया जाना था। इसलिए, किसी को न केवल "कुल कारोबार" शब्दों को महत्व देना होगा, बल्कि

"निर्यात कारोबार", "कुल निर्यात कारोबार" और "व्यावसायिक लाभ" शब्द। यही कारण है कि हमने यहाँ ऊपर यूनियन ऑफ इंडिया v का हवाला दिया है।

वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

व्यापक रूप से प्रत्यक्ष करों (आयकर) से चित्रण

प्रासंगिक शब्द का तैयार गणक "।

109. लक्ष्मी मशीन वर्क्स (उपरोक्त) मामले में न्यायालय सुनवाई कर रहा था।

व्याख्या के सवाल के साथ, जहां सूत्र समावेश पर चुप था

कुल कारोबार की परिभाषा में बिक्री कर या उत्पाद शुल्क। इस प्रकार, के इरादे को प्रभावी बनाने के लिए एक योजनाबद्ध व्याख्या को अपनाया गया था विधायिका।

110. आय कर आयुक्त बनाम। एच. सी. एल. टेक्नोलॉजीज

लिमिटेड 53, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने विचार किया कि क्या, धारा 10-ए के तहत कटौती के लिए 'निर्यात लाभ' की गणना करते समय

आयकर अधिनियम 1961, सॉफ्टवेयर विकास शुल्क को 'कुल कारोबार' की परिभाषा से बाहर रखा जाना है। निर्यात लाभ की गणना के लिए,

व्यवसाय के कुल लाभ को कुल कारोबार के निर्यात कारोबार के अनुपात से विभाजित किया गया था। यह मुद्दा जटिल था क्योंकि इन शुल्कों को निर्यात कारोबार से काटने की अनुमति दी गई थी, जो कुल कारोबार का एक घटक था और सूत्र में अंश था।

हालांकि, राजस्व ने कुल कारोबार, भाजक से कटौती से इनकार कर दिया था। न्यायालय ने सूत्र की व्याख्या और संशोधन इस प्रकार किया

अन्यथा यह अवांछनीय परिणामों की ओर ले जाएगा। ऐसा करते हुए न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल ने कहा कि

" 16. प्रत्यर्थी कंपनी ने फॉर्म 56-एफ पर दाखिल किए गए प्रमाणपत्रों के अनुसार धारा 10-ए के तहत कटौती का दावा किया है। उत्तरदाता, जबकि

कटौती की गणना करते हुए, निर्यात का समान आंकड़ा लिया है

कुल कारोबार के रूप में कारोबार। [.....]
17. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, हमारी राय है कि धारा 80-एच. एच. सी. और 80-एच. एच. ई. के तहत दी गई कुल कारोबार की परिभाषा को धारा 10-ए के उद्देश्य के लिए तकनीकी रूप से नहीं अपनाया जा सकता है।

कुल कारोबार का अर्थ, जिसमें कुल राशि से किसी भी खर्च में कमी की परिकल्पना नहीं की गई है, में लिया जाना है

धारा 10-ए के तहत कटौती की गणना के लिए विचार। जब अर्थ स्पष्ट हो, तो आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं है

अन्य प्रावधानों से कुल कारोबार का अर्थ। यदि एक शब्द को आई. टी. अधिनियम की धारा 2 के तहत परिभाषित किया गया है, तो परिभाषा होगी

उन सभी प्रावधानों पर लागू होता है जिनमें एक ही शब्द दिखाई देता है। के रूप में

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"कुल कारोबार" शब्द को स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है

धारा 80-एच. एच. सी. और 80-एच. एच. ई., जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है।

कि "केवल इस धारा के प्रयोजनों के लिए", यह लागू होगा

केवल उन धाराओं के प्रयोजनों के लिए और के उद्देश्य के लिए नहीं

धारा 10-ए। यदि भाजक में एक निश्चित राशि शामिल है

यह अवांछनीय परिणाम देगा। [.....]

22. तत्काल मामले में, यदि माल ढुलाई पर कटौती,

दूरसंचार और बीमा के लिए जिम्मेदार

आई. टी. की धारा 10-ए के तहत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का वितरण

अधिनियम की अनुमति केवल निर्यात कारोबार में है, लेकिन निर्यात से नहीं।

गैरकानूनी, अर्थहीन और अतार्किक परिणाम जो उत्पन्न करेगा प्रत्यर्थी के साथ गंभीर अन्याय जो कभी नहीं हो सकता था

23. यहाँ तक कि आम बोलचाल में, जब सूत्र का उद्देश्य है निर्यात व्यवसाय से लाभ प्राप्त करने के लिए, खर्चों को बाहर रखा गया है

और बेतुका। इसलिए, हम संतुष्ट हैं कि इस तरह की कटौती होगी समान अनुपात में कुल कारोबार से भी अनुमति दी गई।

(जोर दिया गया)

अरुण कुमार और अन्य बनाम। भारत संघ 54, एक चुनौती

इसे आयकर नियम 1962 के नियम 3 की वैधता तक बढ़ा दिया गया था जिसने 'परक्वीस्ट' के मूल्यांकन की गणना करने की विधि में संशोधन किया था।

(जिसमें एक निर्धारिती को प्रदान किया गया किराया मुक्त आवास शामिल है उनके नियोक्ता) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (2) के तहत। द.

अपीलार्थियों ने तर्क दिया कि संशोधित नियम निर्धारिती को प्रदान नहीं करता है निर्धारण अधिकारी के समक्ष दावा करने के अधिकार के साथ कि कोई नहीं था

" प्रदान किए गए आवास के संबंध में किराए के मामले में रियायत और इस प्रकार, धारा 17 (2) और नियम 3 लागू नहीं थे। सिद्धांत को पेश करके नियम को "पढ़ने" के लिए एक तर्क उठाया गया था 54 (2007) 1 एस. सी. सी. 732 भारत संघ बनाम

वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

अलग अलग तरीके से। इस तर्क को खारिज करते हुए अदालत ने कहा,न्यायमूर्ति सी. के. ठक्कर ने कहा कि

" 55. "नीचे पढ़ने" का सिद्धांत इस क्षेत्र में सर्वविदित है

संवैधानिक कानून। कॉलिन हावर्ड अपने प्रसिद्ध में

ऑस्ट्रेलियाई संघीय संवैधानिक कानून में कहा गया है: नीचे पढ़ने से यह सिद्धांत लागू होता है कि जहां तक उचित रूप से ऐसा करना संभव है, कानून को शक्ति के भीतर होने के रूप में माना जाना चाहिए। इसका व्यावहारिक प्रभाव है कि जहां एक अधिनियम है

इसे सत्ता में रखें "। न्यायालय ने इस मुद्दे पर न्यायिक उदाहरणों की समीक्षा करने के बाद

वेद:

एक से अधिक निर्माण के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है, यह होना चाहिए जैसा है वैसा ही पढ़ें। उस मामले में, कानून का प्रावधान होना चाहिए

कानून के प्रासंगिक प्रावधानों की कसौटी पर परीक्षण किया गया

बचाने की दृष्टि से "नीचे पढ़ने" का सिद्धांत कानून को इस बिंदु तक ले जाकर इसे अधिकार से बाहर घोषित करने से

"कानून के उद्देश्यों को विकृत करना।

[.....]

65. जैसा कि हम पहले ही संकेत दे चुके हैं, नियम 3 इसके पहले

2001 में संशोधन पूरी तरह से अलग था। यह "उचित" की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए रियायत की गणना की विधि से संबंधित था।

किराया मूल्य "। नियम 3 के सिद्धांत और वाक्यांश के आलोक में, नियम बनाने वाले प्राधिकरण ने निर्धारिती को निर्धारण अधिकारी को संतुष्ट करने का अवसर प्रदान किया कि कर्मचारी से वसूल किए जाने वाले किराए को "रियायत" नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह था

" उचित किराया "", उचित किराया "", बाजार किराया "या" मानक किराया "। जब नियम में संशोधन किया जाता है और "उचित किराये के मूल्य" की अवधारणा होती है इसे समाप्त कर दिया गया है और एकमात्र तरीका [2021] 15 एस. सी. आर. है।

अपनाया गया जनसंख्या के आधार पर किराए की गणना करना है विचाराधीन शहर में, यह सफलतापूर्वक तर्क नहीं दिया जा सकता है कि

नियम बनाने वाले प्राधिकारी का उद्देश्य एक अवसर प्रदान करना था

निर्धारिती को निर्धारण अधिकारी को यह समझाने के लिए कि किराया नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी से बरामद की गई राशि प्रकृति में नहीं थी

निर्धारिती को ऐसा अवसर प्रदान करें ताकि वह निर्धारण अधिकारी को समझाएँ कि निर्धारित किराया शामिल नहीं था

अधिनियम की धारा 17 (2) (ii) द्वारा और इसलिए एक "शर्त" नहीं थी।

इसलिए हम श्री साल्वे के तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं और नियम 3 में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आयात की अनुमति दें।

(जोर दिया गया)

111. उपरोक्त न्यायिक उदाहरण इंगित करते हैं कि के क्षेत्र में

कराधान, इस न्यायालय ने केवल एक सूत्र को पढ़ने या व्याख्या करने के लिए हस्तक्षेप किया है यदि सूत्र बेतुका परिणाम की ओर ले जाता है या अव्यवहारिक है। वर्तमान में

हालाँकि, सूत्र प्रकृति में अस्पष्ट या अव्यवहारिक नहीं है,

न ही यह अप्रयुक्त आई. टी. सी. के संचय पर सीमित धनवापसी देने के विधानमंडल के इरादे का विरोध करता है। यह केवल मामला है कि व्यावहारिक

सूत्र के प्रभाव के परिणामस्वरूप कुछ असमानताएँ हो सकती हैं। श्री नटराजन और श्री श्रीधरन द्वारा प्रस्तावित सूत्र को पढ़ना

उपयोग का आदेश निर्धारित करना इस न्यायालय को निम्न मार्ग पर ले जाएगा -

सूत्र को फिर से तैयार करना और कार्यपालक या कार्यकारी के स्थान पर चलना विधायिका, जो अनुज्ञेय नहीं है। तदनुसार, हम विधायिका या उसके प्रतिनिधि के विवेक को अपने विवेक से बदलने से बचेंगे।

ऐसा मामला। हालांकि, मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा बताई गई विसंगतियों को देखते हुए, हम जी. एस. टी. परिषद से फॉर्मूले पर पुनर्विचार करने और एक निर्णय लेने का पुरजोर आग्रह करते हैं।

उसी के संबंध में नीतिगत निर्णय।

एच निष्कर्ष

112. बार में प्रस्तुतियों पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बाद,

हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों को खारिज करके पुष्टि करने की आवश्यकता है जबकि भारत संघ द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की अनुमति दी जानी चाहिए।

113. गुजरात उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने जांच की

धारा 54 (3) और नियम 89 (5) के प्रावधानों में यह अभिनिर्धारित किया गया कि बाद वाला भारत का संघ v था।

वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

अल्ट्रा वायर्स। वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में अपने निर्णय में। लिमिटेड (ऊपर),

गुजरात उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उप-नियम में एक सूत्र निर्धारित करके

(5) अप्रयुक्त आई. टी. सी. के रिफंड को निष्पादित करने के लिए सी. जी. एस. टी. नियमों के नियम 89

इनपुट सेवाओं के कारण संचित, विधायिका के प्रतिनिधि ने सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 54 की उप-धारा (3) के प्रावधानों के विपरीत कार्य किया था जो किसी भी अप्रयुक्त के धनवापसी के दावे का प्रावधान करता है।

2 (62) और यह अभिनिर्धारित किया कि नियम 89 (5) में धनवापसी को केवल निवेश तक सीमित किया गया है। माल ने धारा 54 (3) के दायरे से बाहर काम किया था। दूसरी ओर मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपना निर्णय देते हुए

टीवीएल। ट्रांस्टननेलस्टोरी एफकॉन्स ज्वाइंट वेंचर (ऊपर) ने अनुसरण करने से इनकार कर दिया

गुजरात उच्च न्यायालय का यह विचार कि धारा का परंतुक

54 (3) और, अधिक महत्वपूर्ण रूप से, इसके प्रभावों को वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया प्राइवेट में ध्यान में नहीं रखा गया है। लिमिटेड (ऊपर)

एक संक्षिप्त संदर्भ को छोड़कर। अपीलों के इस समूह पर विचार करने के बाद,

और इस निर्णय में दिए गए कारणों के लिए, हम मद्रास उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं और गुजरात उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हैं। हम तदनुसार आदेश देते हैं और निर्देश देते हैं कि:

फैसले के खिलाफ भारत संघ द्वारा दायर अपील 55

(1)

गुजरात उच्च न्यायालय दिनांक 4 जुलाई 2020 को वी. के. सी. में

फुटस्टेप्स इंडिया प्रा. लिमिटेड (ऊपर) और संबंधित मामलों की अनुमति है और निर्णय को दरकिनार कर दिया जाएगा;

फैसले के खिलाफ निर्धारिती द्वारा दायर अपील 56

((ख)

टी. वी. एल. में मद्रास उच्च न्यायालय। ट्रांस्टननेलस्ट्रॉय एफकॉन्स ज्वाइंट वेंचर (उपरोक्त) और 21 सितंबर 2020 के संबंधित मामलों को खारिज कर दिया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप,
निर्धारिती द्वारा दायर रिट याचिका भी खारिज हो जाएगी। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा; और

55 2020 की एसएलपी (सिविल) संख्या 14801; 2020 की एसएलपी (सिविल) संख्या 16003; 2021 की एसएलपी (सिविल) संख्या 1340; 2020 की एसएलपी (सिविल) संख्या 16032; 2021

की एसएलपी (सिविल) संख्या 677; 2021 की एसएलपी (सिविल) संख्या 1868; 2021 की एसएलपी (सिविल) संख्या 2951; 2021 की एसएलपी (सिविल) संख्या 2456; 2021 की एसएलपी (सिविल) संख्या 2973।

56 2021 का एसएलपी (सिविल) संख्या 589; 2021 का एसएलपी (सिविल) संख्या 1418; 2021 का एसएलपी (सिविल) संख्या 1742 1748; 2021 का एसएलपी (सिविल) संख्या 1552-1557; 2021 [2021] का एसएलपी (सिविल) संख्या 8008-8009 15 एस. सी. आर.

मेरी अदालत की रिपोर्ट

पैराग्राफ 104 से 111 में टिप्पणियाँ होंगी

जी. एस. टी. परिषद द्वारा इसे कानून के अनुसार एक निष्क्रिय दृष्टिकोण लेने में सक्षम बनाने के लिए बनाया गया है।

एनजी आवेदन (ओं), यदि कोई हो, तो निपटाया जाता है।

अपीलों का निपटारा किया गया।